खण्ड-172, अंक-3
बुधवार, 12 वैशाख, शक संवत् 1878
(2 मई, 1956 ई0)

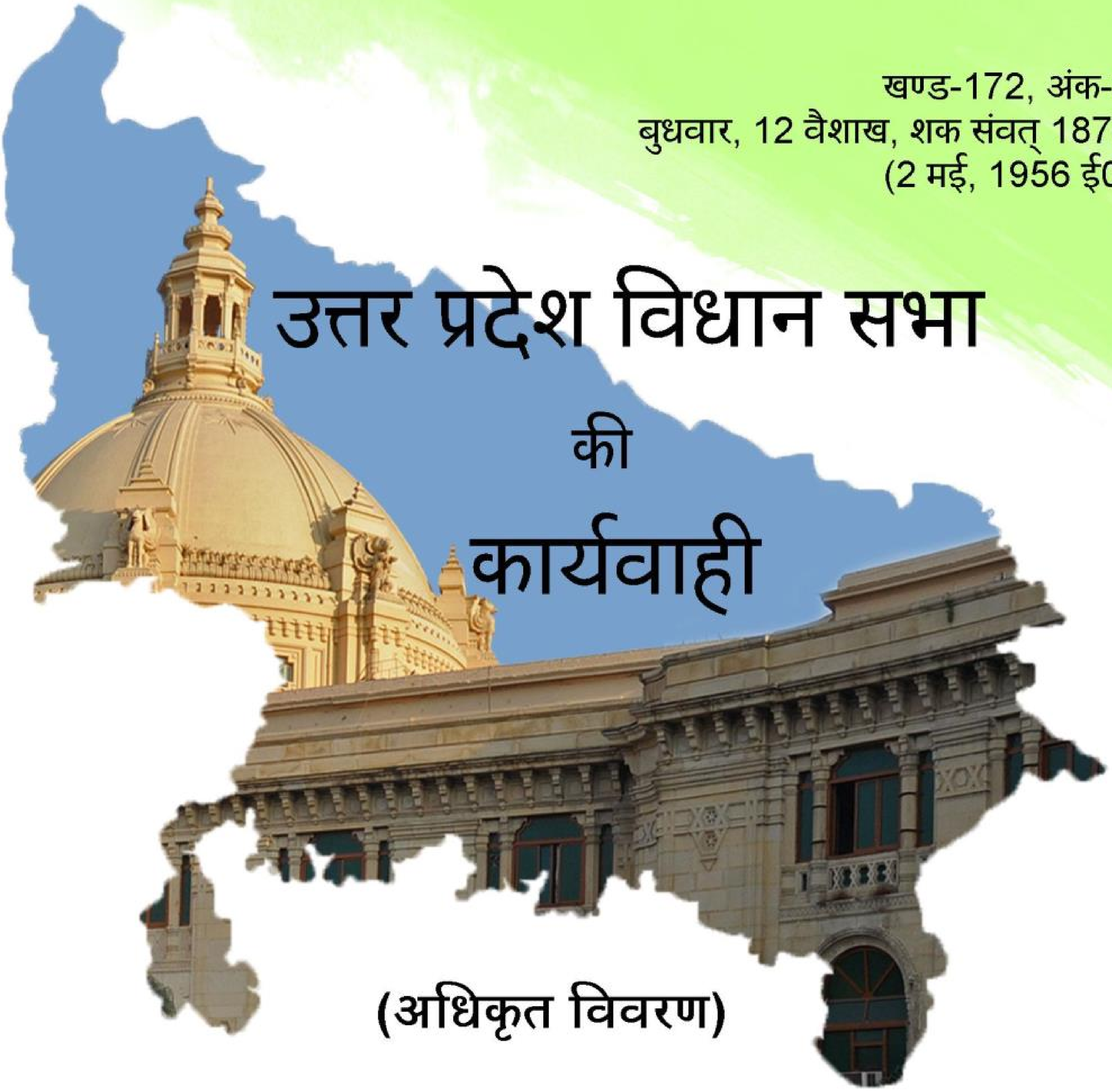

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 172 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२३४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहरहुसैन ख्वाजा, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आर्थर प्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशवपांडेय, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री

दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवेंद्र प्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुहूनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूदआलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल बैस, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवाल, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री

रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावतीराठौर,श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवरामपांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्रीदीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २ मई, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हरिजनों को कुयें बनाने के लिये सहायता

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५५ में सरकार की ओर से जिलाधीशों को कोई इस प्रकार का आदेश दिया गया था कि हरिजन बस्तियों में बनने वाले पानी पीने के कुओं की पूरी लागत प्लानिंग विभाग द्वारा ही खर्च की जाय ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—जी नहीं।

**२—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्या नियोजन मंत्री उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री फूलसिंह—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय नियोजन मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि पानी पीने के कुओं के निर्माण में सरकार कितनी सहायता देती है ?

श्री फूलसिंह—संभवतः दो-तिहाई देती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री जी को ज्ञात है कि दो-तिहाई सहायता देने पर भी हरिजन अपने कुओं को बनवाने में असमर्थ प्रमाणित हुए हैं ?

श्री फूलसिंह—ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि हरिजन कल्याण विभाग के माननीय मंत्री ने सदन में कई बार इस बात की घोषणा की है कि दो-तिहाई की सहायता से हरिजन कुएं बनवाने में असमर्थ हैं और उनको पूरी सहायता देनी चाहिये ?

श्री फूलसिंह—मुझे तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार के आदेश जारी करेंगे कि जो हरिजन पानी पीने के लिये कुएं बनवाना चाहते हैं और गरीब हैं उनको प्लानिंग विभाग द्वारा पूरी सहायता दी जाय ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पूरी सहायता न मिलने के कारण प्रदेश में हजारों ऐसी हरिजन बस्तियां हैं जिनमें पीने के पानी के कुएं नहीं हैं ?

श्री फूलसिंह—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है पर तब भी प्रांत भर में यह इत्तला इकट्ठी की जायगी कि कितनी बस्तियों में पानी पीने के कुयें नहीं हैं और फिर आवश्यकता होगी तो इस संबंध में सोचा जायगा।

तारांकित प्रश्न

बी० सी० जी० टीके का दुष्परिणाम

*१—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सही है कि लखनऊ में एक १४ वर्षीय बालक को बी० सी० जी० का टीका लगाने के बाद ही टी० बी० के चिन्ह उसमें देखे गये और सरकार ने इसकी जांच करने के लिये डाक्टरों की एक कमेटी नियुक्त की थी ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—लखनऊ के एक १६ वर्षीय बालक, रिजवानउल्लाह के विषय में कहा गया कि बी० सी० जी० का टीका लगवाने के बाद ही उसे तपेदिक हो गया। संचालक, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने, उक्त घटना की जांच-पड़ताल करवाने तथा यह जानने के लिये कि क्या बी० सी० जी० का टीका लगवाने के परिणामस्वरूप ही तपेदिक हो गया, निम्नलिखित तीन व्यक्तियों को निर्धारित किया था :

(१) डा० बी० एस० मांगलिक

(२) डा० बी० बी० भाटिया

(३) डा० आर० एन० टंडन

*२—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या डाक्टरों ने जो रिपोर्ट सरकार को दी है उस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—वास्तव में कोई गैर-सरकारी समिति नियुक्त नहीं की गई थी। उन तीन विशेषज्ञों के मत की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३१ पर)

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रिपोर्ट दी गई है क्या उसमें यह नहीं बताया गया कि बी० सी० जी० के वेक्सीनेशन की अवधि क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब बी० सी० जी० का वैक्सीनेशन दिया गया था तो वह बालक डाक्टरों की देखरेख में कितने दिन रहा और उस के संबंध में डाक्टरों ने क्या रिपोर्ट दी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जिस समय बी० सी० जी० का टीका लगाया गया उस समय डाक्टरों को ज्ञात नहीं हो पाया कि उस लड़के को किस प्रकार का टी० बी० का रोग है।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बी० सी० जी० वेक्सिनेशन लगाने की जो रिपोर्ट दी गई है वह क्या थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—सूचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं था कि उस लड़के को टी० बी० हो गई है।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—जैसा कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि थूक से ब्लड आने लगा है क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि थूक से ब्लड आने के बाद सरकार ने बताया है कि वह ब्लड थूक से ही क्यों आया और डाक्टरों ने उसके संबंध में अन्य कोई बात क्यों नहीं लिखी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जैसा कि माननीय सदस्य को रिपोर्ट से ज्ञात है बी०सी०जी० का टीका सितम्बर, ५४ में लगाया गया और यह जो घटना थूक से खून निकलने की है वह १४ जनवरी ५५ की है। इतने दिनों के बाद यह मालूम हुआ। उससे पहले इसकी कोई सूचना किसी प्रकार की नहीं मिली। और यह भी तब ज्ञात हुआ जब कि लड़के के पिता ने एक रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट पर इसकी जांच की गई तब यह ज्ञात हुआ।

महाराजकुमार बालेंदुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि गैर सरकारी विशेषज्ञों की यह राय है कि बी० सी० जी० का टीका जो इन्टरथर्मल रीति से लगना चाहिये अगर वह इस रीति से नहीं लगता तो बी० सी० जी० का जो अच्छा असर होना चाहिये वह नहीं होता है और उसका दुष्परिणाम होता है और इस अवसर पर भी वही शिकायत थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं ; ऐसा इस केस में नहीं हुआ।

*३-५—**श्री व्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)—[३० मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

कालपी के कागज उद्योग के लिये सहायता

*६—**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कालपी (जालौन) में कागज बनाने का गृह उद्योग बन्द हो गया है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—कालपी में कागज का गृह उद्योग बन्द नहीं हुआ है।

*७—**श्री बसन्तलाल** (अनुपस्थित)—अगर हां, तो सरकार इस उद्योग को चलाने के निमित्त क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

*८—**श्री बसन्तलाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त उद्योग के लिये राज्य सरकार की तरफ से अब तक प्रति वर्ष कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई और इस उद्योग से प्रति वर्ष कितना कागज का उत्पादन होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३२ पर)

*९-११—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—[१७ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ३५-३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

प्रदेश में फर्टीलाइजर फैक्ट्री की आवश्यकता

*१२—**श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार को ज्ञात है कि केंद्रीय सरकार ने इस प्रदेश में कोई फर्टिलाइजर फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—जी नहीं।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि कुछ समय पूर्व केन्द्रीय सरकार या प्लानिंग कमीशन द्वारा नियुक्त की गई एक कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि हाथरस या मिर्जापुर में कोई फर्टिलाइजर फैक्टरी खोली जाय ?

श्री बनारसी दास--जी हां, केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो कमेटी मुकर्रर की गई थी उसने बहुत से स्थानों को देखा। उनमें मथुरा, आगरा, हाथरस और मिर्जापुर भी शामिल थे।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि फिर यह सिफारिश क्यों नहीं मंजूर हो रही है ?

श्री बनारसी दास--कमेटी ने जो अन्तिम रूप से फैसला किया उसमें यू० पी० को कोई फर्टिलाइजर फैक्टरी नहीं दी गई। अन्त में निर्णय यह हुआ कि मिर्जापुर के पास एक फैक्टरी कायम की जा सकती है क्योंकि वहां कोल आदि आने की ज्यादा सुविधा हो सकती है लेकिन उस वक्त यह सोचा गया कि शायद रेहन्द से बिजली जल्दी न मिल पायेगी इसलिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने वहां पर फैसला जल्दी नहीं किया।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह फिर से इस बात की कोशिश करेंगे कि हाथरस में एक फर्टिलाइजर फैक्टरी खोली जा सके ?

श्री बनारसी दास--उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अब भी लिख रक्खा है कि हाथरस और मिर्जापुर में दो फैक्टरियां हमारे यहां कायम की जायं।

श्री सुरेन्ददत्त बाजपेयी--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि स्वयं उत्तर प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार के न खोलने पर फैक्टरी खोलने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास--इसमें जितने बड़े साधनों की जरूरत है इस वक्त जब कि पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिये यह कठिन होगा और अभी हमारा प्रयत्न यही है कि केन्द्रीय सरकार से हम कहें कि वह इन फैक्टरीज को कायम करे।

महाराजकुमार बालेंदुशाह--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि अगर केन्द्रीय सरकार उनको फर्टिलाइजर फैक्टरी खोलने की इजाजत नहीं देती है तो बोन मिल खोलने की इजाजत ले ले जो कुछ हद तक फर्टिलाइजर का काम कर सकती है ?

श्री बनारसी दास--बोन मिल का कारखाना छोटे पैमाने पर कायम होता है और केन्द्रीय सरकार का उससे ज्यादा सम्बन्ध भी नहीं है। बोन मिल के एक आध कारखाने हमारे यहां प्रदेश में हैं भी और काटेज इंडस्ट्री के आधार पर जहां तक सम्भव होगा प्रयत्न किया जायगा।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को फर्टिलाइजर फैक्टरी खोलने को लिखा तो केन्द्रीय सरकार ने क्या उत्तर दिया ?

श्री बनारसी दास--श्रीमन्, इसका उत्तर दिया जा चुका है। कमेटी नियुक्त हुई और उसने बहुत से निर्णयों को दिया और उसके बाद में जो अन्तिम फैसला किया वह हमारे हक में अभी तक नहीं हुआ।

*१३--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--[३० मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

तुरपट्टी बाजार, जिला देवरिया में अस्पताल की आवश्यकता

*१४--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तुरपट्टी बाजार, जिला देवरिया से कोई प्रार्थना-पत्र अस्पताल खोलने का आया है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

*१५—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि उस प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही नहीं है कि कोई अधिकारी उस प्रार्थना पर जांच करने के लिये गये थे और वहां डाक्टर का होना उन्होंने अनिवार्य बतलाया?

श्री बनारसी दास—यह तो प्रश्नों के उत्तर में जवाब दिया जा चुका है कि कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र नहीं मिला। बहरहाल सरकार के पास कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र नहीं है।

गोरखपुर कमिश्नरी की चीनी मिलों से प्राप्त सेस

*१६—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ में गोरखपुर कमिश्नरी की चीनी मिलों से सरकार को कितना सेस मिला है?

श्री फूल सिंह—प्राप्त सूचना के अनुसार गोरखपुर कमिश्नरी की चीनी मिलों से सन् १९५५ में सरकार को गन्ना सेस का कुल ८६.८० लाख रुपया मिला।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितना धन सरकार को प्राप्त करना था?

श्री फूलसिंह—अभी तक लगभग एक करोड़ बकाया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह केन सेस का बकाया अब तक बाकी क्यों है?

श्री फूलसिंह—मिल मालिकों ने दिया नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार की ओर से, जिन कार्यवाहियों के लिए कानून के मुताबिक अधिकार दिया गया है उसका उपयोग किया गया?

श्री फूलसिंह—किया गया। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है एक मुकदमे के चलने से कुछ इस काम में रुकावट पड़ गयी है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि मुकदमे का फैसला जनवरी में हुआ। जनवरी से पहले का बकाया १९५४-५५ और १९५३-५४ का भी मिलों के ऊपर है?

श्री फूलसिंह—कुछ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन मिलें हैं जिन पर एक लाख से ज्यादा रुपया बकाया है?

श्री फूलसिंह—सूचना की आवश्यकता है।

गोरखपुर कमिश्नरी के लिये विकास कार्य

*१७—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर कमिश्नरी में विकास के कौन-कौन से मुख्य-मुख्य काम वे चालू करने को सोच रहे हैं?

श्री फूलसिंह—जिलेवार सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २३३-२३५ पर)

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में दियासलाई का कारखाना खोलने का भी विचार है ?

श्री फूल सिंह--यह सब सूची में वर्ज है।

झीलमपुर, जिला रायबरेली में नलकूप के लिए मांग

*१८--**श्री दलबहादुर सिंह** (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले के झीलमपुर नामक ग्राम में जो एक नलकूप सहकारी योजना के अन्तर्गत स्वीकार हुआ था, और गांव वालों ने ५ हजार रुपया भी जमा कर दिया था वह अब तक क्यों नहीं बन सका ?

श्री फूलसिंह--उक्त नलकूप का अनुमानित व्यय अधिक होने के कारण झीलमपुर सहकारी समिति ने इसके निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी। अतः यह नलकूप अभी तक नहीं बन सका।

*१९--**श्री दलबहादुर सिंह** (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि सिंचाई मंत्री ने अपने १० नवम्बर, १९५५ में रायबरेली के दौरे के समय उसे बनवा देने का वादा किया था ? परन्तु वह अब तक नहीं बन सका ?

श्री फूलसिंह--सिंचाई मंत्री जी ने सुझाव दिया था कि यदि सहकारी समिति जमानत का ५,००० रु० सरकार को समर्पण कर दे तो एक शासकीय नलकूप बनवाने के प्रश्न पर विचार सम्भव हो। इस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि समिति ने सरकार को रुपया नहीं दिया।

*२०--**श्री दलबहादुर सिंह** (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि उक्त गांव के लोगों ने ३ वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा कार्य आरम्भ न होने की वजह से ५ हजार रुपया जो जमा किया था वापस मांगा है ?

श्री फूलसिंह--जी हां। ३ मार्च, १९५६ को समिति ने अपनी जमानत की वापसी की मांग की है।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार ने उनको रुपया वापस लेने के लिये कोई तारीख नियत की है ?

श्री फूलसिंह--जो तकावी इस समिति को मिली थी और जमानत के लिये रुपया दिया गया था, जब तक तकावी वापस न हो रुपया देने में कठिनाई होगी।

श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार ने कोआपरेटिव सोसाइटी को जमानत जल्द दाखिल करने के लिये लिखा है ?

श्री फूलसिंह--मैं कह नहीं सकता हूं अवश्य लिखा होगा।

*२१-२२--**श्री गजेंद्र सिंह** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--[३० मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

यू० पी० हैन्डीक्राफ्टस के स्पेशल मैनेजर की कार्य अवधि

*२३--**श्री गजेंद्र सिंह** (अनुपस्थित)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट के स्पेशल मैनेजर कितने दिनों से इस जगह पर काम करते आ रहे हैं ?

नोट १--तारांकित प्रश्न १८-२० श्री गुप्तार सिंह ने पूछे।

नोट २--तारांकित प्रश्न २३ श्री रामसुन्दर पाण्डेय ने पूछा।

श्री बनारसी दास--यू० पी० हैन्डीक्राफ्टस के वर्तमान स्पेशल मैनेजर १४-२-४८ से इस पद पर कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड मनवापुर, जिला बस्ती के सिंचाई कार्य

*२४--**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा खड मनवापुर, जिला बस्ती ने अब तक सिंचाई की क्या व्यवस्था अपने क्षेत्र में की है ?

श्री फूलसिंह--राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, मनवापुर, जिला बस्ती में सिंचाई के लिए ७८ नये कुओं, ३ व्यक्तिगत नलकूपों तथा २ राजकीय नलकूपों का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त १६३ जीर्ण कूपों का सुधार किया गया।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह नलकूप जो बने हैं वह चालू हैं ?

श्री फूल सिंह--बने हैं, चालू जरूर होंगे।

देवरिया जिले में सीमेंट का वितरण

*२५--**श्री रामेश्वरलाल** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिला के सप्लाई विभाग द्वारा कितना सीमेंट देहाती क्षेत्रों में १९५५ में वितरित किया गया और उसमें निर्माण कार्यों के लिये कितना किया और मकान आदि के लिये कितना ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--देवरिया जिला के सप्लाई विभाग द्वारा १९५५ में १,२०,८०० बोरे सीमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया गया, इसमें से ५८,६८८ बोरे विकास कार्य के लिये तथा शेष ६२,११२ बोरे मकान आदि के लिये दिये गये।

बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर में प्रसूति तथा शिशुपालन केंद्र की आवश्यकता

*२६--**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) में प्रसूति तथा शिशुपालन केन्द्र खोलने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--बुढ़ाना में प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना करने का कोई सुझाव सरकार के सन्मुख नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुढ़ाना टाउन एरिया के चेयरमन की ओर से और वहां की जनता की ओर से इस प्रकार के आवेदन-पत्र आये हैं कि वहां शिशुपालन केन्द्र और प्रसूतिगृह खोल दिये जायं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--मुझे तो इसकी सूचना नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कांधला से मैटर्निटी वेलफेयर सेंटर को तब्दील करके बुढ़ाना में भेजने के लिये सरकार से कोई प्रार्थना की गयी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--इसकी भी कोई सूचना सरकार को नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां के माननीय विधान सभा के सदस्यों ने इस सम्बन्ध में लिखा था और नियोजन मंत्री ने उत्तर दिया था

नोट--तारांकित प्रश्न २४ श्री शिवनारायण ने पूछा।

कि इस बात पर विचार किया गया है कि बुढ़ाना में शिशु पालन केन्द्र और प्रसूतिगृह खोला जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---नियोजन विभाग अपनी ओर से ऐसे केन्द्रों को खोलता है। वहां से जो उत्तर गया है उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र---क्या सरकार को ज्ञात है कि बुढ़ाना के आसपास १४ मील तक कोई इस प्रकार का प्रसूति गृह तथा शिशुपालन केन्द्र नहीं है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---हां, यह सम्भव हो सकता है।

*२७---**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)---[३० मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

बिलारी चीनी मिल के काम के संबंध में शिकायत

*२८---**श्री टीकाराम** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि बिलारी शुगर फैक्टरी नियमित रूप से सीजन भर नहीं चला करती है जिससे दबतरा, करेंगी और आशफपुर स्टेशनों से गन्ना देने वालों को फैक्ट्री के एकाएक बन्द हो जाने से कई दिनों तक वहां रुकना पड़ता है ?

श्री फूलसिंह---केवल इस वर्ष ऐसा हुआ है कि बिलारी चीनी मिल में नई मशीनरी लगाई गई है जो ठीक और अच्छा काम नहीं कर सकी और इस कारण से बीच बीच में मिल को बन्द होना पड़ा और गन्ने की पिराई में भी जैसी आशा की गई थी वैसी सफलता नहीं मिल सकी। दबतरा, करेंगी, आसफपुर के अतिरिक्त अन्य केन्द्रों पर भी इसी कारण असुविधा रही।

*२९-३०---**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)---[३० मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में लगाये गये हाथ पम्पों पर व्यय

*३१---**श्री रामेश्वर लाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिले में कितने हाथ पम्प पानी पीने के लिये सरकार ने सब्सीडी देकर अथवा मुफ्त लगाये हैं और उन पर क्या व्यय हुआ है ?

श्री फूलसिंह---सूची माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २३६ पर)

*३२---**श्री रामेश्वर लाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार के पास इस बात की सूचना है कि प्रति नल कितना फिट पम्प लगा है।

श्री फूलसिंह---नलों की लम्बाई पानी की सतह के अनुसार औसतन ३० से ७० फीट है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो मुफ्त में नल दिये गये उनकी संख्या क्या है ?

श्री फूलसिंह--१४८।

नोट १---तारांकित प्रश्न २८ श्री वीरेन्द्र वर्मा ने पूछा।

नोट २---तारांकित प्रश्न ३१-३२ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों को सब्सीडी दी गई है उन लोगों ने नल बनाये या नहीं। इसकी जांच सरकार की तरफ से हुई है या नहीं?

श्री फूलसिंह-- नल जब बनाये जाते हैं तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता ही है, लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो दुबारा जांच कराई जा सकती है।

*३३--**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)---[३० मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसर्स के चुनाव में हरिजन

*३४--**श्री पुत्तूलाल** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, अक्तूबर, १९५५ में किये गये चुनाव के आधार पर कुल कितने असिस्टेंट डेवलपमेंट आफीसर्स चुने गये और उनमें से कुल कितने हरिजन हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--३११ असिस्टेंट डेवलपमेंट आफीसर्स चुने गये जिनमें से ३५ हरिजन हैं।

*३५--**श्री पुत्तूलाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत असिस्टेंट डेवलपमेंट आफीसर के पद के चुनाव के लिये कुल कितने उम्मीदवारों ने प्रार्थना-पत्र भेजे और उनमें से कितने हरिजन उम्मेदवारों के थे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--६१२९ उम्मीदवारों ने प्रार्थना-पत्र भेजे जिनमें से ५६ हरिजन उम्मीदवारों के थे।

जौनपुर जिले में मार्ग निर्माणार्थ श्रमदान

*३६--**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५५ में जौनपुर जिले में प्रत्येक तहसील में कितना और कहां-कहां सड़कों पर श्रमदान किया गया?

श्री फूल सिंह---†सूची माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई है।

*३७--**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रमदान द्वारा जितनी सड़कों पर काम हुआ है उन्हें सरकार पक्की कराने का विचार कर रही है?

श्री फूलसिंह---जी नहीं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़कें बहुत लम्बी कई मील की सड़कें श्रमदान द्वारा बनाई गई हैं उन्हें पक्का कराने पर सरकार का कोई विचार है?

श्री फूलसिंह---लोगों ने बड़ी मेहनत से सड़कें बनाई हैं। मगर पैसे की समस्या है। इन सड़कों को पक्का करने के लिये रुपया बजट में नहीं है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी सूची में दी हुई सड़कों की जो श्रमदान द्वारा बनाई गई अधूरेपन को देखते हुए जांच करायेंगे और पूरी सूची फिर से देने की कृपा करेंगे?

---

† सूची छापी नहीं गई है।

श्री फूलसिंह—अगर माननीय सदस्य कुछ ऐसी बात नोटिस में लायेंगे तो अवश्य जांच करायी जायगी।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि सन् १९५५ में जो सड़कें श्रमदान द्वारा बनायी गई हैं उसमें सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये नोटिस चाहिये।

जौनपुर जिलें में चलाये जाने वाले-उद्योग-धंधे

*३८—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में प्रत्येक तहसील में १९५६ तक कितने उद्योग-धंधों के चलाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री बनारसी दास—शासन की ओर से जौनपुर जिले में जो उद्योग-धंधे चलाये जा रहे हैं तथा १९५६ के अन्त तक जो और बढ़ाये जायेंगे उनका विवरण, तहसीलों के हिसाब से निम्न-लिखित है :

जौनपुर सदर तहसील—खादी उद्योग, चर्म उद्योग, करघा उद्योग, गुड़ उद्योग।

मड़ियाहूं तहसील—खादी उद्योग, ऊन उद्योग।

तहसील केराकत—खादी उद्योग, बेंत उद्योग, गुड़ उद्योग।

शाहगंज तहसील—खादी उद्योग, करघा उद्योग।

मछलीशहर तहसील—खादी उद्योग।

इसके अतिरिक्त इस जिले में चालू वित्तीय वर्ष में एक चर्मशोधन तथा तेल व इत्र बनाने का केन्द्र भी खोले जाने का विचार है। ताड़ गुड़ योजना तथा गुड़ योजना भी कुछ स्थानों पर चालू होनी है और तीन सहकारी समितियां संगठित होनी हैं। इनके विषय में स्थान आदि का निश्चय जिला नियोजन समिति के परामर्श से किया जायगा।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की आबादी को देखते हुए किसी बड़े उद्योग-धंधे को चलाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—बड़े उद्योग-धंधे कुछ तो प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं और कुछ पब्लिक सेक्टर में। जहां तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है वहां तो कोई उद्योग-धंधा कायम नहीं किया जा सकता और जहां तक प्राइवेट सेक्टर का सवाल है यह प्राइवेट उद्योगपति ही इसके बारे में कोई फैसला कर सकते हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जौनपुर में चर्म शोधन केन्द्र कहां पर खुलेगा ?

श्री बनारसी दास—वहां की नियोजन समिति की सलाह से स्थान तय किया जायगा।

आजमगढ़ जिले में नियोजन समिति द्वारा कूप निर्माणार्थ सहायता

*३९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की प्लानिंग कमेटी की ओर से वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में तहसीलवार पानी पीने के कितने कितने कुओं को सहायता दी गई तथा कितने आवेदन-पत्र प्लानिंग कमेटी को प्राप्त हुये थे ?

श्री फूलसिंह—कुल १२१ कुओं को सहायता दी गई जिसकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

कुल १५६ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २३७ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुल १५६ आवेदन-पत्रों में से कितने ऐसे आवेदन-पत्र थे जो नये कुएं बनाने के लिये थे और कितने मरम्मत के लिये थे?

श्री फूलसिंह—१३ नये कुओं के लिए थे और १४३ पुराने कुओं की मरम्मत के लिए थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १३ आवेदन-पत्र जो नये कुएं बनाने के लिए थे उनमें से आठ ही कुओं के बनाने का आदेश क्यों हुआ?

श्री फूलसिंह—यह तो माननीय सदस्य उस प्लानिंग कमेटी के सदस्य हैं उनको ज्यादा मालूम होगा। मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं सूचना लाकर दे दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जो सूची दी गई है उस सूची की क्रम-संख्या २ और ४ पर जो दो तहसीलें हैं उनमें कोई कुआं क्यों नहीं बनाया गया?

श्री फूलसिंह—मैं कह नहीं सकता। वहां की दरख्वास्त न आयी होगी।

जौनपुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चरखों का वितरण

*४०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाढ़पीड़ित जिलों में बेकारों को काम देने के लिये चर्खे भेजे गये हैं? यदि हां, तो क्या जौनपुर जिले में भी चर्खे भेजे गये हैं?

श्री बनारसी दास—(अ) जी हां।

(ब) जी हां।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन चर्खों का बटवारा तहसीलों में कितने केन्द्रों में हुआ है और कितना-कितना?

श्री बनारसी दास—यह तमाम कुल जिले में ५०० चरखे वितरण होने के लिए मंजूर किये गए थे, ४९५ चरखे अभी तक जा चुके हैं और उनका वितरण उन्हीं ११ केन्द्रों में होगा।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो चरखे भेजे जा रहे हैं यह मुफ्त दिये जा रहे हैं या कीमत ले कर?

श्री बनारसी दास—यह मुफ्त बांटे गए हैं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनको चरखा दिया जाता है उन्हें रुई भी दी जाती है या नहीं?

श्री बनारसी दास—जी नहीं। रुई तो जो सूत खरीदते हैं गांधी आश्रम के लोग वह देते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो सूत वहां निकलता है वह वहीं बुना जाय बुनाई का केन्द्र खोल कर उसका प्रबन्ध करेंगे।

श्री बनारसी दास—सूत खरीदने की व्यवस्था तो है। अगर वहां पर बुना जा सकता है तो सरकार तो उसमें सहायता करती है। ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से बुनाई के अन्दर मदद भी की जाती है। इस तरह के केन्द्र हर जगह जहां बुनाई का काम चलता है अब भी काम कर रहे हैं।

आजमगढ़ जिले में करघा इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति

*४१—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला आजमगढ़ की प्रत्येक तहसील में कितने इन्सपेक्टर करघों की जांच के लिये दिसम्बर, १९५५ में नियुक्त किये गये हैं ?

श्री बनारसी दास—आजमगढ़ जिले में दिसम्बर, १९५५ में ५ इन्क्वायरी इन्सपेक्टर निम्नलिखित तहसीलों में नियुक्त किये गये :

नाम तहसील	इन्सपेक्टरों की संख्या
१—फूलपुर	१
२—सदर व लालगंज	१
३—मोहम्मदाबाद	१
४—मऊ कस्बा	१
५—घोसी व सगड़ी	१

*४२—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन इन्सपेक्टरों में से कितने राशनिंग विभाग के पुराने कर्मचारी हैं और इनकी नियुक्ति के लिये क्या योग्यता रक्खी गई है ?

श्री बनारसी दास—उपरोक्त ५ इन्क्वायरी इन्स्पेक्टरों में से ३ इन्स्पेक्टर राशनिंग विभाग के पुराने कर्मचारी हैं और इनकी योग्यता कम से कम हाई स्कूल पास रक्खी गई है।

*४३—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कुल कितनी रजिस्टर्ड बुनकर और करघा सहकारी समितियां हैं और १९५४-५५ और ५५-५६ में प्रत्येक को कितनी सहायता सरकार की ओर से दी गई है ?

श्री बनारसी दास—(अ) आजमगढ़ जिले में ६९ बुनकर तथा करघा सहकारी समितियां हैं।

(ब) वित्तीय वर्ष १९५४-५५ और १९५५-५६ में दी गई आर्थिक सहायता का वितरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ २३८-२३९ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ५ इंक्वायरी इंस्पेक्टर नियुक्त किये गये हैं उनकी नियुक्ति के पहले क्या कोई प्रार्थना-पत्र लिया गया था या कोई इन्टरव्यू हुआ था?

श्री बनारसी दास—इन पांच में से तीन राशनिंग विभाग के कर्मचारी हैं और सरकार का इस संबंध में आदेश है कि जो राशनिंग विभाग के कर्मचारी हैं, स्थान रिक्त होने पर उनको लिया जाय। दो ऐसे हैं कि जो राशनिंग विभाग के कर्मचारी नहीं हैं, उनको भी लिया गया।

नोट—तारांकित प्रश्न ४१-४३ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन नियुक्तियों को करने के पहले अखबारों में क्या कोई विज्ञापन दिया गया था ?

श्री बनारसी दास---जहां तक राशनिंग और सप्लाई विभाग के कर्मचारियों का सवाल है, सरकार का आदेश है सब विभागों को कि जब विभाग में कोई स्थान रिक्त हो तो वह उन्हीं के लिये सुरक्षित रखे जायं। तो इस आदेश के मुताबिक अखबारों में विज्ञापन देने की जरूरत नहीं।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो पांच कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं यह ए लिस्ट के हैं या बी लिस्ट के ?

श्री बनारसी दास---यह तो मैं नहीं कह सकता कि किस लिस्ट के हैं लेकिन आदेश यह है कि सी लिस्ट के कर्मचारी न लिये जावें और ए और बी लिस्ट के लिये जायं। तो जब तक ए लिस्ट के कर्मचारी मिलते हैं उस समय तक बी लिस्ट के लेने की आवश्यकता नहीं और इसलिये मैं समझता हूं कि अगर यह लोग ए लिस्ट के नहीं हैं तो बी लिस्ट के होंगे।

सामूहिक विकास योजना, उसावां, जिला बदायूं पर व्यय तथा उसकी प्रगति

*४४---**श्री चुन्नीलाल सगर** (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सामूहिक विकास योजना उसावां, जिला बदायूं में अबतक सरकार का कुल कितना धन व्यय हुआ है और किन-किन कार्यों में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २४० पर)

*४५---**श्री चुन्नीलाल सगर** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसावां केन्द्र पर अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २४१-२४२ पर)

*४६---**श्री चुन्नीलाल सगर** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसावां केन्द्र पर कितनी इमारतें बन कर तैयार हो गई हैं और उनकी लागत क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उसावां केन्द्र पर १३ इमारतें बनाई गईं, जिनकी कुल लागत १,०१,६३६ रु० है।

जालौन जिले में चमड़ा उद्योग के लिये सहायता

*४७---**श्री बसन्तलाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में चमड़ा व जूता बनाने के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सन् १९५४-५५ से अब तक कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है ? क्या सरकार इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिला जालौन में चमड़ा व जूता बनाने के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सन् १९५४-५५ से अब तक बीस हजार रु० की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। यह आर्थिक सहायता चर्म विकास योजना के अन्तर्गत सन् १९५४-५५ में जिला जालौन में स्थापित चर्मकारों की एक सहकारी समिति को दी गई जिसमें १५,००० रु० का अनुदान तथा ५,००० रु० का ऋण था।

*४८--श्री बसन्तलाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चमड़ा व जूता के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--चमड़ा पकाने के उद्योग को बढ़ाने के लिये सरकार ने एक चर्म विकास योजना चालू की है जिसके अन्तर्गत चमड़े पकाने के सरकारी केन्द्र खोले जाते हैं और सहकारी समितियां बनाई जाती हैं जिनको आर्थिक सहायता दी जाती है। जूते के उद्योग को बढ़ाने के लिये सरकार ने आगरे में एक चर्म क्वालिटी मार्किंग योजना और एक पाइलट प्रोजेक्ट केन्द्र खोला है और आगरे में कई सहकारी समितियों का संगठन किया है जिन्हें आर्थिक सहायता दी गई है। कानपुर में भी एक चर्म क्वालिटी मार्किंग योजना चालू की गई है।

श्री गांधी आश्रम, उत्तर प्रदेश को तथा फैजाबाद जिले में ऊन उद्योग के लिये सहायता

*४९--श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री गांधी आश्रम उत्तर प्रदेश को कुल कितने रुपये का अनुदान १९५५-५६ के चालू वर्ष में दिया गया है ?

*५० --क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में किन-किन स्थानों पर ऊन उद्योग होता है तथा किन-किन व्यक्तियों को ऊन उद्योग के लिये कितने रूपये की सहायता सन् १९५५ में दी गई है ?

श्री बनारसी दास--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है। एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी।

श्री रामदास रविदास--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक इकट्ठी हो जायगी ?

श्री बनारसी दास--यह कोशिश तो की जा रही है कि शीघ्र ही इकट्ठी हो जाय।

श्री रामदास रविदास--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सूची किस अधिकारी के द्वारा इकट्ठी की जा रही है ?

श्री बनारसी दास--यह विभाग के अधिकारियों के द्वारा इकट्ठी की जा रही है।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लाक, कसिया द्वारा कथित इमारतों का निर्माण

*५१--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास विभाग (कुशीनगर) कसिया देवरिया द्वारा कितनी नई इमारतें बनाई गई हैं और आगे कितनी इमारतें बनने वाली हैं ?

श्री फूलसिंह--कम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लाक, कसिया, जिला देवरिया द्वारा कुशीनगर में कोई इमारत न बनवाई गई है, और न भविष्य में बनवाई जायगी।

*५२--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार को ज्ञात है कि उन इमारतों में अलग-अलग कितना व्यय हुआ है और आगे कितना व्यय होने को है ?

श्री फूलसिंह--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों के रहने और दफ्तर के लिए इमारतें बनायी गयी हैं ? यदि हां, तो किस विभाग द्वारा ?

श्री फूलसिंह--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

विकास कार्यों में हरिजनों के लिए कुयें और नल

*५३--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या सरकार यह बतायेगी कि विकास की ओर से कितने पक्के कुयें और नल लगवाये गये हैं उनमें से कितने हरिजनों के हैं?

श्री फूलसिंह--४८ जिलों से जो अब तक सूची प्राप्त हो सकी है माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २४३-२४५ पर)

आजमगढ़, गाजीपुर तथा बलिया जिलों में सूत के प्रयोग की व्यवस्था

*५४--**श्री कमला सिंह** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया जिलों में करीब तीन लाख से अधिक का सूत बेकार पड़ा है और चरखा केन्द्रों पर उसके बुनाई का कोई प्रबन्ध नहीं है?

श्री बनारसी दास--जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूत कितने दिनों से वहां पर इकट्ठा हो रहा है?

श्री बनारसी दास--जैसा कि मैंने उत्तर दिया ज्यादातर सूत इन तीन जिलों के अन्दर ही खरीद लिया गया। अप्रैल, सन् १९५५-५६ में आजमगढ़ में १९३ मन २७ सेर, बलिया में ६०१ मन १ सेर और गाजीपुर में २३७ मन ९ सेर सूत का उत्पादन हुआ और लगभग उतना ही सूत खरीद लिया गया। केवल ८४ मन ३० सेर सूत बाकी है।

कुरमुला कीड़े से आलू को बचाने के लिये योजना

*५५--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने पर्वतीय क्षेत्रों में आलू में लगने वाले कीड़े समाप्त करने हेतु जो योजना स्वीकृति हेतु "इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च" के पास भेजी थी उसका क्या हुआ?

श्री बनारसी दास--इस विषय पर कोई निश्चित योजना इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च को नहीं भेजी गई। "कुरमुला कीड़े" से, जिससे प्रायः सभी फसलों को क्षति होती है, बचने की एक योजना आई० सी० ए० आर० को भेजी गई है और इस सम्बन्ध में वहां से कोई उत्तर अभी तक नहीं आया।

नैनीताल जिले में आलू के बीज के वितरण में गबन

*५६--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि नैनीताल जिले में कृषि विभाग द्वारा बांटे जाने वाले आलू के बीज के वितरण के सिलसिले में कोई गबन हुआ है? अगर हां, तो कितना, और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री बनारसीदास--इस सम्बन्ध में जांच करवाई जा रही है और इसके लिये एक अफसर और कुछ अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

नोट--तारांकित प्रश्न ५४ श्री व्रजभूषण मिश्र ने पूछा।

*५७--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि नैनीताल तहसील में ऐसे काश्तकारों से भी आलू का बीज का सवाया वसूल किया जा रहा है, जिन्होंने कभी कृषि विभाग से आलू नहीं लिये ? अगर हां, तो इसकी रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसीदास--जांच हो जाने पर जिन काश्तकारों के नाम झूठी अथवा फर्जी तादाद दिखा दी गई है उनसे वसूलयाबी नहीं की जायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात हैं कि पिछले वर्ष मेरे एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय कृषि मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आलू के कीड़े मारे जाने के विषय पर एक योजना इंडियन कौन्सिल आफ रिसर्च के पास गयी है ?

श्री बनारसीदास--यह तो उस उत्तर के अन्दर ही बतला दिया गया है कि एक योजना भेजी गयी है, लेकिन अभी वहां से कोई उत्तर नहीं आया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि योजना किस तिथि को कौन्सिल आफ रिसर्च के पास भेजी गयी है ?

श्री बनारसीदास--यह तिथि तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो इसकी सूचना बाद में दे दी जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसे काश्तकारों की कितनी संख्या है जिनके नाम फर्जी आलू के बीज पड़े हुए हैं, और उसकी वजह क्या है ?

श्री बनारसी दास--जैसा कि अभी जवाब दिया गया है, इसके बारे में अभी कोई निर्णय तो हुआ नहीं है अभी तक और न कोई ठीक पता चल पाया है। इस प्रकार की शिकायतें हैं, उनकी जांच की जा रही है। जांच होने के बाद यह कहा जा सकेगा कि आया वह इन्दराजात फर्जी हैं या सही हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी-- क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो अफसर और कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनकी नियुक्ति कब हुई ?

श्री बनारसी दास--यह तो अभी हाल में गत वर्ष नियुक्ति की गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इन अफसर का नाम और पद का ब्यौरा देने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास--यह प्लांट प्रोटेक्शन विभाग की तरफ से ही इनकी नियुक्ति की गयी है, उनका नाम तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

रजिस्टर्ड होम्योपैथ चिकित्सकों द्वारा अवकाश के लिये सर्टीफिकेट की मान्यता

*५८--श्री देवदत्त मिश्र--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्टर्ड होम्योपैथ चिकित्सकों द्वारा अवकाशादि के लिये दिये गये सर्टिफिकेट राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सम्मानित किये जाते हैं ?

*५९--यदि नहीं, तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ऐक्ट, १९५१ के अध्याय ६ की व्यवस्था के अनुसार काम करने की हिदायतें राज्य सरकार अपने अधिकारियों को प्रेषित करने पर विचार करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न कितने दिनों से विचाराधीन है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—यह प्रश्न, जब से होम्योपैथिक मेडिसिन ऐक्ट पास हुआ, तब से विचाराधीन है, किन्तु अब इसमें अधिक देर लगने की संभावना नहीं है ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी तीन महीने के भीतर यह प्रश्न हल हो जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है रजिस्टर्ड होमियोपैथिक चिकित्सक द्वारा सर्टीफिकेट को फिलहाल निम्नलिखित सीमा तक सम्मानित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है और उसका यथाशीघ्र निर्णय हो जायगा। वह प्रश्न ये हैं कि नान-गजटेट सरकारी कर्मचारियों को एक महीने तक स्वास्थ्य हेतु अवकाश के लिये ये चिकित्सक सर्टीफिकेट दे सकते हैं और स्वस्थ होकर लौटने पर आरोग्यता का सर्टीफिकेट भी ये दे सकते हैं। इन प्रश्नों पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि जब ऐक्ट की दफा ६ में यह लिखा हुआ है कि इस किस्म के सर्टीफिकेट्स रजिस्टर्ड होमियोपैथिक प्रैक्टिशनर्स दे सकेंगे और उनको आनर किया जायगा। तो अब सरकार को क्या कठिनाई है जिसके कारण तीन साल तक अब तक कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—सरकार इस प्रश्न को शीघ्र ही तय करना चाहती है ।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार इस सिलसिले में केन्द्रीय सरकार को भी लिखने का इरादा रखती है कि वह अपने अधिकारियों को इस किस्म की हिदायत जारी करे कि सूबे के रजिस्टर्ड होमियोपैथिक प्रैक्टिशनर अगर किसी को छुट्टी के लिये सर्टीफिकेट दें तो वह आनर किया जाय ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—अगर केन्द्रीय सरकार ऐसे सर्टीफिकेटों को सम्मानित करे तो उसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है किन्तु इस सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार ने अभी तक केन्द्रीय सरकार को लिखने का कोई निश्चय नहीं किया है ।

*६०–६२—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[६ जून, १९५६ के लिये प्रश्न ३–५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६३–६४—**श्रीमती चन्द्रवती** (जिला बिजनौर)—[३० मई, १९५६ के लिए स्थगित किये गये ।]

*६५–६६—**श्री बलवन्त सिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—[३० मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में चीनी मिल खोलने की मांग

*६७—**श्री सुल्तान आलम खां**—क्या सरकार ने जो गणना (सर्वे) शक्कर की नई फैक्टरियों के लिये कराई है वह पूरी हो गई ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं ।

*६८--श्री सुल्तान आलम खां--क्या इसमें यह तजवीज भी है कि कायमगंज जिला फर्रुखाबाद में भी एक शक्कर की फैक्ट्री लगाई जाय? कायमगंज तहसील में गणना survey के आधार पर कितना गन्ना पैदा होता है?

श्री फूलसिंह--(क) अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) इसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

*६९--श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार इस मामले को केन्द्रीय सरकार की हाल में बनाई गई उद्योग कारखाना अन्वेषण समिति (Industrial fact finding committee) के सुपुर्द करना चाहती है?

श्री फूलसिंह--अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि उसने कोई ऐसा फैसला कर लिया है कि वह आइन्दा पांच साल में कितनी और शक्कर की फैक्टरियां इस प्रदेश में बनायेगी?

श्री फूलसिंह--यह फैसला तो कुछ हुआ है लेकिन फैक्टरियों के सम्बन्ध में नहीं है सिर्फ यह फैसला किया है कि कितनी शुगर यू० पी० को पैदा करनी चाहिये। अब इधर जो आफिसर मुकर्रर हुआ यह देखने के लिये मुकर्रर किया गया है कि कहां फैक्टरी लग सकती है। उसकी रिपोर्ट पर आइन्दा निश्चित किया जायगा।

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन मुकामों में गन्ने की तादाद ज्यादा होगी उन मुकामों का या एक तहसील का एक यूनिट बना कर वहां एक फैक्टरी कायम करेगी?

श्री फूलसिंह--यह तो निश्चित ही है कि नयी मिलें वहीं लगायेंगे जहां उनके लिय काफी गन्ना मिले, लेकिन फिर यह भी देखना होगा कि वह गन्ना कितने एरिया में मिल सकता है। अगर किसी एरिया में दूर दूर गन्ना मिलता है तो चाहे वह मिल की सप्लाई के लिये काफी भी हो लेकिन उसके लिये सुविधाजनक नहीं होगा। तो इन सब बातों को देखना पड़ेगा।

श्री वीरेंद्रवर्मा--क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेशीय सरकार की ओर से प्रदेश में कुछ कोआपरेटिव शुगर मिल बनाने का इरादा है?

श्री फूलसिंह--जी हां।

श्री वीरेंद्रवर्मा--क्या माननीय मंत्री जी उनकी संख्या और उनके स्थान भी बताने की कृपा करेंगे?

श्री फूल सिंह--दो फैक्टरियों के स्थान तो तकरीबन तय हैं, एक तराई में और एक बागपत में। लेकिन सब के स्थान अभी तय नहीं हैं और ऐसी सम्भावना है कि जहां-जहां नयी फैक्टरियां लगें वहां-वहां कोआपरेटिव बेसिस पर फैक्टरी लगाने को प्राथमिकता दी जाय।

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार के जवाब के बाद मैं यह समझूं कि अगर किसी तहसील में गन्ने की मिक्दार काफी होगी और एक फैक्टरी चलाने के लिये पूरी होगी तो वहां सरकार एक फैक्टरी जरूर कायम करेगी?

श्री फूलसिंह--कई चीजें इसमें रखी जाने वाली हैं। फेक्टनी का मामला अभी तय नहीं हुआ है मगर गन्ना काफी हो और फिर उस गन्ने से जो रिकवरी होने

वाली है उससे फैक्टरी एकोनामिक हो सकती है और अगर कोआपरेटिव बेसिस पर फैक्टरी लगानी है तो काश्तकार रुपया दे सकते हैं। इन सब बातों पर विचार किया जायगा। नहीं तो किसी प्राइवेट व्यक्ति को इस बात के लिये तैयार किया जायगा कि वह फैक्टरी लगाये।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव बेसिस पर प्रान्त में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल कितनी शुगर फैक्टरियां खोली जायंगी ?

श्री फूलसिंह---अभी कुछ निश्चय नहीं। चार की बात तो जरूर है। पर यह सम्भव हो सकता है कि चार से ज्यादा खुलें।

बांसडीह, जिला बलिया के अस्पताल में एक्स-रे की व्यवस्था न होना

*७०---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बांसडीह, जिला बलिया अस्पताल में एक्सरे की व्यवस्था करा देने की सोच रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं।

बलिया जिले में मलेरिया और फाइलेरिया की रोकथाम के लिए कार्य

*७१---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि बलिया जिले में घाघरा के किनारे के गांवों में मलेरिया और फाइलेरिया व्यापकरूप से फैले हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--- सरकार को मालूम है कि बलिया जिले के घाघरा के किनारे के गांवों में फाइलेरिया व्यापकरूप से फैला है। मलेरिया का प्रकोप उतना नहीं है जितना कि फाइलेरिया का। प्रदेशीय सरकार ने १९५५ से केन्द्रीय सरकार की सहायता से बलिया में फाइलेरिया की ठीक स्थिति जानने के लिये सर्वे (Survey) का कार्य आरम्भ किया है।

*७२---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त रोगों के निवारणार्थ सरकार उस क्षेत्र में कौन सी कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---फाइलेरिया के रोकथाम के लिये बलिया जिले में एक फाईलेरिया कन्ट्रोल यूनिट, १९५५ ई० से स्थापित की गयी है। यह यूनिट अभी सर्वे कर रही है। सर्वे का कार्य खतम हो जाने पर कंट्रोल का कार्य करेगी जिसमें फाईलेरिया के कीटाणुओं को मारने के लिये गैमेक्सीन (Gammexan) तथा डी० डी० टी० का छिड़काव और मुफ्त दवायें बांटी जायेंगी। उपरोक्त छिड़काव से मच्छड़ वा अन्य कीटाणु भी नष्ट हो जायंगे।

रत्ना शुगर मिल, शाहगंज, जिला जौनपुर के क्षेत्र में गन्ने की कमी

*७३---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रत्ना शुगर मिल्स, शाहगंज (जौनपुर) को वहां से हटाने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

श्री फूलसिंह---जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मिल के मालिक ने कभी इस प्रकार की लिखापढ़ी की थी ?

श्री फूल सिंह---इस मिल के मालिक ने जो लिखापढ़ी की थी उसमें ज्यादातर यही था कि उस मिल का एरिया डेवलप होना चाहिये । लेकिन उन्होंने खुद कभी इस एरिया को डेवलप करने की कोशिश नहीं की । आगे असली पंचसाला योजना में सम्भव है कि यह एरिया डेवलप हो जायगा ।

श्री बाबूनन्दन---क्या यह मिल अभी तक घाटे पर चल रही है ।

श्री फूलसिंह---यह तो मिलमालिक से ही मालूम हो सकता है ।

श्री बाबूनन्दन--- क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मिल की भलाई में गन्ना का उत्पादन बढ़ाने के हेतु सरकार की तरफ से यह व्यवस्था की जायगी ?

श्री फूलसिंह---मिल मालिक अगर इस तरह की कोशिश करेंगे तो सरकार जरूर सहायता करेगी ।

*७४---श्री बाबूनन्दन---[१८ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

देवरिया जिले की चीनी मिलों में गन्ने की खपत

*७५---श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के चीनी मिलों में गत वर्ष कितना गन्ना पेरा गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--- देवरिया जिले की चीनी मिलों में गत वर्ष पिराई सीजन १९५४--५५ में ३०७, ६२ लाख मन गन्ना पेरा गया ।

देवरिया पंजाबी मिल के लिये गन्ना सप्लाई की व्यवस्था

*७६---श्री रामसुभग वर्मा---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया पंजाबी मिल का गन्ना खरीदने का सेन्टर बाहर किन-किन जगहों पर है ?

श्री फूलसिंह---वर्तमान सिंचाई के सीजन में देवरिया (पंजाबी) मिल के बाहरी गन्ना क्रय केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर रहे हैं :

(१) बरहज, (२) सतराज, (३) बिल्थरा रोड, (४) बनवारी टोला, (५) बरवाजंगल, (६) सोनहला रामनगर, (७) पिपरहिया, (८) करमडीह, (९) भवानीछापर, (१०) नूनखार, (११) सलेमपुर, (१२) पथरदेवा ।

*७७---श्री रामसुभग वर्मा---उन सेन्टरों की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है और उनकी देख-रेख कौन करता है ?

श्री फूलसिंह---उन केन्द्रों की व्यवस्था देवरिया मिल तथा सम्बन्धित सहकारी गन्ना यूनियन करते हैं और वहां कार्य करने के लिए मिल तथा केन यूनियनों के कर्मचारी रहते हैं । देख-रेख के लिए सहकारी गन्ना निरीक्षक तथा गन्ना अधिकारियों के अतिरिक्त अवैतनिक निरीक्षकों की भी नियुक्ति की गई है ।

*७८---श्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया पंजाबी मिल की गत साल की कन्द्रों से क्या सप्लाई थी और गेट पर कितनी थी ?

श्री फूलसिंह--गत वर्ष १९५४-५५ में देवरिया (पंजाबी) मिल को गेट तथा अन्य केन्द्रों से जो गन्ना सप्लाई हुआ था उसकी मात्रा का विवरण इस प्रकार है :--

केन्द्र	सप्लाई किये गये गन्ने की मात्रा (लाख मन में)
१--गेट (रोड सेन्टर्स सहित)	२१.०९
२--बरहज	१.०१
३--सतराब	.५६
४--विल्थरा रोड	.८०
५--नूनखार	२.२८
६--सलेमपुर	.५२
योग ..	२६.२६

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पंजाबी शुगर मिल का कितने मन गन्ना पेरने का कोटा है और उसने कितने मन पेरा है ?

श्री फूलसिंह--अब यह तो मैं कह नहीं सकता कि इसका कोटा क्या है ? पर यह मैं जानता हूं कि यह मिल इस साल १२ दिसम्बर को चली थी और इस मिल में और गन्ना पेरने की गुंजाइश है ।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत साल बनवारी टोला, मरवा, तुनहरी और पत्थरवा सेंटरों से कितना गन्ना सप्लाई हुआ ।

श्री फूलसिंह--गत साल का ही मैंने बतलाया है ।

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में एलोपैथिक अस्पताल की आवश्यकता

*७९--**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर का मड़ियाहूं तहसील में कहां-कहां एलोपैथिक दवाखाना खुलने वाला है ?

श्री बनारसी दास--अभी निश्चय नहीं हुआ है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की ऐडवाइजरी कमेटी ने मड़ियाहूं की आबादी को देखते हुए गोपालपुर, रामपुर बहेड़ी में अस्पताल खोलने की सिफारिश भेजी है ?

श्री बनारसी दास--जी हां, यह सही है कि मड़ियाहूं तहसील में गोपालपुर ग्राम में जिला परामर्शदात्री समिति ने अस्पताल खोलने के लिये सिफारिश की है और यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या सरकार को ज्ञात है कि मड़ियाहूं तहसील की तीन लाख की आबादी होने पर भी कहीं भी एलोपैथिक अस्पताल अच्छे ढंग का नहीं है ।

श्री बनारसी दास—मड़ियाहूं खास में अस्पताल है इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल हैं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगली पांचवर्षीय योजना में कितने अस्पताल मड़ियाहूं में खोलने का विचार है ?

श्री बनारसी दास—पूरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक जिले में कितने अस्पताल खुलेंगे यह तो माननीय सदस्य को मालूम होगा। मड़ियाहूं तहसील में ५८–५९ में जब इंटैंसिव ब्लाक हो जायगा तो एक एलोपैथिक अस्पताल खुल जायगा।

अमरोहे में जच्चा–बच्चा केन्द्र खोलने के लिये साहू जगदीश शरण का दान

*८०—**श्री खयाली राम** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरोहा में जिस एलोपैथी चिकित्सालय के लिये १ लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति दान में मिली है उसको सरकार कब तक निर्माण कर देगी तथा उसमें सरकार कुल कितना रुपया लगा रही है ?

श्री बनारसी दास—अमरोहा में जो सम्पत्ति साहू जगदीश शरण जी से दान स्वरूप मिली है वह ऐलोपैथी चिकित्सालय के लिये नहीं वरन् जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थापित करने के लिये है ।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जच्चा-बच्चा केन्द्र चलाने की योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री बनारसी दास—इसका आदेश सरकार की ओर से दिया जा चुका है।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सम्पत्ति को मिले हुये एक साल से ज्यादा हो गया इसमें इतनी देर क्यों हो रही है ?

श्री बनारसी दास—जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि मार्च के महीने में आदेश दिये गये। देर होने का कारण यह था कि सरकार ने दान दाता को कुछ सजेशन दिये थे। पहले हम यह चाहते थे कि वहां पर टी० बी० सेनेटोरियम हो, लेकिन वह सुझाव उनको मान्य नहीं था। बाद में उनको एक सुझाव दिया गया कि इस सम्पत्ति को बेच कर वहां के मौजूदा चिकित्सा पद्धति के ही साधनों का सुधार किया जाय, लेकिन वह भी उनको मान्य नहीं था। वह यह चाहते थे कि जच्चा-बच्चा केन्द्र वहां पर हो। बाद में उनके सुझाव को मानना पड़ा। इस वजह से देर हुई और मार्च के महीने में ही आदेश दिये गये कि यह केन्द्र कायम किया जाय ।

---

३ मई, १९५६ को विधान सभा की बैठक स्थगित रहने के संबंध में पूछताछ

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कल सदन की बैठक स्थगित रहेगी ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी हां, २१ वीं रमजान है, इसलिये कल छुट्टी रहेगी ।

नोट—तारांकित प्रश्न ८० श्री जगदीश प्रसाद ने पूछा ।

उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९५६

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—मैं उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराय की वसूली और बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९५६ को, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २४६-२४७ पर)

उत्तर प्रदेश रूई ओटने और उसकी गांठ बनाने के कारखानों का (संशोधन) विधेयक, १९५६

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—मैं उत्तर प्रदेश रूई ओटने और उसकी गांठ बनाने के कारखानों का (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २४८ पर)

*उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६

†खंड ४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६ पर विचार जारी रहेगा।

****श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह कह रहा था कि सरकार जो इस कानून में ऐसी व्यवस्था कर रही है कि मालगुजारी के अदा न करने वालों पर मुकदमा चलाया जाय और मुकदमें से उनको सजा दिलायी जाय...

मैंने जो संशोधन रखा है उसका अर्थ यह है और उसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनके ऊपर मुकदमा चला कर जेलखाना भिजवाने और सजा दिलवाने के विचार को सरकार छोड़ दे और मालगुजारी की तरह रुपया वसूल करने की व्यवस्था करे। मैं नहीं समझ सका कि सरकार मालगुजारी वसूल करने में ढिलाई करके जेलखाना भिजवा कर उससे क्या ले सकती है। जेलखाने जाकर अगर करोड़ों रुपये की मालगुजारी से छूट मिल सके तो कोई भी आदमी जेलखाना जाना पसन्द कर सकता है यद्यपि जिस खंड पर इस समय विचार चल रहा है उससे यह स्पष्ट है कि मालगुजारी की अदायगी पर असर नहीं पड़ेगा और यदि मालगुजारी वाले आदमी पर मुकदमा चले और सजा भोगे। लेकिन मुझे इस बात का डर है, जैसा मैंने इस वक्त देखा है कि पिछले वर्ष इस कानून में लिखा गया कि इस अधिनियम के उल्लंघन करने वाले मिल-मालिकों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि बावजूद इन सारे अख्तियारात के आज भी यह कहा जा सकता है कि केन सेस की एक बहुत बड़ी रकम बाकी है। पिछले वर्ष माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य ने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया था कि अगस्त ५५ तक केन सेस की रकम का १,७९,५५,००० रुपया बकाया था। इतने रुपये का बकाया रहना यह स्पष्ट करता है कि

---

*२६ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

†१ मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार के वसूली कुनिन्दा ने ढिलाई दी और इस रकम को वसूल नहीं किया। यदि वसूल करने की कोशिश की होती तो एक करोड़ ७९ लाख रुपये की रकम बकाया न रह जाती। मैं तो यह सोचता हूं कि जिस तरह से जमीन की मालगुजारी वसूल हो जाती है, उसके लिये किसी को जेलखाने भेजने की और जुर्माना करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी प्रकार मिल मालिक के ऊपर भी ताकीद करके, सख्ती करके केन सेस की रकम वसूल की जा सकती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जमीन की मालगुजारी वसूल करने के लिये किसी काश्तकार को किसी जमीन जोतने वाले के लिये जमीन के कानून में यह बात रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि यदि वह मालगुजारी की बकाया रक्खेगा तो उसको जेलखाने भेजा जायगा। यदि ऐसा प्रावीजन कोई हो तो सरकार बतायें। काश्तकार जो जमीन का जोतने वाला है उसके ऊपर १३६२ फसली में १९ करोड़ ५४ लाख रुपया ड्यू था। उस रुपये में से १९ करोड़ ३८ लाख रुपया वसूल हो गया। इस वर्ष मालगुजारी विभाग की ऐक्टीविटी की जो रिपोर्ट है उसके १६ वें पेज पर मैं इस बात को आधारित कर रहा हूं। तो जब इतनी बड़ी रकम जमीन जोतने वालों के घर से बगैर जेलखाने भेजे हुए मिल सकती है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसके लिये भी मिलमालिकों को जेल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो जायगा तो केन सेस की रकम वसूल करने में ढिलाई होगी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या वसूल करने वाले अधिकारी को इस बात के लिये छूट होगी कि जिस वक्त वह ड्यू हो जाय मालगुजारी वसूली की कार्यवाही करे। क्योंकि कानून में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि किस वक्त ऐसा मुकदमा चलाया जाय। इसके मानी हैं कि जिस दिन वह रकम ड्यू होगी उसी दिन वह उस पर मुकदमा चला सकता है। तो फिर वसूल करने की जो प्रवृत्ति है, वसूल करने की तबियत अधिकारी की नहीं होगी, वह तो निश्चिन्त सोवेगा और समझेगा कि हम तो मुकदमा चला देंगे और उसको सजा हो जायगी और इस डर से वह अदा कर देंगे और नहीं तो अदालत का रास्ता खुला है।

मैं समझता हूं कि तुलना करने के बाद इस क्लाज को नहीं रखना चाहिए और निकाल देना चाहिए। मैंने सदन को समझाने की कोशिश की कि मालगुजारी की वसूली में बड़ी सफलता हुई है, १९ करोड़ ५४ लाख में से १९ करोड़ ३८ लाख वसूली हो गई, यह प्रशंसनीय वसूली है। उसमें थोड़ी सख्ती होती है यह मैं मानता हूं और मालगुजारी की वसूली तो लाखों आदमियों से होती है जिनमें बहुत लोग गरीब हैं। तो क्या आप इन ६६ आदमियों से वसूली करने में बहुत बड़ी दिक्कत समझते हैं? क्या बगैर मुकदमा चलाये काम नहीं चलेगा? एक चीज जरूर मिनिस्टर साहबान को रोकनी पड़ेगी कि जब वह जिलों में जाया करें तो वह हम जैसे लोगों की दावत कबूल किया करें और मिल मालिकों की दावतों को, केन सेस और केन प्राइस की बकाया रखने वाले मिल मालिकों की दावत वह मंजूर न किया करें। वह देखें कि केन सेस और केन प्राइस इसीलिए बकाया रहती है कि जब मिनिस्टर साहब उनके यहां जाते हैं तो मिल मालिकों से उनकी घुल मिलकर बात होती है और इससे उनकी हिम्मत बढ़ती है और नतीजा उसका यह होता है कि कलेक्टर तक की हिम्मत नहीं होती कि वह उन पर वारन्ट जारी कर सके। फिर तहसीलदार की क्या हिम्मत हो सकती है कि वह उनके खिलाफ कुर्की जारी करे और केन सेस वसूल करे? इसलिए उनसे मिनिस्टर लोग मेल मुरव्वत न करें। अगर ऐसा होगा तो किसी की हिम्मत न होगी कि केन सेस या केन प्राइस को रोके। हमने सुना था कि एक बार शाहजहांपुर के एक अंगरेज कलेक्टर ने गवर्नर साहब को एक साहब के यहां चाय पिलवा दी लेकिन थोड़े दिन बाद गवर्नर साहब को मालूम हुआ कि वह रईस ऐसे हैं कि उनका डकैतों से साथ रहता है तो उस जमाने के गवर्नर ने उस कलेक्टर को फौरन उस जिले से वापस बुला लिया और कहा कि तुम कलेक्टरी के लायक नहीं हो।

[श्री गेंदासिंह]

इसलिये मैं आज मिनिस्टर साहबान को सलाह देता हूं कि जिन मिलमालिकों के पास केन सेस या केन प्राइस बाकी है वह उनके यहां दावत न खाने का एक धर्म बना लें और उनका एक तरह का सामाजिक बहिष्कार कर दें, हमारे सामाजिक बहिष्कार की तो कोई वकत नहीं है, हम उनके यहां नहीं जाते हैं तो वह कहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि नहीं आए लेकिन अगर मिनिस्टर साहबान उनका बहिष्कार करेंगे तो उनकी हुलिया टाइट हो जायगी और जो केन सेस और केन प्राइसवी बकाया है उस पर इस सोशल बाइकाट की बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। अगर इस चीज को वह अपनावेंगे तो फिर किसी किस्म की ऐसी चीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, अगर मंत्रीगण अपने पर जरा काबू रखें तो उसी से काम बन जायगा। तो मैं यह सुझाव देता हूं कि और उम्मेद करता हूं।

कल और आज में करीब दस घंटे का फर्क हो गया है, इसलिए अब तो ठाकुर साहब ने समझ लिया होगा, हमारे साथी कह रहे थे कि उन्होंने कई संशोधन को नामंजूर कर दिया है तो यह संशोधन ऐसा है कि इसमें एक अच्छा काम करना है, एक आदमी के साथ रियायत करना है। मिलवालों के साथ रियायत करना चाहते हैं और रुपया लेना चाहते हैं, जेलखाने नहीं भिजवाना चाहते हैं। हमारे कानून के भीतर अध्यक्ष महोदय, मालगुजारी वसूल करने के जितने तरीके हैं वे सारे तरीके खुले हुए हैं इसके वसूल करने में। कुर्की कर लेना मवेशी, माल, जायदाद को और आदमी की भी कुर्की कर लेना और हवालात में रख देने का अख्तियार है। सजा देने का अख्तियार नहीं है इतना जरूर है। वह वारंट में गिरफ्तार हो सकता है और उसके हथकड़ी लग सकती है। हथकड़ी चपरासी के पास होती नहीं, साफा होता है, साफा लगा सकता है और साफे को लगा कर तहसील के हवालात में बन्द कर सकता है। तो हवालात में बन्द करना मिल मालिकों को आसान बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि जरा मेहरबानी करके बतलायें कि कितने मिलमालिकों पर जो १ करोड़ ७९ लाख की रकम पिछले अगस्त तक बाकी थी उसको लेने के लिये कार्यवाही की गई। जिन कार्यों के लिये सरकार को हमने अख्तियार दे रक्खा था इस सदन ने दे रक्खा था तो किस मिलमालिक को २ घंटे के लिये भी हिरासत में बन्द किया गया केन सेस की रकम, बकाया रकम को वसूल करने के लिये? अगर उस काम को सरकार ने किया हो तो आज हमसे वह जेलखाने भिजवाने का अख्तियार ले लें। सरकार इसलिये यह अख्तियार नहीं ले रही है कि केन सेस को वसूल करना है। सरकार इसलिये यह अख्तियार ले रही है कि उसके अधिकारियों को मिलमालिकों पर खौफ पैदा करना है। खौफ इस लिये पैदा नहीं करना है मिल मालिकों के ऊपर कि हमारे रेवेन्यू को वसूल करना है, रेवेन्यू की रकम तो वारेंट कुर्की से वसूल हो सकती थी। कलेक्टर को अख्तियार था कि वह वारेंट जारी करे ....

श्री अध्यक्ष—आप वही बात दोहरा रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि इतनी बात कहने की, दोबारा कह देने की गलती की, इन सारी गलतियों के बाद ठाकुरसाहब के ऊपर अगर कुछ असर पड़ा होगा तो वह इसको मंजूर करने की मेहरबानी फरमायेंगे।

नियोजन उप मंत्री (श्री फूलसिंह)—अध्यक्ष महोदय, सच बात है, कल जो बहस इस भवन में हुई मैं उस पर रात को सोचता रहा कि श्री गेंदासिंह जी से मतभेद करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये और मैं यह भी सोचता रहा कि जो संशोधन पेश किये हैं माननीय गेंदासिंह जी ने, जब वे कल आयेंगे तो शायद उनको पेश नहीं करेंगे। मगर जो उनका भाषण हुआ उससे कल जो मुझे उनके मुताल्लिक शिकायत थी वह आज और भी पक्की होती जा रही है। जो धारा अब है ५ यह सन् ५३ के ऐक्ट की धारा २२ है। सन् ५३ में यही

सजा मौजूद थी। माननीय गेंदासिंह जी का कहना यह है कि चूंकि यह सजा ऐक्ट में होते हुए सेस का रुपया वसूल नहीं हो सका है तो अब सेस का रुपया वसूल करने की तरकीब यह है कि इस धारा को निकाल दो। माननीय गेंदा सिंह जी यह कहना चाहते हैं कि मिल मालिक के हाथ बहुत नाजुक हैं, कलेक्टर के हाथ में सजा का अख्तियार न डालना चाहिये। जब रात बीती तो यह और तरक्की की कि सजा तो मत दो और यह डर भी न रहे। अभी आपने भाषण दिया कि कलेक्टर के हाथ में यह अधिकार देने से मिल मालिकों को डर उत्पन्न होगा। माननीय गेंदा सिंह जी डर भी नहीं रखना चाहते और जो भाषण दिया उससे असलियत को छिपा दिया। अगर उनका संशोधन पढ़ा जाय तो उसका अर्थ यह होगा कि संशोधित धारा के मानी यह हो जायंगे कि अगर सेस कोई न दे तो तब तो कैद नहीं हो सकती लेकिन वह धारा १० है जिसमें नियम बनेंगे और अगर उन नियमों का उल्लंघन करे तब कैद कर दो। आप देखेंगे कि आगे धारा १० में कौन-कौन नियम बनेंगे। एक नियम तो यह बनेगा कि वह जो उनसे इंफार्मेशन मांगी जाय वह इंफार्मेशन वे सप्लाई किया करें और जो उनसे रिटर्न मांगे जायं वे रिटर्न दिया करें। माननीय गेंदा सिंह जी यह चाहते हैं कि रिटर्न दाखिल न करें तो ६ महीने की कैद और सेस न दें तो कोई कैद नहीं। कल उन्होंने दो डिफरेंट बातें कहीं। पहले कहा कि मैं सेस लगाने के हक में हूं और अन्त में कहा कि मैं इसके लगाने के हक में नहीं हूं। फिर माननीय उपाध्याय जी ने कल उनकी वकालत की। मैंने समझा कि मैंने ज्यादती की। अपने मित्रों के साथ कि मैंने उनकी नीयत पर हमला किया। मेरी आदत नहीं है कि मैं यहां किसी के मुताल्लिक कोई बात कहूं लेकिन आज के संशोधन से यह निश्चित है कि माननीय गेंदासिंह जी यह चाहते हैं कि सेस किसी तरह से वसूल न हो। सेस लगाने पर जो धारा है उसको वह नामंजूर करना चाहते हैं। यह बात जो विरोधी दल के नेता के जरिये कही जाय तो मुझे ताज्जुब हुआ फिर विरोधी दल का नेता तो दूर रहा मैं गेंदा सिंह जी को और लोगों से भिन्न समझता हूं। माननीय गेंदा सिंह जी जो यह बात कहते हैं और कहते यों है कि मिनिस्टर्स दावत खाते हैं उनके यहां इसलिये यह संशोधन कर रहे हैं। चूंकि मिनिस्टर्स मिल मालिकों के यहां दावत खाते हैं इसलिये गवर्नमेंट को तजवीज कर रहे हैं कि उनको कैद का अधिकार हो और चूंकि गेंदासिंह जी मिल वालों के साथ दावत नहीं खाते हैं तो वे चाहते हैं कि उनको कैद का अधिकार न हो। कल जो सुना था और आज यह बात निश्चित है कि आपकी कोशिश यह है कि किसी तरह से मिल वालों से सेस वसूल न हो।

जितने संशोधन आपने इस ऐक्ट में किये एक-एक संशोधन को देख लें कोई संशोधन ऐसा नहीं जो इस विचार से भिन्न पड़ता हो। मुझे तो बड़ा खेद है कि मैं अपने मित्र के सम्बन्ध में ऐसे विचार रखता हूं। मैं आज भी आशा करता हूं कि शायद किसी दिन वह कहें कि मैंने जो संशोधन इस भवन में पेश किये थे वे शायद उचित नहीं थे ऐसे व्यक्ति के लिये जैसे हमारे मित्र हैं। तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता और मैं आशा करूंगा कि अपना संशोधन वह वापस ले लेंगे और यह बिल पास हो जायगा।

*श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मालूम नहीं क्या हो गया है मैं ठाकुर साहब को समझ नहीं पाता हूं। असल में मेरे मुंह से वह देहाती बात दावत की निकल गयी थी। हालांकि मैंने उसको बाद में सामाजिक बहिष्कार कहा। पहले कह दिया होता तो मैं शायद इतनी गलती में न पड़ता। मैंने दावत का खामखा नाम ले लिया। मैं कहता हूं कि हमारे सामाजिक बहिष्कार की उतनी वक्त नहीं है जितनी वक्त अगर मंत्री-गण करते हैं तो होती है। इससे इनकार ठाकुर साहब नहीं कर सकेंगे। अगर माननीय मंत्री जी किसी से मिलने या घर जाने से इनकार कर दें तो अखबारों में इसकी चर्चा होगी और जिस आदमी के घर जाने से इनकार कर दिया है, वह उसको एक थोड़ी सी चेतावनी समझेगा कि हमने कौन सा ऐसा बुरा काम किया है जिस के कारण हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारे यहां आने से इनकार कर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह प्रश्न सामने नहीं है। आपने संशोधन यह नहीं रखा है। अगर आप संशोधन यह रख देते कि मंत्री जी उन लोगों के यहां न जायं तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री गेंदासिंह—संशोधन नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है। असल में मैंने उपायों को बताया कि ये ऐसे उपाय हैं जिनसे केन सेस की रकम बकाया नहीं रह सकती। ठाकुर साहब ने दो तीन बातें जो मैंने कही थीं उनको बिलकुल भुला दिया और उसका उत्तर नहीं दिया। मैं यह कहता हूं कि पिछले वर्ष का उदाहरण १३६२ फ० का रखूं। जमीन की मालगुजारी १९ करोड़ ५४ लाख रुपये हम को मिलनी थी और इस १९ करोड़ ५४ लाख रु० में से १९ करोड़ ३८ लाख रुपये बगैर किसी को सजा दिये हुए, किसी को जेल भेजे हुए, किसी पर जुरमाना किये हुए वह रकम मिल गयी। मैंने यह भी निवेदन किया कि यह रकम लाखों आदमियों से, करोड़ों आदमियों से वसूल हो गयी है। उसी तरह से सिंचाई रेट की रकम कोई कम रकम नहीं थी।

कैबाल का पिछले साल ७ करोड़ ३६ लाख रुपया था। इस साल ७ करोड़ २२ लाख रुपया वसूल हो गया है और उस वक्त जिस वक्त सत्याग्रह हो रहा था लोग मना कर रहे थे कि ड्यूज मत दो और हम भी मना कर रहे थे। लेकिन फिर भी ७ करोड़ ३६ लाख में से ७ करोड़ २२ लाख रुपया लोगों ने दे दिया बिना जेल खाने को भेजे हुए। स्पेशल पावर्स ऐक्ट भी बेचारा हाईकोर्ट में जाकर मर गया। यह रकम मिल गयी। मैं कहता हूं कि इतनी रकमों को वसूल करने के लिये किसी को जेल खाने में भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, जेल खाने में भेजने की नौबत नहीं आयी।

वह कहते हैं कि केन सेस की रकम को वसूल करने देना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं कि ठाकुर साहब बिलकुल हाथ धोकर बैठे हैं कि केन सेस की रकम वसूल होने न पाये। मैं अध्यक्ष महोदय, आप को याद दिलाऊं। जिस वक्त माननीय राम सुन्दर जी ने पूछा कि जरा यह तो मेहरबानी करके बता दीजिये कि गोरखपुर कमिश्नरी में कितना रुपया बकाया है, कितना रुपया पावना था, हमारे ठाकुर साहब उसका जवाब स्पष्ट देना नहीं चाहते थे। उन्होंने जो उत्तर दिया मैं स्वयं उसको समझ नहीं पाया। वह उसको स्पष्ट नहीं कहना चाहते थे कि गोरखपुर कमिश्नरी में कितना रुपया कितने लोगों पर बकाया है। जब राम सुन्दर जी ने पूछा कि यह तो मेहरबानी करके बता दीजिये कि एक लाख रुपये से ऊपर कितने लोगों के ऊपर बकाया है। उसके लिए भी उन्होंने सूचना चाही। शुगर केन सेस पर बहस हो रही है और शुगरकेन सेस की बकाया वसूल करने के लिए यह कानून बना रहे हैं और इस माननीय सदन का दो दिन से वक्त ले रहे हैं और जो मिनिस्टर इस बिल को पायलट कर रहा है उसको यह भी जानकारी नहीं है कि एक लाख के ऊपर बकाया रखने वाले कितने आदमी हैं। वह हमसे यह चाहते हैं कि आंख मूंद करके निशान बना दें, अंगूठा लगा दें। मैं समझता हूं कि किसी भी मिनिस्टर को जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये, माननीय सदन की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए किजिस वक्त वह कहता कि इसकी मंजूरी दो उसको पूरी तरह से तैयार हो कर आना चाहिए कि किस वजह से यह बिल लाया जा रहा है, किस वजह से ऐसा प्राविजन बनाया जा रहा है। अगर रकम वसूल नहीं होगी तो वह जेलखाने भेजेगा अगर वह इस बात की जानकारी सदन को नहीं कराता है तो मैं समझता हूं ज्यादती करता है यह कहने में कि मैं उस मालगुजारी और उस केन सेस की वसूली का विरोधी हूं। मैं सोलहों आने इल्जाम सरकार के ऊपर लगाता हूं क्योंकि कुछ लोग उसके दोस्त हैं और कुछ लोगों से तो वह तुरन्त का तुरन्त वसूल करना चाहती है और कुछ लोगों को वह सालों का मौका दे सकती है और आज मैं पूछना चाहता हूं और इसकी सफ़ाई ठाकुर साहब को देनी चाहिये कि सरदार साहब गोरखपुर के पास कितने लाख रुपया अब तक बाक़ी हैं। पीलीभीत के राजा साहब पर

कितना रुपया बाक़ी है, बहेड़ी के मिल मालिकों पर कितना रुपया बाक़ी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माननीय मौर्य जी को जो जवाब दिया गया था और देवरिया में ३६ लाख, गोरखपुर में १६ लाख ६५ हजार रुपया बाक़ी था, बरेली में १५ लाख ४६ हजार, पीलीभीत में १८ लाख ३ हजार, सीतापुर में २३ लाख २१ हजार, यह जो सब रुपया बाक़ी था आख़िर इतनी बक़ाया उस वक्त तक जब मुकदमा हाईकोर्ट ने फ़ैसल नहीं किया था उस वक्त तक क्यों केन सेस की वसूली सारे के सारे उपायों से जो सरकार ने कानून बना रखा था उसमें थी, कर पायी और १ करोड़ ७९ लाख रुपया बाक़ी रहा। पंचायत टैक्स के बारे में तो सरकार ने फ़ैसला किया कि अगर एक पैसा भी किसी पर बकाया रहा तो वह पंचायत के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन १ करोड़ ७९ लाख जिन पर बकाया था उन पर क्या कार्यवाही सरकार ने की? मैं कहता हूं कि इन लोगों का सोशल बायकाट कर दिया जाय। मैं बताऊंगा कि सरदार साहब के पास जितना हमारा केन सेस बकाया था उसके बावजूद भी हमारे एक सबसे जिम्मेदार मिनिस्टर ने उनकी दावत कबूल की। मैं कहता हूं कि जिन लोगों के ऊपर इतना पाप करने का इल्जाम हो, केन सेस की रकम नहीं देना चाहते हों उनके यहां हरगिज नहीं जाना चाहिये। हमारे किसी भी मिनिस्टर को दावत के लिये और उनका सोशल बायकाट करना चाहिये। मैं तो कहना चाहता था अध्यक्ष महोदय, केन सेस की रक़म जहां वसूल हो वहां पर खर्च किया जाय, खर्च करने के तरीके हम बताना चाहते हैं और बताते रहेंगे। लेकिन उस तरीके को बताने में सरकार हमसे कहती है कि तुम वसूल नहीं कराना चाहते हो। तो यह सरकार की मर्जी है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा हक है और हम आज भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि एक पैसा भी किसी मिलमालिक के पास बकाया रहे और जो मैं संशोधन रख रहा हूं उसके जरिये केन सेस का एक-एक पैसा वसूल हो सकता है। कानून तो मिल मालिकों को डरवाने के लिये बनाया जा रहा है और सरकारी अधिकारियों को बेकार में उस डर से फायदा उठाने के लिये बनाया जा रहा है।

श्री फूलसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि गेंदासिंह जी ने जो बात मैंने कही थी उससे फ़ायदा नहीं उठाया। उनका कहना यह है कि चूंकि कुछ मिलों की रियायत सरकार करना चाहती है और उनसे रुपया वसूल नहीं किया, इसलिये हम यह चाहते हैं कि सजा की धारा निकल जाय ताकि फिर सभी की रियायत हो जाय। जो दावत की बात उन्होंने कही मैं पूछना चाहता हूं कि कोई मिनिस्टर किसी फैक्ट्री में दावत खा आये और वही मिनिस्टर ने यह फ़ैसला किया कि उनको कैद की जाय तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह ज्यादा ईमानदार है या वह जो बिना दावत खाये भी सजा न देने के हक में हैं? वे कहते हैं कि जैसे मालगुजारी वसूल हो जाती है ऐसे ही मिलों से भी रुपया वसूल हो जाना चाहिये। तो माननीय सदस्यों को मालूम है कि जो फ़ैक्ट्रीज चलती हैं उनके ऊपर बड़ा भारी कर्ज हो जाता है, बैंक्स का भी होता है, गवर्नमेंट ड्यूज का भी हो जाता है, ऐक्साइज का भी हो जाता है और केन प्राइज का भी हो जाता है। अब अगर दो हिस्से हैं प्रापर्टी के मिल मालिकों के, एक मूवेबुल और एक इम्मूवेबुल, तो जैसे शुगर है अब जो मिलें पैसा देने में देर करती हैं उनकी शुगर कब्जे में कर ली जाती है और उसका पैसा सरकार वसूल कर लेती है। लेकिन अगर मिल को भी नीलाम किया जाय तो कई कठिनाइयां उत्पन्न होंगी और यह कठिनाइयां शुगर के सम्बन्ध में भी उत्पन्न होती हैं। अगर शुगर को बेच कर सरकारी ड्यूज हम पहले ले लें तो किसानों के गन्ने के दाम की भी दिक्क़त हो जायगी। तो सरकार यह पसन्द नहीं कर सकती कि सरकारी पैसा पहले वसूल हो जाय और किसानों का पैसा वसूल हो या न हो। और फिर दूसरी दिक्क़त यह कि अगर किसी मिल के जिम्मे सेस का एक लाख रुपया हो और उस मिल के ऊपर और कर्जे हों एक करोड़ के ऊपर के, और मिल ८० लाख की बैठे तो फिर उसे बेच कर और लोगों को भी दें। तो मेरे ख्याल से यह बात बहुत मुश्किल है। महज नीलाम करके यह रुपया वसूलना उतना आसान नहीं है जितना कि किसानों से वसूलना होता है। किसी मिल को नीलाम कर दिया जाय तो उस मिल का तो चाहे जो भी हो लेकिन उस इलाके के किसानों के गन्ने का क्या होगा? तो यह बहुत सारी कठिनाइयां हैं।

[श्री फूल सिंह]

यह बात कही जा रही है कि सेस वसूल क्यों नहीं किया गया। पिछले सालों में सेस ही नहीं जब सरकार को इस बात की जरूरत होती है कि फैक्ट्री देर तक चलती रहे, जैसा कि पिछले सालों में हुआ कि मई का महीना आने के बाद हर फैक्ट्री यह धमकी देती है कि हम फैक्ट्री बन्द करना चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी शक्कर नहीं बिकी है, तो उन मौकों पर अपनी गरज के लिये, किसानों की हित की हिफाजत के लिये सरकार किसानों के गन्ने के दाम भी रोकने के लिये और अपने ड्यूज भी छोड़ने के लिये तैयार होती है ताकि किसी तरह से मिल चलती रहे और किसानों का नुक्सान न हो। तो यह सब बातें माननीय गेंदा सिंह जी मेरे कहे बगैर भी समझ सकते हैं। उनके साथ रियायत करनी पड़ती है, बिला रियायत के वह चल नहीं सकतीं। तो यह बात बहुत साधारण थी और मैं चाहता था कि माननीय गेंदा सिंह जी इसको वापस ले लेते। लेकिन वापस तो उन्होंने नहीं लिया। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति १ और २ के प्रारम्भिक शब्द "अथवा" तक हटा दिये जायं और पंक्ति २ में शब्द "इस" के पूर्व शब्द "यदि कोई व्यक्ति" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

कार्यवाहियों की संस्थिति (Institution)

५—(१) गन्ना आयुक्त या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा, अथवा उनके प्राधिकार के अधीन किये गये किसी परिवाद (Complaint) के बिना इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन संस्थित नहीं किया जायगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति (person accused) के प्रार्थना-पत्र पर गन्ना आयुक्त, अथवा आयुक्त की पूर्व सहमति से जिला मैजिस्ट्रेट राजीनामे के शुल्क के रूप में अधिक से अधिक पांच हजार रुपये लेकर उक्त अपराध के संबंध में किसी भी स्तर पर राजीनामा कर सकता है।

(३) द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से निरन्तर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम अथवा तदन्तर निर्मित किसी नियम के विरुद्ध किसी अपराध का परीक्षण नहीं करेगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

खंड ५ के उपखंड (२) में सरकार ने गन्ना आयुक्त को या गन्ना आयुक्त की सहमति से जिला मैजिस्ट्रेट को ऐसे किसी मुकदमें में जो कि अदालत में भेज दिया गया हो मिल मालिक के साथ राजीनामा करने का अधिकार दिया है और उसमें यह शर्त रखी है कि ५ हजार रुपया लेकर राजीनामा कर ले। तो यह राजीनामे वाली बात मैं नहीं समझता कि उचित है। अगर किसी ने कानून की अवहेलना की, जो कानन बनाया गया और जिस किसी के जिम्मे बकाया है उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो फिर राजीनामे का सवाल नहीं उठता। लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर राजीनामा ही सरकार करना चाहे तो कहीं भी यह इसमें नहीं रखा गया कि राजीनामा करने के पहले सेस का जितना बकाया अथवा जो उसका सूद है, अर्थ दंड है, वह सबले कर के तभी वह राजीनामा हो सकेगा। जब

तक कहीं स्पष्ट इसका उल्लेख नहीं किया जायगा तब तक केन आयुक्त अथवा जिला मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह राजीनामा कर ले और बकाया को फिर लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल करता रहे। लेकिन राजीनामे के पहले यह शर्त लाजिमी होनी चाहिये कि जो कुछ हो वह अदा हो करके तभी राजीनामा होना चाहिये। तो इस सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन इस आशय का कल दिया था, लेकिन एजेंडे में वह छपा नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह ऐसा प्रतिबन्ध अपनी तरफसे इसमें जोड़ दें कि राजीनामा तब तक नहीं किया जायगा जबतक कि वह सारी बकाया अदा न हो जाय तो ज्यादा उचित होगा। मैं यह नहीं कहता कि केन आयुक्त या मैजिस्ट्रेट ऐसा काम करेंगे जिसमें सरकार की रजामन्दी न हो। मैं समझता हूं सरकार से इस बारे में राय लेकर तब वह राजीनामा करें और मैं तो यह समझता हूं कि बकाया सारी वसूल करके तभी राजीनामा करें। सारी बकाया पड़ी रह जाय, और राजीनामा भी कर ले अदालत में, इस पर कोई भी तैयार नहीं होगा। फिर भी कानून का मंशा पूरा होने के लिये स्पष्ट विधान होना चाहिये तभी पिक्चर कम्पलीट होगी। तो या तो माननीय मन्त्री महोदय स्वयं अपनी तरफ से कोई संशोधन करा लें या मेरा संशोधन देख कर उसे स्वीकार कर लें तो इससे इनका काम बिगड़ता नहीं, बनता ही है। अगर उस प्रतिबन्ध को नहीं रखते हैं तो इस धारा के रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। यह धारा सिर्फ नुक्सानदेह भी साबित हो सकती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मिल वालों की पहुंच बहुत ज्यादा होती है और मिल वाले अपना असर डाल कर वह राजीनामा करा भी सकते हैं जिला मैजिस्ट्रेट से, यह वादा कर के कि हम अदा कर देंगे, इस वक्त मुसीबत में हैं। तो ऐसी खामी इस विधेयक में नहीं रहनी चाहिये। इस लिये मैंने जो संशोधन की बात कही है इस आशय को या मेरे संशोधन को उचित रूप में मैंने दिया है उसको स्वीकार कर ले तो वह भी ठीक है, वरना यह धारा निकाल दी जाय।

*श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं। आखिर इसके पहले जो धारा ४ थी, उसमें मिल मालिकों के लिये एक बड़ी भयावह दंड देने की व्यवस्था रखी गयी थी, जो उचित मालूम होती थी कि अगर सेस नहीं देते हैं तो उनको सजा दी जाय, लेकिन उसके बाद ही यह धारा ५ ऐसी है कि जिससे सारी व्यवस्था जो उनको दंड देने की थी वह खत्म हो जाती है। मैं तो यह समझता हूं कि यह बिल, जो मालूम होता है कि मिल मालिकों के लिये बहुत ही कठोर है, वास्तव में ऐसा नहीं है। यह बिल "full of sound and fury but signifying nothing" यह कहा जाय तो सही है कि वैसे तो बड़े जोरदार शब्दों में रखा गया है, मगर अर्थ कुछ नहीं। मौर्य जी ने कहा कि अगर उनको वसूल करना है और आप को सख्ती बरतनी है तो फिर यह धारा क्यों रखी गयी है। वह आदमी जो सेस नहीं देता है, एक अप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या केन कमिश्नर को दे दे तो वह इस प्रकार राजीनामा कर सकता है, और रुपया कितना? ५ हजार रुपया देकर अप्लीकेशन दे सकता है। अब लाखों रुपया उस पर सेस बकाया है, तो ५ हजार रुपया दे कर के वह यह कर सकता है कि काफी, अनलिमिटेट पीरियड के लिये उससे बच सकता है, उस सजा से बच सकता है और सेस देने से भी बच सकता है। तो किस प्रकार यह उचित है यह मेरी समझ में नहीं आया इसमें केवल यही उद्देश्य हो सकता है कि मिल मालिकों को पहिले डराओ और फिर कुछ राहत देने की व्यवस्था कर के अपनी ओर खींच लो। जो सारी सख्ती की व्यवस्था इसके वसूल करने में रखी गयी है वह इस खंड ५ के उपखंड १ से बिगड़ जाती है, इसलिये वह अवश्य ही निकाल दिया जाना चाहिये।

*श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पांचवें खंड का उपखंड (२) जो है अगर उसके यह माने लगाये जायं कि जिस मिल मालिक ने सेस की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

रकम नहीं दी है और वह बाकी है और वह रकम और तरीकों से वसूल न हो और आखिरी हथियार गवर्नमेंट को इस्तेमाल करना पड़े उसको मुकदमा चलाना पड़े और इतना संगीन जुर्म उसका बना दिया जाय लेकिन उसके बाद पांच हजार रुपया ले कर कोई समझौता हो जाय, अगर इसके मायने यह लगाये जायं कि बकाया सेस भी उसका खत्म हो जायगा तो मेरे ख्याल में यह राय ठीक नहीं है। यह ठीक है कि इसकी भाषा ऐसी है जिससे गलतफहमी हो सकती है लेकिन जो कामनसेन्स कहता है उसके हिसाब से तो मैं यही अर्थ लगा सकता हूं कि सेस को वसूलने के दूसरे तरीके इस्तेमाल किये गये हैं और उससे वह रकम वसूल नहीं हुई और आखिरी हथियार इस्तेमाल किया गया। अब मुकदमा चला कर और मुकदमा चलाने के बाद मुकदमा वापस लिया जाय तो हर्जाने की तौर पर पांच हजार रुपये तक की रकम ले कर उस मुकदमे को वापिस लिया जायगा। यहां तक तो मैं समझता हूं लेकिन यह इसके माने नहीं हो सकते कि सेस की रकम १० लाख बाकी है तो वह पांच हजार और पांच हजार तो मैक्सिमम है जैसा ख्वाजा साहब ने कहा कोई मिनिमम लिमिट नहीं है दो रुपये भी हो सकती है और दो रुपया ले कर १० लाख की रकम खत्म हो जायगी यह नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूं कि जो मौर्य जी का संशोधन है जो उनका डर है उसको साफ कर दिया जाय और यह माने तो हरगिज लगाये नहीं जा सकते और न कोई गवर्नमेंट इस तरह पर माने लगा कर उस पर अमल कर सकती है। मैं समझता हूं कि उपमंत्री जी इसको साफ़ करेंगे कि इस तरह से पांच हजार से कम रकम लेकर मुकदमा जो आखिरी हथियार रकम वसूल करने का है वापस लिया जा सकता है लेकिन यह कि दो रुपया भी ले कर १० लाख रुपये की रकम को माफ करने का अधिकार किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे दिया जाय यह कभी उसके माने नहीं हो सकते। जो लैंड रेवेन्यू के एरियर्स होते हैं वह माफ नहीं होते। जब तक वह कम्पनी इस तरह से चलती रहेगी, लिक्वीडेशन उसका नहीं हो जायगा, जब तक उसके असेट्स चौपट नहीं हो जायेंगे तब तक वह सेस कायम रहेगा और गवर्नमेंट को उस को वसूल करना पड़ेगा और करना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसको साफ कर के मौर्य जी की गलतफहमी को दूर कर दे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मौर्य जी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। लाखों रुपया मिलमालिकों के पास बाकी है और वह जो कानून इसमें बन रहा है कुछ लचर सा दीखता है कि अगर उन्होंने सुलह कर ली पांच हजार देकर तब तो लाखों रुपये का सरकार का नुक्सान हो जायगा और सेस का पैसा वसूल नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि अगर इसमें इतना ऐड कर दिया जाय कि बाकी रुपया वसूल कर के ही सुलह होगी तब मैं समझूंगा कि यह उत्तम है। जब हमारा कानून तैयार होगा और अगर हाई कोर्ट में रिट दाखिल हो गई तो यह हमारा अमेंडमेंट बिल गिर जायगा। मैं सरकार से यह जरूर कहूंगा कि जो बिल बने वह पक्का बने। जिसके लिये बाहर उसकी छीछालेदर न हो। तो मैं मौर्य जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और सरकार से चाहता हूं कि जो रुपया मिलमालिकों के जिम्मे बाकी हो वह पूरा-पूरा वसूल हो जिससे कि पंचवर्षीय योजना में वह हमारे डेवलपमेंट के काम में खर्च हो। जैसा विरोधी दल के लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि सेस का रुपया जिस मद से लिया जाय उसी में वह लगाया जाय जिससे किसान की और देश की भलाई हो। जैसा मैंने कल कहा था अगर बढ़िया गन्ने का बीज विदेशों से मंगा कर यहां किसानों को दिया जाय तो उससे हमारे यहां गन्ने के उत्पादन में बड़ी वृद्धि हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विधेयक का जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड ४ पास हो चुका है वह इसी बारे में है कि यदि कोई शुगर मिल मालिक सेस का बकाया अदा न करता हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय और उस सम्बन्ध में अगर उसके ऊपर कोई जुर्म ठहरता हो तो उसको ६ महीने तक की सजा और ५ हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों किये जा सकते हैं। लेकिन जिस खंड को माननीय मौर्य जी ने निकालने का संशोधन रखा है वह इस बात की ओर संकेत करता है कि जो धारा ४ है वह इसके कारण बिलकुल बेकार हो जायगी। जब धारा ४ में इस बात का प्राविजन है कि उसको ६ महीने तक की सजा और ५ हजार रुपये तक की जुर्माना ये दोनों हो सकते हैं तो अगर ६ महीने की सजा के दंड के रूप में भी अगर यहां कुछ दंड और जोड़ दिया जाता, १०, २०, २५ हजार तो यह समझा जा सकता था कि जो धारा ४ रखी गयी है उसका कुछ कंसीडरेशन किया गया। जो खंड ५ का उपखंड (२) है वह इस प्रकार है :

> "इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति (person accused) के प्रार्थना-पत्र पर गन्ना आयुक्त, अथवा आयुक्त की पूर्व सहमति से जिला मैजिस्ट्रेट राजीनामे के शुल्क के रूप में अधिक से अधिक पांच हजार रुपये लेकर उक्त अपराध के सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर राजीनामा कर सकता है।"

तो किसी भी स्तर पर राजीनामा हो सकता है। मुकदमा चलता रहे, गवाहियां होती रहें और जब अन्तिम स्टेज मुकदमें की आ जाय कि उसको सजा भी होने वाली हो और ५ हजार रुपया जुर्माना भी होने वाला हो तो मिलमालिक राजीनामा कर ले। तो मिलमालिक जब यह देख लेगा कि उसके ऊपर जुर्म साबित होता है तो वह जरूर राजीनामा कर लेगा और उस राजीनामे के लिये उसको ५ हजार से अधिक नहीं देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, छोटे मोटे मामलों में भी यह देखा जाता है कि जब जुर्म साबित हो जाता है तब लोग कोशिश इस बात की करते हैं कि किसी प्रकार राजीनामा हो जाय। तो यह छोटी मोटी रकम देकर राजीनामा करने का जो यह प्राविजन है वह मिलमालिकों की इतनी बड़ी रक्षा करता है जिससे सरकार की वह मनोवृत्ति पूरी हो जाती है जिसको हमारे माननीय गेंदा सिंह जी अक्सर कहा करते हैं यह शुगर के मिलमालिक सरकार के लिये सोने की चिड़िया हैं क्योंकि यह राजीनामा इस स्तर पर भी हो सकता है कि कोई मिल मालिक १०-५ रुपया दे दे और जो पार्टी से संबंधित लोग हैं वह डायरेक्टली या इंडायरेक्टली पार्टी के नाम पर या दूसरे प्रकार से समझौते करने की कोशिश करेंगे। अभी आज ही एक प्रश्न के उत्तर में जो डिवीडेंड के बारे में था यह बतलाया गया कि एक करोड़ रुपया बाक़ी है तो जब इस प्रकार से लाखों, करोड़ों रुपया बाकी उस पर मुकदमा चले तो ५ हजार रुपये जुरमाने की धारा रखी गयी है यह सारे ऐक्ट को नल ऐंड वायड बना देती है, व्यर्थ बना देती है। धारा ४ में जो प्रावीजन दिया गया है यह डर मात्र है जिससे मिल मालिक उचित या अनुचित ढंग से दबाये जा सकें और हथियाये जा सकें। मैं समझता हूं कि यह प्रक्रियाशील धारा है और यह प्रतिकूल है और इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मौर्य जी ने संकेत किया है कि यह निश्चय नहीं किया गया है कि इस समझौते का हल कैसे होगा। जो सेस बाकी है वह दे देंगे तब या वह बना रहेगा और बार बार मुकदमेंबाजी होती रहेगी इस प्रकार से काम नहीं चल सकता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार प्रायः रुपया इकट्ठा करने के लिये मांग किया करती है और डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम पर जनता से टैक्स लेती है और जिनसे अच्छी रकम वसूल हो सकती है और उनके लिये कानून में गुंजाइश छोड़ दी जाती है जिनके द्वारा वह बच निकलते हैं और डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम पर जनता पर व्यय लगाते हैं जिससे उसकी कमर टूटती है और बड़े बड़े लोगों की कमाई के रुपये का दुरुपयोग करती है। इसलिये इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री फूल सिंह--अध्यक्ष महोदय, दो तरह के सुझाव आये हैं। एक तो यह कि यह सब क्लाज (२) निकाल दिया जाय। एक यह कि अगर यह रखा जाय तो यह शब्द जोड़े जायं कि जो रुपया बाक़ी है उसको लेकर फैसला किया जाय। मैं इन दोनों सुझावों से सहमत नहीं हूं। माननीय सदस्य देखेंगे कि मुख्तलिफ कानूनों में समझौते की चर्चा है। जितने कम्पाउन्ड करने के सेक्शन्स होते हैं उनमें तफ़सील नहीं होती है कि किस तरह से कम्पाउन्ड किया जाय। इसके माने यह होते हैं कि फरीकेन की गुंजाइश रहे और वह कम ज्यादा में फैसला कर लें। लेकिन अगर यह रखा जाता कि समझौते करने का अधिकार रहे तो कोई आपत्ति नहीं थी। माननीय सदस्यों को आपत्ति ५ हजार रुपये पर है यह तो समझौते की शुल्क है यानी कम्पोजीशन फी है। यह तो अलग से है। जैसा कि गौतम जी ने कहा कि यह मंशा नहीं है कि पांच हजार रुपये ले लें और सेस छोड़ दें। मंशा यह है कि अगर स्टेज पर फैसला होने लगे तो हमने जितना रुपया खर्च किया है उसके एवज में और उसको पैनेलाइज करने के लिये उससे कुछ रुपया लेंगे ताकि वह आइन्दा ऐसी जहमत न करे क्योंकि फैसला हुआ और फिर वह उतना ही रुपया दे तो क्या फायदा हुआ। इसलिये यह रखा गया है कि पांच हजार और दे। इसलिये यह सुझाव ठीक नहीं है कि यह शब्द जोड़ दिये जायं।

अब यह कि यह धारा बिल्कुल निकाल दी जाय। मेरा निवेदन यह है कि यह भी गलत है। माननीय सदस्य देखेंगे कि सेस देना एक सिविल लायबिलिटी है, उसके डिफाल्ट में इतनी कड़ी सजा रख देना मुनासिब नहीं होगा। अभी किसानों की वसूली के मामले थे। फर्ज कीजिये कि किसी किसान का लगान आठ सौ रुपया नौ आना छः पाई बाक़ी रहा। हम में से जिन लोगों ने बेदखली के काम को देखा है वह जानते हैं कि अगर किसान ने आठ सौ रुपया जमा कर दिया और उसके जिम्मे नौ आना छः पाई बाक़ी रहा तो भी उसके नाम से बेदखली आ गई और वह बेदखल हो गया। तो यह संभव हो सकता है कि किसी फैक्ट्री का कुछ बकाया रह जाय और बाकी जितना है वह सब वह अदा कर दें, तो क्या उस थोड़े से बकाया के लिये भी उस को सजा दी जानी चाहिये? यह भी हो सकता है कि सेस बकाया तो सब था लेकिन जब चालान हुआ तो उसने वह सब रुपया जमा किया या वह जमा करने को तैयार है, तो क्या यह नहीं हो सकता कि उसका मामला निपटा लिया जाय और उसकी फैक्ट्री चलने दी जाय? मैं समझता हूं कि ऐसा न करना अव्यावहारिक होगा। इतनी छूट हमें देनी चाहिये।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं जिसके बारे में कल माननीय गेंदा सिंह जी कह रहे थे। वह सेस माफ़ करने की बात थी। ऐसी हालतें भी सामने आ सकती हैं कि जब फैक्ट्री का सेस बकाया हो और वह ऐसी कंडीशन्स पेश करे कि बकाया तो है लेकिन यह-यह कठिनाइयां हैं और इसलिये आप कुछ छोड़ दीजिये, कुछ माफ कर दीजिये। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह शब्द कंपाउन्ड रखा गया है। यह आल इंक्ल्यूसिव है। इसमें सब बातें आ जाती हैं और यह ५,००० रुपया इसके अलावा है। तो मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्य अपने संशोधनों को, मेरी बात सुनने के बाद, वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमन्त्री महोदय, कानून से वाकिफ़ हैं, ऐसा मैं मानता हूं। उन्होंने कहा कि इस बात की कोई जरूरत यहां रखने की नहीं है जब तक बकाया सेस न वसूल हो जाय तब तक आफेंस को कंपाउन्ड न किया जाय और कंपोजीशन फी है ५,००० रुपया। यह ठीक है, लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें रुकावट है कि अगर वह कंपाउन्ड कर लिया जाय बिना बकाया की अदायगी के? कोई रुकावट नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि रुकावट नहीं है तो बिना सेस की अदायगी के ही कंपाउन्ड होगा। लेकिन कोई रुकावट नहीं है इसलिये

हो सकता है। मैं समझता था कि माननीय गेंदा सिंह जी मेरे इस विचार से सहमत हो जायंगे और मेरे इस संशोधन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुझे यह तकलीफ रही कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया और न खड़े हो कर कुछ कहा ....

श्री गेंदा सिंह—मैं सपोर्ट करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—और माननीय गेंदा सिंह जी ने तो इस बात का भी विरोध किया कि मुकदमे ही न चलें उनके ऊपर। उनके यहां देवरिया में मिल वाले बहुत ज्यादा हैं और चुनाव बहुत नजदीक हैं। शायद वह उनको नाराज नहीं करना चाहते हैं .....

श्री अध्यक्ष—आप इस तरफ न जायं। वैयक्तिक उनकी नियत के ऊपर किसी प्रकार का संकेत न करें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—तो यह जो मैंने सुझाव रखा था उससे कोई काम बिगड़ता नहीं था सरकार का। यह तो बात को स्पष्ट कर देता और इसलिये मैंने इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया कि कंपाउन्ड हो ही नहीं जब तक कि अदायगी न हो जाय। आप उसकी गुडविल पर छोड़ देंगे कि जो कंपाउन्ड करने वाले हैं, लेकिन यह कानून की दिक्कत नहीं रफा करता और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर आप फिर गौर कर लें और आगे इसके प्रतिबन्ध जोड़ने की बात का जो मैंने संशोधन दिया है उसके लिये मैं आपके द्वारा अपील करूंगा कि मुझे उसको मूव करने की इजाजत मिल जाय। इससे उनके काम में कोई दिक्कत न होगी और सहूलियत होगी। तो मैं इस संशोधन को कि क्लाज निकाल दिया जाय, वापस लेता हूं क्योंकि माननीय गेंदा सिंह जी ने इसको सपोर्ट नहीं किया।

श्री फूल सिंह—मुझे केवल एक शब्द कहना है। "कम्पाउन्ड" शब्द में और "पेमेंट" शब्द में केवल अन्तर इतना है कि पेमेंट तो सेंट पर सेंट होता है और कम्पाउन्ड में कम ज्यादा होता है। इसलिये कम्पाउन्ड शब्द रखने से गड़बड़ पैदा होती है। इसलिये मैं उस संशोधन को अनावश्यक समझता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री द्वारका प्रसाद मौर्य का संशोधन कि खंड ५ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय, वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

***श्री गेंदा सिंह**—मैंने जान बूझकर माननीय मौर्य जी के संशोधन का समर्थन नहीं किया। उन्हें इससे कष्ट हुआ यह स्वाभाविक है। यह मेरे साथ अन्याय होता अगर मैं उनकी उम्मीद के अनुकूल कर पाता। अगर जिस दिन हमको चीनी मिल मालिकों के बल पर इस सदन में आने की नौबत आ जायगी तो उस दिन मुझे राजनीति में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर मेरा स्थान या तो अपनी खेतीबाड़ी में होगा .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं वह प्रश्न टू मच प्रोटेस्टिंग का दोनों तरफ से हो चुका।

श्री गेंदा सिंह—मैं आपकी इजाजत से इतना कहना चाहता हूं कि ठाकुर साहब की जो बात होती है उसका मैं आदर करता हूं क्योंकि मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं। जब वह कोई बात कहते हैं तो मैं उसका ख्याल नहीं रखता .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि शूगर में मिठास बना ही रहना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—ठीक है मैं वैसे ख्याल रखूंगा लेकिन मैं इस अवसर पर इतना कह देना चाहता हूं कि मुझे पब्लिक लाइफ में अगर सब से अधिक शक्ति मिली है किसी स्रोत से तो वह गन्ना बोने वालों से मिली है और मैं उन मूर्खों में से नहीं हूं कि जो अपनी शक्ति के स्रोत को भूल जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

जब तक हम इस सदन में रहेंगे मैं उस स्रोत को नहीं भूलूंगा। वैसे मैं बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने के चक्कर में नहीं हूं। हम तो चूंकि देवरिया के रहने वाले हैं और देवरिया का जिला असल में चीनी का जिला है और चीनी का जिला होने के नाते और मैं खुद किसान हूं इसलिये भी किसानों से कुछ ऐसा संबंध है जो कि दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। अगर शूगर फैक्ट्री कोआपरेटिव सोसाइटी की या राज्य की हो जाय तब तो यह चीज आसान हो जायगी और हमारा संबंध एक ही हो जायगा और क्लास बेसिस पर दोनों का संघर्ष होने की नौबत खत्म हो जायगी लेकिन आज की हालत में वह समाप्त नहीं हो सकती है। जो लोग इसको नहीं समझते हों वे इसको सोच सकते हैं। बस इस पर मुझे इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इस खंड का विरोध इसलिये करता हूं कि मुझे इतना कहने की इजाजत दी जाय कि इस पांचवें खंड का जो पहला हिस्सा है उसको जरा ध्यान से देखा जाय कि "गन्ना आयुक्त या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उनके प्राधिकार के अधीन किये गये किसी परिवाद (Complaint) के बिना इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन संस्थित नहीं किया जायगा।" जब तक कलेक्टर साहब या केन कमिश्नर साहब न चाहें तब तक केन सेस चाहे करोड़ों रुपया उन पर बाकी रहे कोई मुकदमा चलाया नहीं जा सकता। पहली शर्त इसी खंड में यह है कि जब तक वह न चाहें मुकदमा नहीं चलेगा। मैं यह पूछना चाहूंगा कि सरकार की ओर से क्यों कलेक्टर और कमिश्नर को यह अख्तयार दिया जाता है कि इतनी रकम बाकी रहे और उस रकम के रहते हुये सारा देश सफर करेगा और उसके नियोजन के काम जिससे सारे देश का काम चलता है, बन्द रहेंगे लेकिन चूंकि कलेक्टर उसको नहीं भेजना चाहता इसलिये वह नहीं जायगा। सरकार बताये कि यह अधिकार उसको क्यों दिया जा रहा है। मैं इसलिये मौर्य जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने मौर्य जी के संशोधन का समर्थन इसलिये नहीं किया कि उसमें मौर्य जी यह अधिकार कलेक्टर या कमिश्नर को देना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि कलेक्टर या कमिश्नर को यह अधिकार कभी न रहे। खंड ४ में यह पास हुआ है कि बकायादार पर मुकदमा चलाया जाय तो अब कलेक्टर और कमिश्नर को कोई अधिकार क्यों हो? यह अधिकार न हो कि जिस पर चाहें मुकदमा चलाये और जिस पर चाहें मुकदमा न चलायें। यदि वह बकायादार है तो उस पर आंख मूंद कर मुकदमा चलाया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मौर्य जी के प्रश्न का फिर हवाला दूंगा कि आखिर ५ करोड़ केन सेस मिलने वाला था उस ५ करोड़ रुपये में एक करोड़ ७९ लाख की बकाया क्यों रह गयी और वह बकाया किन लोगों पर रह गयी। मैं अगर यह संदेह करूं कि यह बकाया उन लोगों पर रह गयी जिन पर कुछ लोगों की कृपा थी और बाकी लोगों से वसूल हो गया। बड़े अफसोस की बात है कि ठाकुर साहब अपनी उस कमजोरी को सुनने के लिये भी तैयार नहीं हैं। मैं कहता हूं कि यह सीधी सी बात है कि पीलीभीत वालों और बहेड़ी वालों पर ही यह बकाया क्यों रह गयी। इसलिये किसी के ऊपर रियायत करने का अधिकार कलेक्टर या कमिश्नर को नहीं होना चाहिये। उसकी डेट शायद हो जाय और जिस दिन ड्यू हो जाय उसी दिन मुकदमा चलाये जाने का अधिकार हो जाना चाहिये। मुकदमा चलाने में किसी को यह अधिकार न रहे कि वह चलाना चाहे तो चलाये और न चलाना चाहे तो न चलाये। नहीं तो इसमें आपस में बड़ी बदमजगी पैदा होने का अंदेशा है। इसलिये ऐसा न होना चाहिये कि किसी के ऊपर मुकदमा चले और किसी के ऊपर न चले। किसी के लिये वारन्ट कुर्की जारी हो और किसी के ऊपर न हो। अगर ऐसा अधिकार रहेगा तो पीलीभीत के राजा साहब का वारन्ट कुर्की नहीं होगा, बहेड़ी वालों का नहीं होगा। इसलिये मैं इस हिस्से को निकाल देना चाहता हूं।

दूसरे हिस्से पर भी काफी बहस हो चुकी है। मौर्य जी ने जो दलील दी है उसमें से मैं सिर्फ इतनी सी बात नहीं मानता कि उस ५ हजार रुपये के लेने से हमारे ड्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ५ हजार रुपया ले लेने के बाद भी वह ड्यू बना रहेगा लेकिन बाकी सभी दलीलें जो माननीय सदस्यों ने दीं उन सब को मैं शेयर करता हूं वे सही हैं। एक बात मैं यह उनमें बढ़ा देना चाहता हूं कि उसमें बहुत वक्त लगेगा। क्योंकि जब मुकदमा चलने लगेगा तो वह

जुडीशियल प्रोसीडिंग्स हो जायंगी, उसमें सालों लग सकते हैं। मान लिया कि एक वर्ष लग गया तो हमारा केन सेस की वसूली का काम जहन्नुम में चला जायगा और अगर हाईकोर्ट से यह फैसला हो गया कि इस रकम को वसूल करना ही गलत है तो हमारी वसूली ही रुक जायगी और अगर वसूली रुक गयी तो हमारा काम ही रुक जायगा। तो इसमें सालों लग सकते हैं और सालों लगने की वजह से हर मिल मालिक कोशिश करेगा कि मुकदमे में चले चलें और कम से कम एक साल बाद ५ हजार रुपया कम्पाउन्ड कराने में देना होगा और अगर एक साल में २० लाख मन गन्ना पेर लिया तो उसके सूद में ही १५ हजार रुपये से ज्यादा तो ६ प्रतिशत में आ जायेंगे, तो इस तरह से अगर १०, १५ या २० हजार अगर बचाया तो ५ हजार रुपया जो कि मेग्जिमम है वह देकर वह कम्पाउन्ड कर लेंगे। तो मेरी समझ में तो यह बात नहीं आई। तो फिर वह किस तरह से कहते हैं कि हम मिल मालिक की मदद में हैं और सेस वसूल नहीं होने देना चाहते लेकिन वह तो घुमा कर नाक पकड़ रहे हैं जिसको हम समझ जरूर रहे हैं। मैं उनकी नीयत पर हमला नहीं करता लेकिन ऐसी संभावना हो सकती है। और अगर वह संभावना है तो उससे बचना चाहिये और इन बातों को कहते हुये मैं कहता हूं कि वह फिर इस पर विचार करें और श्री मौर्य जी को भी हमारी बात का समर्थन करना चाहिये और उनको यह गलतफहमी न होनी चाहिये कि मैंने उनका समर्थन नहीं किया और वह इसलिये नहीं किया कि देवरिया के मिलमालिकों से कोई माल बांटना था.....

श्री अध्यक्ष—मैंने तो उस समय उनको रोक दिया था।

श्री गेंदा सिंह—तो मैं इस बात को वापस लेता हूं और मैं इसको नहीं कहना चाहता। इन बातों को कहते हुये मैं उम्मीद करूंगा कि इस खंड को आप निकाल देंगे क्योंकि इस से तो और बोझ बढ़ाया जा रहा है और एक उलझन पैदा की जा रही है, उसे बचा लिया जायगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—प्वाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको बाद में मौका दूंगा।

श्री फूल सिंह—माननीय गेंदा सिंह जी का कहना है कि खंड ५ निकाल दिया जाय। अभी हम पास कर चुके हैं कि ४ आने तक का सेस लग सकता है, उसके बाद ६ प्रतिशत सूद की बात भी पास कर दी और यह भी पास कर दिया कि ५,००० रुपये तक जुरमाना और ६ मास तक की सजा हो सकती है लेकिन यह सब हो जाने के बाद वह कहते हैं कि यह पास न करो कि कौन दावा करे या कौन न करे ताकि सारा दावा ही खत्म हो जाय और वह इसलिये नहीं करना चाहते ताकि रुपया जल्द वसूल हो जाय। दूसरे वह कहते हैं इस को निकालने से दावा जल्दी दायर हो सकेगा। सवाल यह है कि केन सेस के रुपये का दावा कौन करे, वह गेंदा सिंह जी करेंगे। गवर्नमेंट को तो किसी को अथराइज करना होगा, अगर अथराइज नहीं करते तो वह कैसे हो सकता है? इसलिये उनका जो यह संशोधन है कि खंड ५ को निकाल दिया जाय वह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के संबंध में एक महत्वपूर्ण वैधानिक प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे दुख है कि प्रस्तुत विधेयक के प्रथम वाचन के अवसर पर मैं सदन में कारणवश उपस्थित न रह सका नहीं तो उसी समय मैं इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रश्न को सदन के सामने उपस्थित करता और तृतीय वाचन के समय में मुझे संदेह है कि आप उपस्थित न रहें इसलिये मैं ने उचित समझा कि इसी समय में इस प्रश्न को उपस्थित करने की आप से आज्ञा माँगूं।

यह विधेयक इसलिये प्रस्तुत किया गया है कि गन्ने के सेस के विषय में जो वैधता की शंका उत्पन्न हो गई है उसको दूर करने के लिये यह लाया जा रहा है लेकिन उद्देश्य और कारणों में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि किस धारा और किस आइटम के अनुसार यह शक्ति सरकार ने अपने हाथ में ली। क्योंकि एक आइटम ५२ है स्टेट लिस्ट का जिसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं ——

"Taxes on the entry of goods into a local area for consumption, use or sale therein."

किसी स्थानीय क्षेत्र में जो सामान अन्दर लाये जाते हैं उनकी बिक्री पर, उनके इस्तेमाल पर टैक्स लगाने के लिये अधिकार आइटम ५२ विधान की स्टेट लिस्ट में दिया गया है। अब तक जो केन सेस स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है वह विधान के इसी आइटम ५२ के हिसाब से लगाया है लेकिन यह आइटम ५२ एक लोकल एरिया में, एक स्थानीय क्षेत्र में जैसे कि म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया है इनमें सीमा के अन्दर किसी सामान के जाने के अवसर पर यह टैक्स लग सकता है। आइटम ५२ के अनुसार सरकार को केन सेस लगाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक है, जिस पर बहस हो रही है यह सारा विधेयक अवैधानिक है, कांस्टीट्यूशन के अल्टरावायरस है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों की ओर भी दिलाना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष——आप संविधान के जिक्र तक ही अपने को सीमित रक्खें क्योंकि वह किसी अदालत का फैसला नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी——मैंने अपने आर्ग्यूमेंट को पुष्ट करने के लिये टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी का हवाला दिया कि उसकी भी वही राय थी जो राय मैंने दी है।

श्री अध्यक्ष——मान लिया कि आपकी वही राय है लेकिन आप अपना तर्क उपस्थित करें, कमेटी की राय पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी——टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस प्रकार से केन सेस राज्य सरकारों ने लगाया है यह विधान के खिलाफ है। विधान में जो आइटम ५२ है इसमें केवल म्युनिसिपैलिटी, गांव पंचायत या कोई भी स्थानीय संस्था ही केन सेस लगा सकती है। राज्य सरकार को इस आइटम ५२ के मतलब को खींच कर केन सेस वसूल करने का अधिकार नहीं है और एक चेतावनी भी राज्य सरकार को दी है कि भविष्य में इस आइटम ५२ के अधीन केन सेस न लगायें और स्थानीय संस्थायें ही केन सेस लगाए। मैं श्रीमन्, आप की आज्ञा से इस सम्बन्ध में सरकार से एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि किस आइटम के अधीन यह केन सेस लगाया जा रहा है। अगर आइटम ५२ के अनुसार लगाया जा रहा है तो किस प्रकार सरकार को यह केन सेस लगाने की शक्ति प्राप्त हुई है?

श्री अध्यक्ष——इसमें मुझे कोई राय लेने की जरूरत नहीं मालूम होती है। क्योंकि इस विषय में मेरा मत बहुत ही स्पष्ट है।

वैधानिक आपत्ति यह उठायी गयी है कि संविधान का जो शेड्यूल ७ है उसमें स्टेट लिस्ट दी है कि कौन सा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने के संबंध में है। उसमें दिया

हुआ है कि जो अधिकार उस लिस्ट में दिये हुये हैं वह स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार हैं। इस संबंध में इंट्री ५२ इस प्रकार है—

"Taxes on the entry of goods into a local area for consumption, use or sale therein."

जब किसी लोकल एरिया में माल जाता है तो इसकी इंट्री पर, यूज पर, और सेल पर टैक्स लगाया जा सकता है। और इसी में माननीय सदस्य समझते हैं कि यह सेस लगाया गया है। तो जहां तक इस टैक्स का संबंध है यह उन्होंने इस लिस्ट में मान लिया है। अब स्टेट लिस्ट में जो टैक्स लगाने का अधिकार है, वह टैक्स स्टेट लगावे या लोकल आथारिटी लगावे, इस संबंध में वह कहते हैं कि संविधान का मतलब यह है कि स्टेट को तो अधिकार नहीं है बल्कि लोकल अथारिटी को अधिकार है। मगर संविधान से कहीं यह अर्थ निकलता नहीं है। और न स्पष्ट होता है। यह राय हो सकती है कि सहूलियत के ख्याल से जो टैक्स म्युनिसिपैलिटी लगाती है उसको स्टेट क्यों लगाये। लेकिन म्युनिसिपैलिटी भी जो अधिकार प्राप्त करती है वह सदन के कानून से ही प्राप्त करती है। अगर यह सदन कानून न बनाये तो म्युनिसिपैलिटियों को भी कोई टैक्स लगाने का जिसका जिक्र स्टेट लिस्ट में है, अपने आप अधिकार नहीं है। अपने आप वह टैक्स नहीं लगा सकती हैं। म्युनिसिपैलिटी का ऐक्ट बना हुआ है उसमें दिया हुआ है कि फलां टैक्स वह लगा सकती है। उसके लिये आधार यह समझा जाता है कि चूंकि उक्त टैक्स का जिक्र स्टेट लिस्ट में है, वह अधिकार स्टेट ने अपने कानून के जरिये से म्युनिसिपैलिटी को दे दिया या लोकल अथारिटी को दे दिया और उसी कानून के आधार पर उनको अधिकार प्राप्त हो गया तो असली अधिकार स्टेट का ही है। यह स्पष्ट है और स्टेट अगर देना चाहे कि लोकल अथारिटी उसका उपयोग करे और कानून बना कर कहे कि हम अपना यह अधिकार उनको डेलीगेट करते हैं और वही टैक्स लगाये और वसूल करे तो वह कर सकती है। इस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि चाहे लोकल अथारिटी कोई टैक्स लगाती है, चाहे स्टेट लगाती है इस लिस्ट के अन्तर्गत तो वह स्टेट का ही अधिकार है। ऐसी अवस्था में मैं सदन को कोई कानून बनाने के लिये उस संबंध में रोक नहीं सकता हूं जिस विषय के बारे में स्टेट लिस्ट में जिक्र किया हुआ है। यदि उसके विषय में इंटरप्रिटेशन का प्रश्न उपस्थित होता है तो हमें यही मानकर चलना चाहिये कि इस सदन को पूर्ण अधिकार है। जब तक कि इसके विपरीत किसी हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट का फैसला न हो। अगर ऐसा फैसला मेरे सामने रखा जाता तो मैं उसके ऊपर गौर करके विचार करता। लेकिन किसी की राय, कितनी भी वह सम्मानित समिति क्यों न हो, उसकी राय के ऊपर मैं समझता हूं कि इस सदन को मैं रोक नहीं सकता हूं कि उसके जो अधिकार हैं उनको वह सीमित करे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था। आइटम ५२ का आपने जिक्र किया। अभी सरकार ने अपनी ओर से बताया नहीं कि वह विधान के किस आइटम के ऊपर उसने लगाया।

श्री अध्यक्ष—मैंने बताया कि जरूरत नहीं है। आपने जिक्र किया इसलिये मैंने जवाब दे दिया। लेकिन संविधान में यह अधिकार है हर विधेयक में जरूरत नहीं है। इसकी आवश्यकता मुझे मालूम नहीं होती।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खंड ६

६—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ३२ में किसी बात के होते हुए भी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के लिये, जिसे राज्य सरकार ने एतदर्थ विशेष रूप से अधिकृत किया हो इस अधिनियम या तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम के अधीन किसी वाद (case) का परीक्षण करते समय इस अधिनियम मैजिस्ट्रेट के विशेषाधिकार

के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में अभिशस्त (Convicted) किसी भी व्यक्ति पर पांच हजार रुपये से अनधिक जुर्माना का दंडादेश देना वैध होगा।

श्री उपाध्यक्ष--खंड ६ में कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७, ८, ९ और १०

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण।

७--(१) इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा या निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये या सद्भाव से किये जाने के लिये अभिप्रेत या सद्भाव से किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी भी कार्य के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या मान्य विधिक कार्यवाही न की जायगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये अथवा सद्भाव से किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य से हुई, अथवा सम्भाव्य, किसी क्षति के निमित्त राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही न की जायगी।

इस अधिनियम के प्रयोजन के निमित्त अध्यासी का अवधारण।

८--(१) जब किसी फैक्ट्री का स्वामी कोई फर्म (firm) अथवा अन्य व्यक्तियों की संस्था (Association) हो तो उसके भागीदारों अथवा सदस्यों में से कोई एक या एकाधिक व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजन के निमित्त स्वामी माने जायेंगे तथा उन्हें इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिये अभियोजित तथा दंडित किया जा सकेगा।

(२) जब फैक्ट्री का स्वामी कोई पब्लिक कम्पनी हो तो उसके एक या एकाधिक डाइरेक्टर अथवा प्राइवेट कम्पनी की दशा में उसका एक या एकाधिक हिस्सेदार (share holder) इस अधिनियम के अधीन किसी भी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित तथा दंडित किया जा सकेगा जिसके निमित्त फैक्ट्री का स्वामी दंडेय हो।

९--(१) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा २० एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

(२) यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा २४ की साधारण प्रयुक्ति (general application) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपकर लगाने के लिये प्रचारित प्रत्येक विज्ञप्ति तथा ऐसी विज्ञप्ति के अनुसार अथवा अधीन किया गया प्रत्येक अवधारण। जिसके अन्तर्गत वसूल किये गये उपकर की धनराशि भी है। इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार प्रचारित विज्ञप्ति तथा किया गया अवधारण तथा वसूल किया गया उपकर समझा जायेगा मानो धारा २ और ३ तथा ५ से ८ तक की धारायें सभी सारवान दिनांकों पर प्रवृत्त रही हों।

(३) भारत के संविधान के अनुच्छेद २० के खंड (१) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये, यू० पी० शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट, १९३८ की धारा २९ के अधीन उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा २० के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा अभिप्रेत

२६ जनवरी, १९५० तथा निश्चित दिनांक के बीच प्रचारित प्रत्येक विज्ञप्ति, लगाया गया उपकर तथा किया गया अथवा करने से छोड़ दिया गया कार्य जो वैध तथा सम्यक्रूप से प्रचारित, लगाया गया, किया गया अथवा करने से छोड़ दिया गया होता यदि उक्त धारायें इस अधिनियम की धारा ३ के समरूप होतीं--किसी भी न्यायलय के किसी निर्णय, डिक्री या आज्ञा के होते हुये भी विधि की दृष्टि से वैध तथा सम्यक्रूप से, प्रचारित, लगाया गया, किया गया अथवा करने छोड़ दिया गया समझा जायगा और यह भी समझा जायगा कि वह वैध तथा सम्यक् रूप से प्रचारित हुआ है, लगाया गया है, किया गया है अथवा करने से छोड़ दिया गया है ।

१०--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है ।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :

(क) रीति तथा आकार जिसमें धारा ३ की उपधारा (५) के अधीन कलेक्टर को प्रमाण-पत्र अग्रसरित किया जायगा,

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सूचना या आंकड़े एकत्र करना,

(ग) आकार तथा रीति जिसमें कोई भी विवरण-पत्र तैयार तथा प्रस्तुत किया जायगा,

(घ) विषय, जो नियत किये जाने वाले हों या नियत किये जायं ।

(३) उपधारा (१) तथा (२) के अधीन नियम बनाने के अधिकारों के अन्तर्गत ऐसे नियमों को बनाने का अधिकार भी है जिनकी प्रयुक्ति भूतलक्षी (Retrospective application) होगी किन्तु इस प्रकार बनाये गये नियम २६ जनवरी, १९५० से पूर्व के लिये प्रभावी न हो सकेगें ।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खे जायेंगे तथा ऐसे प्रकरणों परिष्कारों तथा परिवर्द्धनों (Ommissions, alterations and additions) के अधीन रहेंगे जिन्हें राज्य विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार प्रस्तुत किये जायं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भूतलक्षी प्रयुक्ति (Retrospective application) वाला कोई भी नियम तब तक प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि विधान सभा के समक्ष इसकी प्रति रखने के पश्चात् १४ दिन व्यतीत न हो गये हों ।

श्री उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि खंड ७, ८, ९ और १० इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

फैक्टरियों में प्रयोग, उपभोग अथवा उनको विक्रय के निमित्त अभिप्रेत गन्ने पर उपकर (cess) लगाने से सम्बद्ध विधि को संशोधित तथा संग्रहीत (consolidate) करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि फैक्टरियों में प्रयोग, उपभोग तथा उनको विक्रय के निमित्त अभिप्रेत गन्ने पर उपकर लगाने से सम्बद्ध विधि को संशोधित तथा संगृहीत किया जाये।

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी तथा धारा २ और ३ तथा ५ से ८ तक के उपबन्ध २६ जनवरी, १९५० को तथा से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री फूल सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६ पारित किया जाय। इस विधेयक पर काफी बहस हो चुकी है। कुछ और ज्यादा कहना नहीं है। मैं आशा करता हूं कि भवन इस विधेयक को पास करेगा।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन् परिस्थितिवश मुझे स्थिति की ठीक प्रतीति नहीं है कि इस विधेयक के द्वितीय वाचन के अवसर पर कौन-कौन से संशोधन मंजूर हुए, इसका ठीक आभास मुझे नहीं है लेकिन आपकी आज्ञा से और मंत्री जी की विशेष अनुकम्पा का प्रार्थी होकर मैं अवश्य इस विधेयक के सिद्धान्त के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। केन सेस, गन्ने के सेस की वसूली हमारे राज्य की आर्थिक व्यवस्था का अंग विगत कई वर्षों से हो चली है। इस विधेयक की प्रस्तावना में यह लिखा गया है कि १७ वर्ष से यह केन सेस हमारे प्रदेश में वसूल किया जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य स्पष्टतः यह है कि जो अभी हाल में किसी कोर्ट का यह फैसला हुआ कि जिसमें इस बात पर शंका प्रकट की गई कि यह सेस के रूप में या टैक्स के रूप में एक दूसरे विधान का अंग बन कर, एक विशेष ऐक्ट का अंग होकर यह सेस वसूल किया जाता है तो यह उचित नहीं है। इसी शंका को दूर करने के लिये सम्भवतः यह विधेयक लाया गया है। मैं जो विशेष एक सिद्धान्त की बात इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस सेस को लगाने की आवश्यकता जो प्रतीत हुई उसका उद्देश्य यही था कि गन्ने के उत्पादन गन्ने के विकास और जो गन्ने की खेती से सम्बन्धित विकास की आवश्यकतायें हैं उनको पूरा करने के हेतु यह सेस लगाने की आवश्यकता थी और सेस और टैक्स का फर्क यही होता है। उसे टैक्स नहीं कहा गया ताकि वह जनरल रेवेन्यू का हिस्सा न होकर केवल एक विशेष कार्य के लिए केवल गन्ने के विकास के कार्य के लिए सेस वसूल किया जाय। यह उसका उद्देश्य था, इसीलिए यह केन सेस कहा गया और उसे टैक्स नहीं कहा गया। बम्बई में जहां केन सेस लगा हुआ है वहां पर सारी धनराशि निश्चित-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूप से उसी हेतु के लिए खर्च की जाती है यानी गन्ने के विकास के हेतु और गन्ने की सिंचाई के प्रबन्ध के हेतु। तो मैं यह अवश्य कहूंगा कि हम चाहें टैरिफ बोर्ड की सिफारिशों को देखें चाहे हम टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सिफारिशों को देखें अगर हम टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सिफारिशों को मानते हैं जैसा कि वित्त मन्त्री चिन्तामणि देशमुख जी ने कहा कि हमने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सिफारिशों को मूलतः माना है, तो यहां पर भी केन सेस के मामले में भी हमको विचार करना चाहिये। हमें ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिये कि "मीठा-मीठा हप्प और कड़वा-कड़ुवा थू", कि जहां टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशें हमारे मंतव्य के खिलाफ गयीं तो वहां हमने कह दिया कि हम इनको नहीं मानते और जहां समझते हैं कि हमारा काम इनसे निकल जाता है तो स्वीकार कर लिया। हमें सम्पूर्ण पद्धति को अपनाने के लिए, जो बैलेंस्ड पिक्चर उन्होंने हमारे सामने रखी है, संतुलन कायम रखने के लिए हमें उसके सिद्धान्तों को पूरा मानना होगा, व्योरे को चाहे पूरा न मानें और उन्ही के आधार पर अपने व्योरे को निश्चित करना होगा। इसलिए मैं तो यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशों को मानें। अगर जांच कमीशन ने अपनी सिफारिशों में कहा कि इस सेस को, जो ग्राम पंचायतें हैं या लोकल बाडीज हैं उनको वसूल करने का अधिकार देना चाहिये, राज्य सरकार कानून अवश्य बनाये केन सेस वसूल करने का, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का अधिकार स्थानीय संस्थाओं को होना चाहिये। वही उसे लेवी करें। तो इस प्रकार का अगर कोई केन सेस वसूल करने का ऐक्ट बना है तो हमें इस प्रकार का भी संशोधन करना चाहिये कि यह केन सेस बजाय राज्य के रेवेन्यू फंड में इकट्ठा होने के स्थानीय संस्थाओं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड जिनकी आमदनी बहुत कम है, इन स्थानीय निकायों की आमदनी का जरिया बने और जो गन्ने की खेती के विकास सम्बन्धी कार्य हैं उनमें इस रुपये का व्यय हो। तो मैं समझता हूं कि यह न केवल जांच कमीशन की सिफारिशों को ही मानना होगा बल्कि संविधान की धारा जो इस सम्बन्ध में है उसको भी मानना होगा।

मैंने उसको अभी एक वैधानिक प्रश्न में स्पष्ट किया था कि आइटम ५२ जिसके अनुसार हम केन सेस वसूल कर रहे हैं वह लोकल एरिया के अन्दर आने वाले गुड्स के ऊपर ही टैक्स लेने का अधिकार देता है। सरकार ने इन लोकल एरिया का अर्थ कारखाने लगाया है, लेकिन जैसा कि कर जांच कमीशन ने कहा है कि लोकल एरिया का अर्थ कारखाने न होकर स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करें कि उनके केन सेस लगाने का आधार क्या है। कम से कम तृतीय वाचन के अवसर पर इसे स्पष्ट करने की कोशिश करें कि उन्होंने केन सेस संविधान की धारा के आधार पर लगाने की शक्ति मानी है और अगर आइटम ५२ के आधार पर मानी है तो क्यों नहीं स्वायत्त शासन की संस्थाओं को इसको व्यय करने की अनुमति देते हैं और अगर देते हैं तो क्या कारण है कि वह टैक्स की भांति लैण्ड रेवेन्यू का हिस्सा बन जाता है और राज्य की आमदनी के आधार जनरल फंड में डाल दिया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण और आश्वासन देने की कृपा करें कि निकट भविष्य में वह कर जांच कमीशन की सिफारिशों के आधार पर इस सम्बन्ध में कोई और दूसरा संशोधन लायेंगे।

श्री फूल सिंह—मान्यवर, अब यह विधेयक जैसा कि इस भवन ने इसको मंजूर किया सदन के सामने है। जो प्रश्न माननीय तिवारी जी ने उठाया, उस पर काफी विचार पहले हो चुका है। उन्होंने एक बाम्बे प्रान्त का उदाहरण सामने रख दिया, लेकिन जो चार प्रान्तों में केन सेस लगता है उनमें से केवल एक का जिक्र कर दिया। तीन प्रान्त ऐसे हैं जो उसे गन्ने पर खर्च नहीं करते हैं। तो इन सब बातों को सोच समझ कर आदरणीय सदन ने इस विधेयक को मंजूर किया है। मुझे कुछ ज्यादा इसमें

[श्री फूल सिंह]

कहना नहीं है। लोकल एरिया के बारे में भी बात स्पष्ट ही है कि जो कर लगाया है वह फैक्टरी एरिया के अन्दर गुड्स के आने पर कर लगा है। तो फैक्ट्री का जो एरिया है उसको यह कहना कि लोकल एरिया नहीं है और म्यूनिसिपल बोर्ड और टाउन एरियाज ही लोकल एरियाज हैं मेरे ख्याल में सही परिभाषा नहीं है। तो मैं कुछ बहुत ज्यादा समय इस आदरणीय सदन का इस विधेयक के सम्बन्ध में नहीं लेना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक को पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५, पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय।

इस पर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह इसी हाउस के द्वारा प्रवर समिति को दिया गया था। कोई उसने सिफारिश नहीं की है जैसा गया था वैसा ही आया है। मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। अगर कोई चीज इस तरह की होगी तो उसका जवाब दिया जायगा।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जब संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया था तब माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि इसमें रद्दो-बदल करने के उद्देश्य से भेजा जा रहा है और उसको इसीलिये भेजा गया था। लेकिन पहली दफा हाउस को यह मौका मिला है कि अब यह संयुक्त प्रवर समिति से वापस आ गया है। पता नहीं है कि जिन तरमीमों का उस वक्त जिक्र किया था वह क्यों नहीं हुई उन पर विचार क्यों नहीं हुआ। इस पर तरमीम करना आवश्यक है। यह विधेयक ज्यों का त्यों फिर आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैंने उस बार भी संशोधन रखे थे लेकिन ऐसा मालूम होता है कि मेरे उन संशोधनों पर प्रवर समिति में कोई विचार नहीं हुआ कि क्या यह संशोधन रखने चाहिये या नहीं। माननीय मंत्री जी ने भी कोई विचार उन संशोधनों के बारे में प्रकट नहीं किया है। इससे जाहिर होता है कि कुछ विचार उन संशोधनों पर प्रवर समिति में नहीं किया गया है जिनको कि मैंने रखा था। तो एक प्रकार से वह समय बर्बाद हो गया है। खैर वह विधेयक हमारे सामने है और मेरे जो संशोधन हैं वह उपस्थित हैं और उनको जब मौका आयेगा तो मैं सामने रखूंगा। अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। आपके प्रदेश में कुछ किस्म का माल या जो राष्ट्रीय महत्व का होता है वह कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। आप चाहते हैं कि इस तरह से उनको एक्जेम्प्ट करके सेल्स टैक्स से उनका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। यही आपने आब्जेक्ट इस विधेयक में रखा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जो नया खंड बढ़ाना चाहते हैं उसमें यह कहा गया है कि एक खास दिनांक पर जिसकी कि विज्ञप्ति कर दी जायेगी उसके बाद जो माल पैदा होगा उसको बिक्री कर से मुक्त कर देंगे। या उस दिन के बाद जो स्थापित होगा कारखाना या फैक्ट्री उससे जो माल उत्पन्न होगा उसको भी बिक्री कर से मुक्त कर देंगे। यह दोनों सूरतें आपने छूट की दे रखी हैं।

---

* संयुक्त प्रवर समिति द्वारा अनुमोदित विधेयक १७ फरवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

अब आप देखें कि यह छूट आप दे रहे हैं तो उससे उद्देश्य की पूर्ति होगी या नहीं। किसी खास दिन के बाद कोई फैक्ट्री अगर स्थापित हुई है तो उससे जो माल उत्पन्न होगा उसको बिक्री कर से मुक्त करेंगे आप। तो इसका क्या नतीजा होगा? जो उस दिन के पहले से फैक्टरीज स्थापित हैं उनसे उसी किस्म का माल जो पैदा हो रहा है उसकी कीमतों में और जो उस दिन के बाद स्थापित हुई हैं फैक्ट्रीज उनके द्वारा उत्पादित माल की कीमतों में एक अन्तर होगा। जो पुराने उद्योग-धंधे चल आ रहे हैं उनके माल की कीमतें कुछ ज्यादा हो जायंगी और जो नयी फैक्ट्रीज एक खास दिन के बाद स्थापित होंगी उनके माल की कीमतें कम होंगी क्योंकि वह माल सेल्स टैक्स से मुक्त होगा। तो मार्केट में दो तरह की कीमतें होंगी और दो तरह की कीमतें जब मार्केट में होंगी तो क्या यह संभव नहीं है कि पुरानी फैक्टरीज को धक्का लगे? और यदि धक्का पहुंचता है तो फिर जो आपका उद्देश्य है कि आपके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व का माल ज्यादा पैदा हो यह किस तरह से पूरा होगा?

दूसरे आपने यह व्यवस्था रखी है कि एक खास दिन के बाद जो माल पैदा होगा सारी फैक्टरीज से उनका सारा माल बिक्री कर से मुक्त हो सकता है। तब भी आप देखेंगे कि उस दिन के पहले जो माल पैदा हुआ है वह मार्केट में व्यापारियों के पास फैला रहेगा। मान लीजिये कि पहली जून सन् ५६ आप विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित करते हैं, तो पहली जून, सन् ५६ के बाद जो माल पैदा होगा उसे तो आप बिक्री कर से मुक्त कर देंगे और जो पहली जून के पहले यानी ३१ मई तक पैदा होगा वह बिक्री कर से मुक्त नहीं होगा और माल एक ही सा है, तब क्या दशा होगी? सेल्स टैक्स आफिसर्स किस तरह से यह समझ सकेंगे कि यह पहली जून का माल है या ३१ मई का है? एक बड़ी दिक्कत होगी व्यापारियों को भी, फैक्ट्री ओनर्स को भी और मुमकिन है इसमें कुछ गड़बड़ी भी हो। राज्य सरकार को जितना रुपया मिलना चाहिये वह न मिल सके। तो इस प्रकार भी आपके उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। दूसरे आपने यह छूट देने के लिये एक समय निर्धारित किया है; पहले आप कहते हैं कि कम से कम तीन वर्ष के लिये और अधिक से अधिक ५ साल के लिये एक खास माल को बिक्री कर से मुक्त कर देंगे। आप कम से कम तीन साल क्यों रख रहे हैं। आप यह समझते हैं कि ५ साल तक यह उद्योग-धंधा अच्छी हालत में हो जायगा तो पांच साल का समय रख सकते थे लेकिन कम से कम तीन साल तो इसको छूट देनी ही होगी, ऐसी व्यवस्था आप क्यों कर रहे हैं?

दूसरी एक शंका मुझे यह भी है कि आप एक ही तरह के माल को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं या नहीं। सिर्फ उत्पादन की तारीख का फर्क है सिर्फ उसी बिना पर आप सेल्स टैक्स से मुक्ति के बारे में माल के सम्बन्ध में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। एक ही तरह का माल बिक रहा है और जो एक खास तारीख को उत्पन्न किया गया है उस पर आप छूट देते हैं बिक्री कर से। तो यह डिसक्रिमिनेशन कहां तक जस्टीफाइड है? मैं समझता हूं कि लीगल दृष्टिकोण से भी यह अनुचित है और गलत है। मैं चाहूंगा कि इस विधेयक पर फिर से इस दृष्टि से विचार करें और मैं चाहता हूं कि पुनः इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार किया जाय।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल सरकार को वह ताकत देता है जो अब तक उसके पास नहीं है। इसकी वजह यह बतलाई जाती है कि उद्योग-धंधों की उन्नति के लिये यह जरूरी है। अभी जब यह बिल पेश किया गया तो मंत्री जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री साहब ने यह नहीं बतलाया कि अब तक जो किसी इंडस्ट्री को ऐक्जेम्पशन नहीं था उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें थीं और अब जब यह हो जायगा तो क्या क्या सहूलियतें हो जायंगी। कौन कौन इंडस्ट्रीज उनके दिमाग में हैं जिनके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

लिये सेल्स टैक्स से एक्जेम्पशन की जरूरत है। इसलिये हाउस अंधकार में है और जान नहीं पाये और बिल पास कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? किन इंडस्ट्रीज को तरक्की मिलेगी और कितना हमें नुकसान होगा क्योंकि हम पाई पाई के मुहताज हैं। हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। इसमें ८७ करोड़ रुपये का घाटा है। इसके लिये जरूरी है कि हम नये नये टैक्स लगायें। जिन पर टैक्स लगाने की हम सोच सकते थे उनका हमने फैसला कर लिया है और टैक्स लगा हुआ है नमक पर, गल्ले पर, किताबों पर, और दवाओं पर यानी सब चीजों पर टैक्स लगा हुआ है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी द्वितीय पंच वर्षीय योजना कामयाब हो इसके लिये गरीब से गरीब आदमी कुर्बानी करे।

इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट को एक्जेम्पशन देने का अधिकार है तो यह नहीं बतलाया जाता कि किन इंडस्ट्रीज पर ऐक्जेम्पशन होगा और किस हद तक गवर्नमेंट को नुक्सान होगा। यह नहीं बतलाया जाता है, इसलिये बड़ी मुश्किल हो रही है। इस बिल का दायरा क्या है? और पास करने से पहले हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस हद्द तक बजट पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जितना हम ऐक्जेम्पशन देंगे उतने ही हमको नये टैक्सेज लगाने पड़ेंगे। अभी सेल्स टैक्स से ही हमारी कमी पूरी नहीं होती है। इसलिये क्या क्या टैक्स लगाने पड़ेंगे यह हमारी समझ में नहीं आता है। इसलिये इस हाउस को, पेश्तर इसके कि यह बिल पास हो सब चीजों के समझ लेने की जरूरत है। यह बिल उसका एक हिस्सा बना दिया जाय जो जल्दी ही सदन में पेश होने वाला है। अगर यह बिल आ जाय तो हम समझ लेंगे कि किन-किन पर टैक्स लगाया जा रहा है और किन-किन को ऐक्जेम्पशन दिया जा रहा है, कितनी आमदमी होगी और कितनी कमी होगी यह सब बातें अभी मालूम नहीं होती हैं।

अब दूसरा सवाल है कि इसके लिये दो बड़ी दलीलें हो सकती हैं। एक तो यह कि हमें उद्योग-धंधों को बढ़ाना है और दूसरी यह कि हमें रोजगार बढ़ाना है। इसमें कहीं मालूम नहीं होता है कि कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज के बढ़ाने का सवाल है और कितना रोजगार बढ़ेगा यह भी नहीं बतलाया गया है। हो सकता है कि ऐक्जेम्पशन से रुपया ज्यादा निकल जाय और रोजगार कम मिले। इसलिये उस चीज को साफ समझे बगैर हमारे लिये मुश्किल हो रही है, क्योंकि यह आमतौर से मानी हुई बात है कि इस वक्त गृह उद्योग से इम्प्लायमेंट ज्यादा बढ़ेगा और बड़ी इंडस्ट्री में रुपया तो ज्यादा होता है लेकिन इम्प्लायमेंट कम होता है। पैदावार ज्यादा होगी लेकिन रोजगार लोगों को कम मिलेगा। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि हमारी जेब से रुपया ज्यादा निकल जाय और इम्प्लायमेंट हमें कम मिले। मिसाल के तौर पर हमारे यहां दो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, एक शुगर की और दूसरी टेक्सटाइल की। हमारी दोनों इंडस्ट्रीज मुकाबिले में पीछे हैं। मुझ से एक मर्तबा बात करते हुए केन्द्र के एक मिनिस्टर ने बतलाया कि हमारे यहां शुगर २२ रुपये मन पैदा होती है जब कि हिन्दुस्तान के दूसरे सूबे १४ रुपये मन में शक्कर पैदा करते हैं। मैंने इन आंकड़ों को जांचा नहीं है, लेकिन अगर शुगर वाले यह कहें कि हम मुकाबिले में जम नहीं सकते हैं इसलिये सेल्स टैक्स माफ कर दिया जाय तो उनकी मांग जायज होगी क्योंकि वह मुकाबिले में ठहर नहीं सकते। उसकी वजूहात बहुत सी होंगी, और मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन यह ठीक है कि हमारी शुगर इंडस्ट्री दूसरे सूबों के मुकाबिले में बहुत डिसएडवांटेज में है। तो अगर वह सेल्स टैक्स माफ कराना चाहते हैं और उनका एक मजबूत केस है और गवर्नमेंट अगर यह मुनासिब समझे कि शुगर इंडस्ट्री को बचाना है और इसलिये अगर वह उस पर टैक्स माफ कर दे तो सोचने की बात है कि पोजीशन क्या होगी।

टेक्सटाइल दूसरे नम्बर की इंडस्ट्री है लेकिन दूसरे सूबे के मुकाबिले में यह भी ज्यादा मंहगी है और पिछड़ी हुई है और अगर बहुत दिनों तक यह इंडस्ट्री अपना सुधार नहीं करती

इसमें चाहे जिम्मेदारी मिल मालिक की हो या और किसी की हो, मैं इसमें नहीं जाना चाहता तो वह दूसरे सूबों के मुकाबिले में खड़ी नहीं रह सकती। अगर यह बात ठीक है तो उसकी भी मांग जायज होगी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी सेल्स टैक्स से माफ कर दिया जाय। अगर अब टेक्सटाइल और शुगर को सेल्स टैक्स से बरी कर दिया जाय और जो नयी इंडस्ट्रीज बड़ी बनें सूबे में, वह माफ हो जायं और काटेज इंडस्ट्री माफ हो जाय तो सेल्स टैक्स किस हद तक माफ हो जायगा और वह कितना रियलाइज हो सकेगा, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। हमारी समझ में यह नहीं आता कि कितना रुपया हम ले रहे हैं गरीबों की रोटी, कपड़े और दवाइयों आदि पर कर लगा कर और इसको हमें समझने की जरूरत है। तो इसलिये मेरा यह सुझाव है कि अगर आप इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिये कुछ देना चाहते हैं तो वह चीज आप काटेज इंडस्ट्रीज तक ही सीमित रखिये और बड़े-बड़े कारखानों को इससे निकाल दीजिये। बड़े-बड़े कारखानों के जाल में फंसने के बाद हमारी मुश्किलें बढ़ जायंगी और उनकी रकम का अंदाजा हमें नहीं होगा और उसका हिसाब हम नहीं निकाल सकते और अगर शुगर वाले या टेक्सटाइल वाले या और दूसरे कारखाने वाले मजबूती के साथ अपना केस आपके सामने रखेंगे तो उनको एक्जेम्प्ट करना मुश्किल हो जायगा। तो इसलिये मेरा यह सुझाव है कि अगर एक्जेम्प्शन देना ही है तो केवल काटेज इंडस्ट्री को ही दीजिये जहां कि लोग अपने आप उसको चलाते हों, ज्यादा से ज्यादा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को भी उसमें शामिल कर लीजिये लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज को उसमें शामिल न कीजिये, क्योंकि उनका हिसाब भी काफी कांम्प्लीकेटेड होता है और उसमें पड़ने से हमारी मुश्किल हो जायगी। एक दिक्कत और इसमें होगी और वह यह कि एक्जेम्प्शन जिन गुड्स को मिल जायगा उन्हीं से मिलती हुई गुड्स या एक ही किस्म की जो चीजें हैं और तारीख का फर्क है यानी उस तारीख के बाद का चला हुआ कारखाना एक्जेम्प्टेड है और उसके पहले का कारखाना एक्जेम्प्टेड नहीं है, तो उसमें गड़बड़ी होने की भी शंका है क्योंकि ऐसा होने से पुराने कारखानों का माल नये कारखाने के जरिये से बिकने लगेगा और सेल्स टैक्स गायब होने लगेगा। तो यह होना चाहिये कि एक तरह के कारखाने अगर ऐक्जेम्प्ट होंगे तो उस तरह के सारे कारखानों को एक्जेम्प्ट होना चाहिये। अगर सूत बनाने का कारखाना है तो यह नहीं हो सकता कि पहली तारीख के पहले जो उस कारखाने में माल बना है वह एक्जेम्प्ट नहीं है उस तारीख के बाद का माल एजेम्प्ट है। अगर ऐसा होता है तो इसमें स्मगलिंग होने का अन्देशा रहता है। इसलिये यह चीज साफ हो जाय ताकि बाद में ऐसी दिक्कतें पैदा न हों यह साफ हो जाना चाहिए।

जहां तक मिल का सवाल है अगर यह इस तरह से रखा जाय तो यह समझ में आता है कि पांच साल से ज्यादा न हो लेकिन लोअर लिमिट रखना मैं उचित नहीं समझता हूं। इसके लिये उनकी गुडविल पर छोड़ देना चाहिये। यह ५ साल तक मुआफ करने की जो हद है वह ठीक है, लेकिन ३ साल से उसको कम नहीं कर सकते हैं, यह ठीक नहीं है। अगर कोई कारखाना दो साल के अन्दर अपने पैरों पर खड़ा हो जाय तो फिर उसको ३ साल की मियाद तक छूट देने की क्या जरूरत है और एक-एक पैसा करके गरीब लोगों से सेल्स टैक्स वसूल करने के लिये आप लगा रहे हैं। कारखाने के लिये यह मजबूरी नहीं होनी चाहिये कि चाहे उसका हक हो या न हो लेकिन मजबूरन उसको माफ करना पड़ेगा। इसलिये ३ साल की मियाद की लिमिट रखना जरूरी नहीं है। और फिर एक और सवाल है कि क्या यह रिपील हो सकता है? एक दफा एक्जेम्पशन ३ साल के लिये हो गया और कहा जाय कि नहीं साहब वह पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा है और उसको घाटा है तो इतने दिनों तक उसको मुआफी और मिलनी चाहिये यह ठीक नहीं है। इसमें सफाई होनी चाहिये और इसको इन्वेस्टीगेट किया जा सकता है और किया जाता है। यह भी सही है कि जितने उनके बहीखाते होते हैं वह तरह-तरह के होते हैं और उनके लिये गलत तरीके से हमारे सामने हिसाब रखा जाता है। बहुत से तरीके ऐसे कर दिये गये हैं। अभी इंश्योरेन्स का हिसाब जब वहां के फाइनेन्स मिनिस्टर के सामने आया तो उनको मालूम हुआ कि इस तरह का हिसाब रखने वाले बहुत हैं। तो क्या आप उनको

[श्री मोहनलाल गौतम]

५ साल तक मुआफ करते रहेंगे ? यह सारी बातें इस संशोधित बिल के अन्दर देखने की जरूरत है। मेरा ख्याल यह है कि यह बिल अगर उस बड़े बिल के साथ लाया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, यह बिक्री कर विधेयक, १९५५ जो इस समय भवन के सामने पेश है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इसके सम्बन्ध में अभी तक जो भाषण हुये उनको मैंने सुना लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि जहां तक मैंने इस बिल को समझा सरकार का मन्शा यह है कि अपने इस उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिये उसने इस संशोधन विधेयक को पेश किया है। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में ज्यादातर कृषि का कार्य होता है। यह भी हम जानते हैं कि अगर हमको अपने प्रदेश के स्तर को ऊंचा करना है तो हमको इस प्रदेश में इंडस्ट्रीज को बढ़ाना होगा। पिछले दिनों इस बात पर बहस हुई कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने जो बड़े-बड़े कारखाने देश में लगाने का आयोजन किया है और जो हमारे प्रदेश में लगाये जा सकते थे उनको यहां पर नहीं लगाया। आज हमारी सरकार के सामने यह प्रश्न है कि वह कौन सा कदम उठाये जिससे हमारे प्रदेश में नये कारखाने खुल सकें और नई इंडस्ट्रीज यहां पर लग सकें। अगर हमको पब्लिक सेक्टर में बड़े-बड़े कारखाने नहीं मिलते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर में इस बात की कोशिश करें जिससे कुछ नई इंडस्ट्री हमारे प्रदेश में लग सकें। तो जितनी सुविधा सरकार की तरफ से दी जा सकती है उसको दिये जाने की कोशिश की जाय। उसी नीति के अनुसार सरकार ने यह भी तय किया है कि कुछ नई इंडस्ट्रीज के लिये और उद्योग लगाने के लिये कुछ लोन देंगे यानी कर्जा देंगे। यह भी सरकार की नीति है कि जो बिजली उनको देंगे वह काफी सस्ती दर पर देंगे उसी का तो मैं समझता हूं कि यह भी एक अंग है कि नये कारखानों को, जो खोले जायंगे कम से कम तीन साल और ज्यादा से ज्यादा ५ साल के लिये सेल्स टैक्स से मुक्त कर देगी, उन कारखानों को जो नये खोले जायेंगे और जिनको सरकार पसन्द करेगी और वे उन चीजों को बनायेंगे जो प्रदेश में अभी नहीं बनती हैं।

माननीय गौतम जी ने कहा कि जो चीजें काटेज इंडस्ट्रीज से बनायी जायं उन पर सेल्स टैक्स न लगाया जाय। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इसी प्रकार उन्होंने जो बात स्माल स्केल इंडस्ट्री के बारे में कही वह भी उचित ही है। लेकिन जहां तक उन्होंने यह कहा कि कारखानों के लिये यह नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि आज की स्थिति को देखते हुए इस बात पर जिद्द करना कि जो नये कारखाने खोले जायं उन पर सेल्स टैक्स माफ न किया जाय उचित नहीं है क्योंकि उससे जो हमारा इंडस्ट्रियलाईजेशन का ध्येय है वह पूरा नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सेल्स टैक्स की जो हमारी आमदनी है उसमें भी कुछ नुकसान हो सकता है। हम केवल उन्हीं इंडस्ट्रीज को ऐक्जेम्प्ट कर रहे हैं जो नये किस्म की चीजें पैदा करेंगी इसलिये इससे कोई नुकसान का सवाल पैदा नहीं होता। जब कोई चीज हमारे यहां पैदा ही नहीं होती तो उससे आमदनी का सवाल और फिर नुकसान का सवाल पैदा ही नहीं होता। जहां तक ३ साल और पांच साल तक उनको छूट देने का प्रश्न है अगर ऐसा न किया जायगा तो नयी इंडस्ट्रीज किस प्रकार से खुलेंगी। जब तक किसी कारखाने वाले को यह आश्वासन नहीं होगा कि वह जो सामान बनायेगा उस पर तीन साल तक सेल्स टैक्स न लगेगा तब तक कोई आदमी साल या छः महीने के लिये कोई कारखाना नहीं खोलेगा। इसलिये यह उचित ही है। आम तौर पर जो कारखाना खोला जाता है उसके बनने में ही १ साल लग जाता है और आइन्दा सालों में जाकर वह सामान बना पाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह कम से कम तीन साल और अधिक से अधिक ५ साल का जो समय है, वह उचित ही है।

यह भी कहा गया कि यह विधेयक बड़े विधेयक का अंग बना दिया जाय। यह उसका भी अंग हो सकता है। मगर शायद यह इसलिये कि पेश कर दिया गया क्योंकि यह ५५ का विधेयक था और एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द था। उसमें कोई कांस्टीट्यूशनल और वैधानिक आपत्ति की बात नहीं है। यह तो सुविधा की बात है।

एक बात यह भी बतायी गयी कि इसमें इस बात का प्राविजन नहीं है कि ५ साल के बाद भी अगर यह मांग पेश की जाय कि सेल्स टैक्स देकर काम चलाना मुश्किल है तो क्या सरकार उसके बाद भी उसे एक्जेम्प्शन दे देगी? यह बात बहुत ज्यादा सपोज करने की है। अगर वाकई ऐसी इंडस्ट्रीज हों जो पांच साल के बाद भी अपने पैरों पर खड़ी न हो सकती हों तब तो वह सरकार के सोचने की बात होगी ही।

जहां तक अकाउन्ट्स का सवाल है, अकाउन्ट्स में मेनीपुलेशन होता है। आ भी होता है और इसको सब जानते। इवेजन भी होता है। इसमें सरकार केवल अहतियात कर सकती है कि इवेजन्स न हो और झूठे अकाउन्ट्स हमारे सामने न आयें। लेकिन इस के बावजूद भी वह होता है और आगे भी होता ही रहेगा। एक्जेम्शन के बारे में पता नहीं कि मेरी राय सही है या नहीं और मैं ठीक समझा हूं या नहीं लेकिन एक्जेम्प्शन से मतलब यह है कि नए कारखाने या इंडस्ट्रीज जो खोली जायंगी और वह उद्योग जिनको सरकार लगाना पसन्द करेगी उन्हीं पर सेल्स टैक्स पर एक्जेम्पशन होगा और अगर यह बात सही है तो मैं समझता हूं कि इस बिल पर कोई सन्देह करने की बात नहीं है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उत्तर प्रदेश बिक्री कर संशोधन विधेयक जो कि केवल २ धाराओं का है उसके विषय में मेरा तो यह सुझाव है कि उसको अगर सरकार वापस ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद अभी एक लम्बा चौड़ा बिल जो कि सदन में पेश है उस पर भी कुछ दिनों में यहाँ बहस होगी इसलिये अधिक अच्छा तो यह होता कि इस बिल की यह धारायें भी उसी बड़े बिल में सम्मिलित कर ली जातीं और इसको वापस ले लिया जाता और इस तरह से सदन का समय और पब्लिक मनी बच जाता। इस छोटे से बिल के कारण पता नहीं कि जनहित की कौन सी मद में इतना बड़ा नुकसान हो रहा है जिससे सरकार को इसे जल्दी पास करने जरूरत पड़ गई। यह बिल केवल इसलिए है कि बिक्रीकर जो मौजूदा है उसमें उसमें किसी माल पर बिक्री कर से मुक्ति का कोई समावेश नहीं है और उन चीजों में छूट देने के लिये यह बिल आया है और नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने का भी इसका उद्देश्य है। अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय महत्व का कौन सा माल है और माल का कौन सा वर्ग है और सरकार के पास या माननीय मंत्री जी के पास कौन सा ऐसा पैमाना है या माप है जिसके द्वारा वह इसको आंक सकेंगे कि फलां फलां किस्म का माल राष्ट्रीय महत्व का है और फलां नहीं है। हमारे लोगों के लिए अधिक सुविधा होती है अगर वह इस बिल में एक छोटी सी लिस्ट लगा देते कि इस प्रकार के माल पर हम बिक्री कर मुक्त करना चाहते हैं तो हमारे समझने में आसाने होती और सरकार की स्पष्ट नीति के बारे में विश्वास होता।

यह देखने में तो छोटा सा बिल है लेकिन बहुत ही खोटा बिल है क्योंकि इसके द्वारा सरकार डिसक्रिमिनेशन की पालिसी अख्तियार कर सकेगी और किसी भी आदमी का सरकार फेवर या पक्ष कर सकेगी जो इस किस्म का माल तैयार करते हैं। तो इस प्रकार का बिल जिसकी कोई नीति या पालिसी स्पष्ट नहीं है मैं समझता हूँ कि सन्देहजनक है। यह स्पष्ट होना चाहिये था कि इस तरह का माल राष्ट्रीय महत्व का होगा वह कौन सा होगा। यह साफ होना चाहिए था कि फलां किस्म का माल राष्ट्रीय महत्व का होगा और फलां किस्म का नहीं होगा क्योंकि यहां वर्ग निश्चित नहीं है, न तो कोई शिड्यूल दिया हुआ है और न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

उद्देश्य और कारणों में ही सरकार ने किसी माल की ओर संकेत किया है जिससे यह नतीजा निकाला जा सके कि सरकार वास्तव में क्या चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार को या माननीय मंत्री जी को कुछ इने गिने उद्योगपतियों को इस तरह के माल में छूट देने की बात करना है तो उसके और भी तरीके हो सकते हैं। अभी इस सदन में कई बार इस प्रश्न पर चर्चा हुई कि सरकार ने तीन करोड़ रुपया बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट्स को दे दिया तो सरकार अगर चाहती है कि इस प्रकार के लोगों को जिन्हें वह प्रोत्साहन देना चाहती है तो इस प्रकार के अनेक ढंग से मदद कर सकती है। सरकार ने फायनेन्शियल कारपोरेशन की स्थापना भी की है और वह भी एक तरीका हो सकता है जिसके द्वारा इस प्रकार की राष्ट्रीय महत्व की चीजों को बिक्रीकर से मुक्ति प्रदान की जा सकती है। माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि काटेज इंडस्ट्रीज और इस प्रकार के कारखानों से जो माल उत्पन्न होगा उसे वह छूट देंगे तो इसमें भी उपाध्यक्ष महोदय, इस छूट के अलावा जो दूसरे तरीके हैं जैसे हमारी सरकार अभी खद्दर भंडार को तीन आने रुपये की मदद करती है और हैन्डलूम को डेढ़ आने की मदद करती है, तो इसी प्रकार के उस साल के लिये भी सरकार मदद कर सकती है जिस माल को बढ़ाने के लिये सरकार ने आयोजना की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस बात से बड़ा संदेह होता है कहीं ऐसा न हो कि सरकार बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट्स की मदद करके उनके माल को छूट दे दे और देहातों में जो हाथ से बनाने वाली चीजें हैं उन पर सरकार कर का भार लगा दे जिसके कारण वे पनप न सकें। अभी उपाध्यक्ष महोदय जो दूसरा संशोधन विधेयक सदन में आयेगा तो उससे मालूम हो जायगा। वास्तव में सरकार जैसा कि माननीय नवल किशोर जी ने कहा काटेज इंडस्ट्रीज के लिये यह बिल नहीं लाया गया है। अध्यक्ष महोदय इस बिल से एक बहुत बड़ा परिणाम यह होने वाला है कि जो कारखाने पहले से चल रहे हैं और उसी प्रकार के माल को पैदा कर रहे हैं जो कि नये कारखाने करेंगे और एक निश्चित दिनांक से उन दोनों के मालों की कीमत में फर्क हो जाय यह तो बहुत ही विचित्र बात होगी क्योंकि जहां तक माल का प्रश्न है दोनों की क्वालिटी एक होगी लेकिन कीमतों में फर्क होगा। तो किसी माल के लिये इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो जिसके लिये मैं समझता हूं कांस्टीट्यूशन में कोई विशेष संकेत नहीं किया गया है उचित नहीं होगा। इस सदन में इसी प्रकार से सामाजिक जीवन में जो छोटे और बड़े का प्रश्न है, या क्लासेज में जो अन्तर है उनको जब तक एक स्तर पर लाने की बात आती है या विशेष पिछड़े हुये वर्गों के प्रश्न की बात आती है तो बहुत से लोगों को एतराज होता है। इस बिल में किनको प्रोत्साहन देना है जो इस बात से अनभिज्ञ हैं उनको इस पर विशेष आपत्ति हो सकती है। अगर उसमें इस प्रकार की लिस्ट होती, शेड्यूल्ड लिस्ट होती कि सरकार छूट दे कर इस माल को प्रोत्साहन देना चाहती है तो इस सदन में बहुत बड़ा विरोध होता और बहुत से लोग उसका विरोध करते, क्योंकि उससे स्पष्ट मालूम हो जाता। अध्यक्ष महोदय, यह तो बिल जो है, एक कहावत है कि टट्टी की आड़ में शिकार खेलना, इसी प्रकार एक छोटा सा विधेयक लाया गया है। इसलिये कि सरकार को फिर इस प्रकार का मौका मिल जायगा कि वह बिल उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करेगा और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कहूं कि १९५७ में जो चुनाव आ रहा है उसी चुनाव के लिये यह बहुत बड़ा इंतजाम किया गया है, क्योंकि जो लोग चुनाव में जितना अधिक रुपया देंगे हो सकता है उन्हीं को जब नये कारखाने खुलेंगे, उनमें प्रोत्साहन मिलेगा।

इन शब्दों के साथ में फिर अपने प्रस्ताव को दोहराऊंगा कि माननीय मंत्री जी को चाहिये कि इस बिल को वापस ले लें और जो बिल सदन के सामने रखा हुआ है उसमें इस धारा को जोड़ने की कोशिश करें। आशा है कि वह मेरे इस सुझाव को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री जगदीश सरन (जिला बरेली)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले इस विधेयक को समझने के लिये इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ने की चेष्टा की। उनको पढ़कर

में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह उद्देश्य सर्वथा सराहनीय है। आज सरकार को यह देखना ही पड़ेगा कि प्रदेश में अपनी कर नीति द्वारा उन धंधों को प्रोत्साहन दें जिनके द्वारा प्रदेश की उन्नति हो सकती है या प्रदेश में बेरोजगारी दूर हो सकती है। मुझे खेद है कि हमारे एक माननीय मित्र को इस छोटे से बिल में भी कितनी खुटाई दिखायी दे गयी और उन्होंने बड़ी-बड़ी दुर्भावनायें उसमें देखीं। मैं यह समझता हूं कि उसके लिये इसमें कोई स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मुझे भी शंका है। उसको मैं जरूर सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह बिल इस सदन के समक्ष सबसे पहली बार फरवरी, १९५६ में प्रस्तुत हुआ था। उस समय भी सेल्स टैक्स के विषय में सेलेक्ट कमेटी बैठी हुई थी। इसको विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी थीं। हमने समझा था कि वास्तव में सरकार के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आयी है जिसमें सरकार उस समय तक न रुक कर यही आवश्यक समझती है कि ऐसा बिल शीघ्र से शीघ्र पास हो जाय। उसके बाद आज जो पुनः एक विस्तृत बिल हमारे सामने है जो कि कुछ ही दिन के बाद ही बहस के लिये आने वाला है फिर यह बिल हमारे सामने अलग आया। इससे यही ख्याल होता है कि कदाचित सरकार यह आवश्यक समझती है कि शीघ्रातिशीघ्र यह बिल पास हो जाय और उस बिल के आने तक भी रुकना उचित नहीं समझती। जब इतनी शीघ्रता इस बिल के पास करने की थी तब हम यह आशा करते थे कि हमें यह बताया जाता कि वे कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, वे कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जिनके लिये आज इस बिल के द्वारा प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है, उसमें इतनी शीघ्रता क्यों है। ये सारी बातें यदि हमारे सामने होतीं तो मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी आशंकाओं का स्थान न रहता।

मैं एक दो बातें और श्रीमन्, आपकी आज्ञा से इस बिल के विषय में कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि जैसे अभी माननीय मंत्री ने कहा जहां तक हम इस बिल के द्वारा यह निश्चय करें कि उन उद्योगों के लिये उन धंधों के लिये जो अबतक इस प्रदेश में नहीं थे, उन को अगर कर मुक्त करके प्रोत्साहन दें तो वहां तक ठीक हो सकता है। लेकिन इस के पढ़ने से पता चलता है कि दोनों दशाओं में हम यह कर मुक्ति देने जा रहे हैं। एक तो उन धंधों के लिये जो अब तक हमारे प्रदेश में कतई नहीं थे और उनके लिये भी जो पर्याप्त संख्या में नहीं थे। दूसरी श्रेणी में जब इस बिल को लागू करते हैं तो मुझे ऐसी आशंका होती है कि उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं।

इस बिल का एक मात्र ध्येय यह है कि इसके द्वारा अपने प्रदेश में धंधों के लिये प्रोत्साहन दिया जाय। लेकिन कहीं इसका परिणाम यह न हो जाय कि जो धंधे हमारे प्रदेश में चल रहे हैं उनको उससे नुक्सान पहुंच जाय। इसकी पूरी आशंका हो सकती है। इस बिल के द्वारा हम यह तय करना चाहते हैं कि एक निश्चित तिथि के बाद निर्मित और स्थापित जो कारखाने होंगे केवल इन्हीं को हम छूट देंगे बिक्री कर से। इसका परिणाम यह होगा कि उसी वस्तु को बनाने वाले जो दूसरे कारखाने हमारे प्रदेश में विद्यमान होंगे इस मुक्ति और रियायत से वंचित रह सकते हैं और यह एक डिस्क्रिमिनेशन हो जायगा, जो अनुचित होगा। तो मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बात को कृपया साफ करने का प्रयत्न करें कि क्या इस बिल से केवल वह उन धंधों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जो अब तक हमारे प्रदेश में नहीं थे। यदि यही मंशा है तो मैं उसका सहर्ष स्वागत करता हूं क्योंकि यह तो सरकार को करना ही है अगर हमारी प्रगति को बढ़ाना है। लेकिन यह कदापि न हो जो धंधे विद्यमान हैं और उसी सरह के दूसरे धंधे नये खोले जायं उनमें भेद हो जाय। अगर ऐसा हुआ तो अन्याय होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि आज आवश्यकता यह है कि काटेज इंडस्ट्रीज को अधिकाधिक प्रोत्साहन दें। यह बिल्कुल निर्विवाद बात होनी चाहिये और एक मत से हमें ऐसा ही करना चाहिये। लेकिन इस बिल को पढ़ने से ऐसा समझ में नहीं आता कि वास्तव में सरकार का यही निश्चय है, कि

[श्री जगदीश सरन]

काटेज इंडस्ट्रीज को मदद देने के लिहाज से यह बिल रखा गया है या बड़ी इंडस्ट्रीज को। इसका स्पष्टीकरण अगर मंत्री जी प्रारम्भ में किये होते तो हमको बहुत सहायता मिल जाती। मैं एक बात और मंत्री जी से कहना चाहूंगा, वह बात जो कि इस सदन में भी और उनके सामने कई बार कह चुका हूं। आज जब हम इन काटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहिन करने की बात सोचते हैं, नई काटेज इंडस्ट्रीज के लिये करोड़ों रुपया बजट में रखने को सोचते हैं तो हमको यह सोचना चाहिये कि हमारे प्रदेश में जो काटेज इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनको प्रोत्साहित करने की ओर भी ध्यान जाय। अगर उनका ह्रास या डिटेरिओरेशन हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयत्न करें। मेरे अभी २५ तारीख के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय गुप्ता जी ने बताया था कि बरेली शहर में केवल जो खंडसार वर्ग है उन लोगों ने वहां की स्थिति से विह्वल होकर ३,४ साल के निरन्तर घाटे से परेशान हो कर काफी संख्या में काम छोड़ दिया। गुप्ताजी ने बताया था कि ४० प्रतिशत खंडसारी पिछले १ साल में काम छोड़ चुके। यह आंकड़े सेंट्रल ऐक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा प्राप्त किये गये थे क्योंकि खंडसारी व्यवसाय का अब भी यह तरीका है कि उसके लिये यह आवश्यक है कि वे सेंट्रल ऐक्साइज डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो वह आंकड़े ऐसे प्रमाणित हैं कि सामने रहते हैं। तो आज परिस्थिति यह है कि गुड़ और खांडसारी की काटेज इंडस्ट्रीज में जिसका बिक्री मूल्य करीब ७५ करोड़ के है, जिसमें आज लाखों आदमी हमारे शहरों में और गांवों में लगे हुये हैं तो सरकार को उसको प्रोत्साहन देना चाहिये। मुझे बड़ी खुशी होती यदि इस बिल से यह संकेत होता कि वित्त मंत्री जी जो अधिकार ले रहे हैं उन अधिकारों द्वारा वह इस महत्वपूर्ण गृह उद्योग के लिये भी बिक्री कर से छूट दे सकेंगे।

एक बात और कह कर समाप्त करूंगा और वह यह है कि जहां तक इस खांडसारी व्यवसाय का संबंध है हमारे खांडसारी वर्गों की एक प्रार्थना पिछले ३ सालों से सरकार के सामने है कि खांडसारी पर जो आप कर लगाते हैं वह कर नहीं लगाना चाहिये, कर से मुक्त करना चाहिये, लेकिन यदि आप कर से मुक्त नहीं कर सकते तो एक बात अवश्य कर दें और वह यह कि छोटे-छोटे खंडसार जो गांवों में हैं और वहां अपना कारोबार करते हैं उनके लिये संभव नहीं है कि वह इसके एकाउन्ट को रख सके इसलिये उनके लिये एक नियम बना दें कि इतना टैक्स वह दें, उसके लिये एक निश्चित स्कीम खंडसारी और गुड़ एसोसियेशन की तरफ से सरकार की सेवा में भेजी गयी थी। वह स्कीम सरकार के विभागों द्वारा जांची गई और सारी जांच पड़ताल के बाद यह समझा गया कि यह उचित है और इसको पूरा किया जा सकता है। मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिलाया कि वह अंतिम रूप में उसको लागू करना स्वीकार कर चुके हैं लेकिन इसके बाद हमें यह बताया गया कि जब तक बिक्री कर में संशोधन न हो जाय तब तक उसको लागू नहीं कर सकते। तो हम लोग आशा कर रहे थे कि संशोधन विधेयक जो आज हमारे सामने है जब यह आयेगा तो उसमें कोई ऐसी गुंजाइश अवश्य होगी जिससे यह इन्तजाम हो सकेगा और वह मानी हुई बात है। लेकिन मुझे दुख है कि इसमें कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर वह अवश्य ध्यान देने की कोशिश करें। अभी एक बड़ा बिल आपके सामने आने वाला है। आज हमारे प्रांत में इस बात की बड़ी शिकायत है कि कानून इतनी तेजी से बनते हैं कि उसके समझने में, उसके लागू करने में हर एक जगह बड़ी दिक्कत होती है, तो बहुत से कानूनों को पास करने के बजाय यह अच्छा है कि कम से कम कानून हों तो उससे जनता को सुविधा होती है। जब एक बड़ा बिल हमारे सामने आने जा रहा है तो बहुत उचित होगा कि इन सारे प्राविजंस को उसमें इन्कारपोरेट कर दिया जाय। इन सारी धाराओं को और जो माननीय सदस्यों के सुझाव हैं उनमें आवश्यक परिमार्जन करते हुये उनको इसमें शामिल कर दिया जाय, तो उससे सभी को सुविधा होगी।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और उसका कारण भी अभी सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूं। मान्यवर यह कुछ आश्चर्य होता है कि यह सरकार की कौन सी नीति है जिसमें विरोधाभास बगैर किसी कठिनाई के देखा जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व की चीजों पर माननीय मंत्री महोदय विशेष कृपा करने वाले हैं और दुसरी तरफ जब जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर कर लगा दिया जाता हो, जब अन्न, वस्त्र आदि को भी न छोड़ा जाता हो, और जब यह देखा जाता हो कि कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो कि कर से छुटकारा पा सके तो वह राष्ट्रीय महत्व की कौन सी चीजें होंगी, वह कौन सा पैमाना होगा जिससे कि वह नापा जा सके, यह सन्देहात्मक है। मान्यवर, उद्देश्य और कारण को देखते हुये यह सरकार को छूट दी गई है कि जिस वस्तु को राष्ट्रीय महत्व की चीज समझे या तो सम्पूर्ण रूप से या कुछ उसमें के पदार्थ उनको वह रियायत, कर लगाने में छुटकारा दे सकती है। मान्यवर, यह ठीक है जो हमने यह देखा है और जो हमारा अभी कटु अनुभव है वह यह है कि इस तरह की जो छूट एग्जीक्यूटिव को दी जा रही है वह मेरी समझ में उचित नहीं है। यह कहीं अच्छा होता अगर मंत्री महोदय या सरकार की तरफ से यह स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता कि वह राष्ट्रीय महत्व की कौन सी चीजें हैं? वह कौन सा वर्ग है जोकि टैक्स फ्री होंगे और वह कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर एक कंसेशन होगा या कर की कमी होगी। यह एक छुटकारा है, यह कहने का मौका है जो कि आइन्दा चलकर किसी भी स्टेज पर और जिससे सरकार को लाभ पहुंच सकता हो या सरकार जिससे अपने को संतुष्ट कर सकती हो और वास्तव में वह जनहित में न हो, ऐसी चीजों में भी रिआयत की जा सकती है, वह टैक्स फ्री भी की जा सकती है।

यह भी पहले मैं स्वीकार कर लूं कि यह जो लेजिस्लेशन है वह भारतीय संविधान के अनुकूल हो सकता है, अनुसार है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जोकि अवैध घोषित की जा सके, लेकिन सिद्धांततः वास्तव में यह देखा जाय तो किसी भी सरकार के लिये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जिससे आइन्दा ऐसी चीज हो सके, श्रेयस्कर नहीं प्रतीत होता है। हो सकता है, माननीय मंत्री महोदय को इसमें एक चीज और दिखाई दी है। वह देखते हैं कि राष्ट्रीय महत्व की चीज जो हो, आज से कम से कम तीन साल और अधिक से अधिक ५ साल तक उसके लिये यह कानून लागू हो सकता है। मैं यह नहीं समझता हूं और यदि मैं यह समझूं तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है कि अगर यह जो तीन साल का मिनिमम फिक्स किया गया है अगर उसके पहले ही राय हो कि अब कंसेशन हटा लिया जाय या जो टैक्स फ्री चीजें हैं उन पर सेल्स टैक्स लगाया जा सके तब क्या होगा? दूसरी बात यह है कि जहां पर उत्पादन के संबंध में यह सोचा जा सकता है कि बहुत से नये उद्योग धंधे जो होंगे उनके लिये रिआयत हो सकती है, लेकिन जो कि बहुत पुराने धंधे भी चले आ रहे हैं और राष्ट्रीय महत्व के भी थे, और सरकार जब इस नोटीफिकेशन के बाद कुछ फैक्ट्रीज को यह सुविधा देगी तो जो पुराने कारखाने हैं उनकी क्या दुर्गति होगी, यह सदन स्वयं समझ सकता है। बहुत सी चीजों के लिये या तो कोई चारा न होगा, जबकि सेल्स टैक्स फ्री हों या उसमें कुछ न्यूनता हो ऐसी फैक्ट्रीज जो हैं उनके रहते हुये पुरानी फैक्ट्रियों का कम्पीट करना असंभव सा हो जायगा। और अगर यह कहा जाय कि तुम्हारा टर्न ओवर राष्ट्रीय महत्व का नहीं होता है और यह स्वरूप बदल जाने से राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है, जहां पर मैन पावर की परवाह न की जाय इसकी परवाह न की जाय कि इन्सान जिन्दा रहकर अपना तन वस्त्र से ढंक सके, अन्न से अपने को जीवित रख सके, उस सरकार से यह आशा करना कि वह बुद्धिमानी से नापेगी कि कौन सही चीजें हैं जो नेशनल इम्पारटेंस की हैं? यह ठीक है कि लेजिस्लेचर को यह आवश्यक है कि वह सरकार को अधिकार दे, डेलिगेटेड अथारिटी का यह उसूल है कि अधिकार दिये जाते हैं लेकिन जब यह कटु अनुभव हो या जबकि प्रदेश में हर चीज सरकार के पास मौजूद है तो कोई ऐसी नई चीज नहीं आ रही है। जिसके बारे में कोई ज्ञान लोगों को न होना साफ जाहिर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

नेशनल इम्पार्टेन्स का क्या पैमाना है उसकी क्या बेसिस है जिसके आधार पर आप उनको राष्ट्रीय महत्व का कहने का इरादा रखते हैं? उसको स्पष्ट करने सदन में बताना चाहिये ताकि हम समझ सकें कि वे कौन सी वस्तुयें हैं। यह कहना कि हमें अधिकार चाहिये, ठीक है लेकिन अधिकार उस समय दिये जाते हैं जब कि उन चीजों को हम फोरसी न कर सकें या ऐसी बात हो जिस के लिये यह कहा जा सके कि इस सी है या नेशनल कोई ऐसी चीज है जिसके लिये एक्जीक्यूटिव को शक्तिसम्पन्न बनाना जरूरी है कि कोई भी विशेष परिस्थिति आवे तो वे उसका सामना कर सकें। तो वह कौन सी चीज है, अब तो सेल्स टैक्स से कोई भी चीज नहीं बची है. यहां तक कि नमक तक नहीं बच पाया। उनको सदन के सामने तैयार होकर आना चाहिये था कि वह कौन सी चीजें हैं जिनके लिये आपको रूल बनाकर रखना चाहिये जिससे दुनिया देख सके कि यह नेशनल इम्पार्टेंस की चीज है या नहीं।

जैसा मैंने पहले कहा कि यह तीन साल और पांच साल की बात जो है वह उचित नहीं है। अगर नेशनल इम्पार्टेंस की चीज है तो पांच साल भी मैक्सिमम नहीं कहा जा सकता बल्कि उसको तो मिनिमम ही कहा जायगा। यह किसी मुल्क के लिये जो तरक्की के पथ पर अग्रसर हो चुका हो, जिसकी आर्थिक स्थिति में इतना सुधार हो चुका हो यह सोचा जाय कि चन्द सालों के लिये यह सुविधा दे दी जाय, मैं तो कहता हूं कि पांच साल और दस साल भी काफी नहीं होगा। यदि उस पैमाने देखा जाय तो ऐसा कानून बने और उस समय बने जब कि एक दूसरा बिल हमारे सामने हो। एक साहब ने कहा कि शीघ्र इसको पारित कराना चाहिये नहीं तो महान क्षति हो सकती है और विप्लव क्रांति हो सकती है। अगर यह बात थी तो इसको सन् ५५ में ही पास करना चाहिये था। मान्यवर, यही नहीं सिर्फ इतना ही कहना काफी न होगा। मैं तो यह कहता हूं कि इस भवन से हमने इतने डिस्क्रिमिनेटरी लाज पास कर दिये हैं कि अगर यह टेंडेंसी रोकी जा सके तो इस प्रदेश के लिये हित कर सिद्ध होगी। यही नहीं, मैंने यह भी देखा कि आप कहीं कुछ करते हैं और कहीं कुछ। मैं जहां तक इसके सिद्धान्त की बात है विरोधी नहीं हूं लेकिन इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन अगर किसी को आपत्ति हो सकती है तो केवल यह हो सकती है कि जो अधिकार हम शासन को सुपुर्द कर रहे हैं उसका दुरुपयोग हो सकता है। माननीय रामलखन जी विद्यमान नहीं हैं। यदि वे होते तो यह कहते कि यह भूतकाल की जानकारी है यह प्राचीन काल की बुद्धि है। मैं तो उनसे केवल यह कहता हूं कि जैसा वे हर चीज को प्राचीन काल का समझते हैं यदि आज वे होते तो उनको सुनने का और उनसे कहने का अवसर मिलता कि कहीं प्राचीन काल की बुद्धि से इस पर भी टीका टिप्पणी करने का प्रयत्न न करें। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे। जो बिल दूसरा आ रहा है अगर उस नये बिल में इसका समावेश कर देते तो कठिनाई न होती। और इसके ऊपर बैठ कर विवाद करें, अपर हाउस को जाय और दुनिया भर की प्रोसीजरल डिफीकल्टीज का सामना करते हुये यह बिल आये जब कि दूसरा बिल मौजूद है जो इससे कहीं महत्वपूर्ण हो सकता है उनकी निगाह में और इसकी परिभाषा इसी रूप से अगर आयेगी कि जरूरी चीजें और जरूरियात को इसी तरह से समझते हैं जब कि जरूरियात जिन्दगी को बिलकुल तिलांजलि दे दी है और मंत्री जी से यह कहूंगा कि वह इस पर शांति और धैर्य के साथ सोचने की कृपा करें और देखें कि जो कुछ वह कर रहे हैं वह कहां तक ठीक है और प्रदेश उनको भविश्य में कहां तक भूल सकेगा और कब तक उन को याद रख सकेगा।

*श्री पूत्तूलाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था तो मेरा जहां तक विचार है इस सदन ने प्रवर समिति को इस उद्देश्य से भेजा था कि इस विधेयक में संशोधन होने के पश्चात् गृह उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उनके ऊपर जो बिक्री कर लगा हुआ उसको हटाने की बात की जायगी। लेकिन यह जैसा यहां से गया था वैसा ही लौटकर वापस आ गया। इससे यह साफ जाहिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि जो भी चलने वाले कुटीर उद्योग धंधे हैं जिन पर सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है उन पर से हटा दिया जाय तो सरकार इसको पसन्द नहीं करती है और नये नये उद्योगों पर जो भविष्य में चलाये जायंगे उन पर सेल्स टैक्स हटाने की बात करना चाहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि इससे जो कुछ रिलीफ मिलेगा वह हैवी इंडस्ट्रीज को मिलेगा क्योंकि आज विज्ञान का युग है और विज्ञान से मदद लेकर हम देश का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और विज्ञान के ऊपर निर्भर होकर बड़ी-बड़ी मशीनों से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है जिस पर काम जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं वही कर सकते हैं और उनके ऊपर यह टैक्स माफ होगा। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह नये-नये धंधे चलाये जायंगे उनसे उत्पादन बढ़ेगा। क्या आज जो गृह उद्योग जिनको हमारे अशिक्षित लोग गांवों में रहने वाले करते हैं, उनके काम करने से देश का उत्पादन नहीं बढ़ेगा? जब हम नये-नये धंधों से उत्पादन बढ़ाने की बात सोचते हैं तो दूसरी तरफ हमारी नीति यह है कि गृह उद्योगों को प्रोत्साहन दें, उसको हम भूल जाते हैं। तो इन दोनों चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं उदाहरण के तौर पर आपके द्वारा वह गृह उद्योग बतलाऊंगा जिन पर सेल्स टैक्स लिया जाता है। मैं आगरे के मुख्य उद्योग को यहां लाना चाहता हूं। आगरे का मुख्य उद्योग शूज इंडस्ट्री है। उपाध्यक्ष महोदय, जब शू निर्माण करने वाला बाजार जाता है उसको चमड़े, डोरे तथा भिन्न-भिन्न चीजों पर एक आना रुपया सेल्स टैक्स देना पड़ता है और उसके बाद वह अपना जूता निर्माण करता है और जब उसका जूता बन जाता है तो वह उसको बाजार में बेचने जाता है। वह पढ़ा लिखा होता नहीं है और माल को रोकने की गुंजाइश नहीं होती है इस लिए उसका जूता सस्ता बिकता है। वह पढ़ा लिखा नहीं होता है इसलिये हिसाब किताब नहीं रख सकता है। तो आपका सेल्स टैक्स विभाग जो है वह मनमाना टैक्स लगाता है जिसकी वजह से वहां का जो उद्योग है वह दिन प्रति दिन नष्ट होता जा रहा है। जहां पर लाखों की संख्या में जोड़े बनते थे वहां अब ५० प्रतिशत उसका माल भी नहीं बनता। तो सेल्स टैक्स की वजह से वह उद्योग दिन प्रति दिन अवनति की तरफ जा रहा है। मैं यह सोच रहा था कि जब यह विधेयक प्रवर समिति में गया है तो वहां इस तरह के कुटीर उद्योगों का जिक्र किया जायगा और हो सकता है कि जैसा मैंने आगरा का उदाहरण दिया है और जगहों का भी जिक्र आए, क्योंकि बहुतेरे उद्योग धंधे हैं और उनके चलाने वाले लोगों को कुछ न कुछ फायदा मिल जाय, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। तो इसके ऊपर मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह फिर से विचार कर और ठीक समझ लें। अभी जैसा कि जगदीश सरन जी ने पहले बतलाया कि इसकी अर्जेंसी के ऊपर सरकार ने अपने कोई विचार नहीं प्रकट किए और वास्तव में इसके इतनी अर्जेंसी नहीं है जितनी अर्जेंसी के साथ वह हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो जब ऐसी बात है और साथ ही साथ दूसरा विधेयक भी जल्दी ही आने वाला है तो मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करें। कोई जल्दी की आवश्यकता नहीं है और जैसा कि गौतम जी ने कहा, सुझाव दिया कि इसको वापस लेकर जो दूसरा विधेयक आ रहा है उसमें शामिल कर लिया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक जो सदन के सामने है उसको अगर एक वाक्य में कहा जाय तो यह कहा जा सकता है कि यह विधेयक प्रतिक्रियावादी व डिस्क्रिमिनेट्री और अनावश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय देखने में तो इस बिल में कुछ नहीं है, केवल दो लाइनों का है, कहा गया है परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूं और मैं सरकार की बुद्धि की तारीफ भी करूंगा, लेकिन अफसोस यह है कि यह बुद्धि पूंजीपतियों के हित में ही ज्यादा काम करती है और जब कहीं मध्यम श्रेणी के लोगों का प्रश्न उठता है गरीबों का प्रश्न उठता है तो पता नहीं उस बुद्धि का कहां लोप हो जाया करता है। आज इस बिल के द्वारा पूंजीपतियों

[श्री रामसेवक यादव]

को राष्ट्रीय चीजों के, नेशलनल इंपार्टेंस की चीजों के नाम पर कुछ छूट देने का सवाल इस सदन के सामने उठाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार बिक्री कर लगाने का सवाल उठाती है और किस लिये कि आज हमारे प्रदेश की गरीबी को दूर करना है या अनइम्प्लायमेंट को दूर करना है और इसके लिये वह जीवनोपयोगी वस्तुओं जैसे नामक, तेल, रोटी आदि पर टैक्स लगाने की सोचती है और दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों को तीन करोड़ रुपया तो दिया ही जाता है इमदाद के तौर पर लेकिन साथ ही में उनको इस तरह की छूट भी दी जाती है। यही उम्मीद है आप से। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह विरोधाभास कि एक ओर तो जीवनोपयोगी वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाय बिक्री कर कानून ला करके और दूसरी तरफ पूंजापतियों को इस तरह की छूट दी जाय और उनको इस तरह से प्रोत्साहन दिया जाय, इसका साफ साफ मतलब यह है कि सरकार अपनी पूंजीवादी नीति के परिचायक के रूप में यह बिल सदन के सामने ला रही है। यह ठीक है कि यह सरकार तथाकथित समाजवाद के नाम का नारा लगाती है लेकिन उसका यह बिल भंडाफोड़ कर देता है। मैंने इस बिल को वेग कहा है इसलिये कि आज आप कहते हैं कि हम नेशनल इम्पार्टेंस की जो चीजें होंगी उन पर सेल्स टैक्स नहीं लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल इम्पार्टेंस की चीजें क्या हैं इसको कौन तय करेगा? इसको तय करेंगे आपके अधिकारी वर्ग और वह किस तरह से तय करेगा जिस तरह से कि मशीनरी चलती है सरकार की। वह किसके हित में तय करेगा? वह तय करेगा धनिकों के हित में। इसके अन्दर क्या नीति है, मैं तो उसको नहीं समझ पाया। लेकिन यह जरूर साबित होता है कि आज जो चुनाव चला आ रहा है उसके लिये लोगों को प्रोत्साहन देकर चुनाव फंड लेने का कोई मकसद हो सकता है। अगर कोई लिस्ट दी जाती तो जनता समझ जाती। लेकिन इस चीज को सरकार अपने ऊपर ले रही है और इस सदन को अन्धेरे में रख कर इस तरह से नाजायज फायदा उन धनिकों को यह सरकार पहुंचाना चाहती है। बिजली की सहायता भी उन लोगों को दी जायगी। एक बड़ा विधेयक सेल्स टैक्स अमेंडिंग बिल भी आने वाला है। जब वह सदन के सामने आ जाय तब उन परिस्थितियों पर विचार करें और उन पर पूरी तरह से विचार हो सकता है और सोच समझ कर उस बिल को यहां पर पेश किया जा सकता है। परन्तु न जाने क्यों सरकार इस कानून में जल्दी कर रही है। ५५ का यह बिल ५६ में रख कर इसको पास करना चाहती है। उस बिल के साथ इस बिल को जोड़ने में सरकार को क्या आपत्ति है? चाहे इस पक्ष का और चाहे उस पक्ष का हो, हर व्यक्ति ने अपनी यह राय दी है कि अच्छा होता इस विधेयक को उस बड़े विधेयक के साथ जोड़ दिया गया होता। परन्तु सरकार यह इस लिये कर रही है कि जब वह विधेयक इस सदन के सामने आ जाय तो यह कहा जायगा कि देश की तरक्की करने के लिये और विकास के लिये हम नमक पर, खाने पर, और रोटी पर टैक्स लगा रहे हैं। तब हम लोग यह न कहें कि इस सेल्स टैक्स से पूंजावादियों को सुविधा दी जा रही है। इसलिये उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह इसके साथ ही उसको भी लायें। तब सदन के लोगों को और बाहर भी यह जाहिर हो जायगा कि असलियत क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आज छोटे छोटे उद्योग धंधों की तरक्की की बात कही जाती है तो उससे बड़े बड़े मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने का मकसद है। इससे अनइम्पालयमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन काटेज इंडस्ट्री को इनकरेज करने से बेकारी की समस्या दूर होगी और देश तरक्की करेगा। पता नहीं कि कहां का यह ख्याल है कि सिर्फ बड़े बड़े पूंजीवादियों को रुपया देकर ही इस देश का कल्याण हो सकता है और देश को तरक्की दी जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से और सदन के सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वह कम से कम इतना तो अवश्य करें कि इस वक्त सरकार को मजबूर करें कि वह दोनों विधेयकों को साथ लाने का प्रयत्न करें और अगर नहीं तो कम से कम इस बिल को रिजेक्ट करें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, इस विधेयक को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यू० पी० सेल्स टैक्स का इतिहास और अधिक रहस्यमय होता चला जा रहा है। पिछले तीन साल से हम देखते हैं कि जितनी बार सेल्स टैक्स ऐक्ट में संशोधन किया गया है उतनी बार केवल लैन्ड रिफार्म ऐक्ट में सुधार किया गया है। इसी वर्ष इस सेल्स टैक्स के विषय में अलग-अलग विधेयक और उनमें इस प्रकार का उलझाव किया जा रहा है कि वह सामान्य जनता और सामान्य नागरिक की समझ से परे का विषय हो जाय। इसी प्रकार के विषयों से ओत-प्रोत एक विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया और सरकार की ओर से कहा गया कि एक क्लाज का विधेयक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को क्यों भेजा जाय। कई बार महत्वपूर्ण विधेयक पर इस बात का प्रस्ताव किया गया कि संयुक्त प्रवर समिति को कोई विधेयक न भेजा जाय। तो सरकार की ओर से उस विधेयक को ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजने की क्या आवश्यकता है? लेकिन सरकार ने इस एक क्लाज के विधेयक को स्वयं ज्वाइंट कमेटी में भेजा और इसको इतना अधिक महत्व दिया। जितना अधिक महत्व दिया उतना ही रहस्य इसमें होगा, यह स्वाभाविक ही है। मैं माननीय गौतम जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने सारगर्भित भाषण में इसमें जो दोष थे उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। अब मैं आपके सामने वैधानिक दृष्टि से जो एक दो तथ्य हैं उनको रखना चाहता हूं।

आखिर यह सेल्स टैक्स लगाने का जो अधिकार मिला है वह क्यों मिला है यह है क्या? यह टैक्स आन सेल्स आफ गुड्स है, लेकिन जब हम इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को देखते हैं तो एक नयी बात ही मालूम होती है। इसमें मैन्युफैक्चर के ऊपर टैक्स की बात कही गयी है। हमारे विधान में जहां इसका जिक्र आया है उसमें सेल्स टैक्स का आइटम ५४ है। उसमें लिखा है —"

"Taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers."

तो यह टैक्स आन सेल आफ गुड्स है। जो मैन्युफैक्चरर है या जो इंडस्ट्री है उस पर यह टैक्स नहीं है, यह केवल गुड्स के सेल पर टैक्स है। तो अगर हम कोई छूट भी दे सकते हैं, कोई ऐक्जेम्प्शन भी कर सकते हैं तो वह सेल आफ गुड्स पर ही कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को ऐक्जेम्प्ट नहीं कर सकते। यह व्यक्ति पर टैक्स या इनकमटैक्स नहीं है अथवा मैन्युफैक्चरर पर टैक्स नहीं है बल्कि यह गुड्स के सेल पर टैक्स है। इसलिये हमें सेल्स टैक्स लगाने की विधान से जो आज्ञा मिली है उसकी शब्दावली में यह संशोधन विधेयक आता नहीं है। सरकार टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन का बहुत जिक्र करती है। जिस बिल पर हम दो तीन दिन बाद विचार करेंगे उस बिल का आधार भी टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट ही बतायी जा रही है। मैं मांग करता हूं सरकार से एक श्वेत-पत्र प्रकाशित करने के लिए कि वह टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशों को किस हद तक मानती है। उसने तो यह साफतौर से बताया है कि किसी भी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिये सेल्स टैक्स माफ करने का तरीका उसको प्रोत्साहन करने का तरीका नहीं है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन का यह कहना है कि—

"Apart from this, sales-tax commissions are hardly a suitable method of encouraging particular industries, trades, activities, etc".

उन्होंने ऊपर कहा है कि केवल गृह उद्योगों को छोड़ कर और किसी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिये अगर सेल्स टैक्स को विषय बना दिया जायगा तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। यह सिद्धान्त सेल्स टैक्स के बारे में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। लेकिन सरकार किसी भी बात में स्पष्ट नहीं मालूम पड़ती। जब टैक्स बढ़ाने की बात आती है, मल्टीपाइंट टैक्स लगाने की बात आती है तो वह टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन का सहारा लेती है लेकिन जब एक्जेम्पशन का सवाल आता है तब वह उसकी बात नहीं मानती। राष्ट्रीय महत्व के जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

आर्टिकिल्स हैं, विधान के अनुसार जो एसेन्शियल कमांडिटीज मानी गयी हैं उनको छोड़कर राष्ट्रीय महत्व की जो वस्तुयें हैं यह स्पष्ट नहीं है।

राष्ट्रीय महत्व की जो वस्तुयें हैं, उनके बारे में परसों पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पार्लियामेंट में रक्खा, उसमें कुछ बताया है कि राष्ट्रीय महत्व की वस्तुयें क्या हैं, उसके दो शिड्यूल्स हैं। एक शिड्यूल-'ए' और दूसरा शिड्यूल 'बी'। शिड्यूल 'ए' में जो वस्तुएं थीं उनको केवल राज्य निर्माण कर सकेगा और राजकीय पैमाने पर उन उद्योग-धंधों की वृद्धि होगी और जो 'बी' शिड्यूल है उसके बारे में सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान के इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन में उन्होंने कहा है कि इस शिड्यूल 'बी' में जो व्यक्तिगत उद्योग-धंधे होंगे या जो व्यक्तिगत रूप से कार्य करने वाले उद्योगपति होंगे वह राज्य के हितों को सप्लीमेंट करेंगे, पूरक होंगे, न कि यह राज्य शक्ति उनकी पूरक बनेगी। यह बिल जो आप ला रहे हैं यह सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान के इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन के बिलकुल खिलाफ है, क्योंकि आप जिस तरह की इंडस्ट्रियल पालिसी यहां चला रहे हैं और जिस तरह से आप सेल्स टैक्स का एक्जेम्पशन कारखाने वालों को राष्ट्रीय महत्व की चीजों पर देने जा रहे हैं, उसके द्वारा हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य व्यक्तिगत उद्योगपतियों का, व्यक्तिगत पूंजीपतियों का पूरक बनने जा रहा है न कि वह लोग हमारे पूरक बनने जा रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सेल्स टैक्स बिल जो कांग्रेस सरकार की उद्योगनीति है उसके भी विपरीत है।

इसके साथ ही साथ अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से भी देखें तो जैसा कि डिसक्रिमिनेशन के सम्बन्ध में माननीय जोरावर वर्मा ने कहा, वह बात तो आती ही है लेकिन उसके अलावा यह इतना भ्रामक बिल है कि इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि "किसी माल अथवा माल के वर्ग के विशिष्ट उत्पादकों की बिक्री कर से छूट देने, या उन पर कम दर से बिक्री कर लगाने के लिए यू० पी० बिक्री कर ऐक्ट को उचित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है"। तो माल के वर्ग के विशिष्ट उत्पादकों का जिक्र तो इसमें किया गया है लेकिन बिल में कहीं विशिष्ट गुड्स का प्रयोग नहीं हुआ है, उद्देश्य और कारणों में तो है लेकिन बिल में कहीं नहीं है। तो इस तरह के शब्दाडम्बर से पूरित और इस तरह के रहस्यमय बिल के लाने की क्या आवश्यकता है, जब कि केवल ३ दिन के बाद ही इसी सदन में इसी ऐक्ट की चौथी धारा का हम संशोधन करने वाले हैं?

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उस बिल को मैंने देखा, उसमें भी इसी धारा ४ का संशोधन होने जा रहा है। मैं तो यह समझता हूं कि जिस कारण से इन दोनों बिलों को नहीं मिलाया जा रहा है उसका केवल एक ही कारण है कि उसके लिए माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी और सरकार समझती है कि इस तरह से अगर अलग-अलग रखेंगे तो इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी और उनको डर है कि इस तरह से कहीं भारतीय सरकार या फाइनेन्स विभाग इसमें रोड़ा न अटका दे। मैं यह बात साफ कह देना चाहता हूं कि प्रेसीडेंट की रुकावट से राज्य सरकार बचना चाहती है, जो वैधानिक रुकावट है उससे सरकार बचना चाहती है। मैं समझता हूं कि इस तरह से भारत सरकार के अंकुश से यह सरकार बचना चाहती है। मैं इस विषय में एक ही दृष्टान्त देना चाहता हूं, आप देखेंगे कि जो नया बिल मेज पर रखा गया है उसमें एक नई धारा ३ (अ) जोड़ी गई है और उसमें केवल ३ (अ) का जिक्र है। अगर सरकार इस बात का ख्याल करती कि जो दूसरा बिल आ रहा है उसमें और इसमें एक सिमेट्री रहे तो वह ऐसा नहीं करती और साथ ही इन्टरप्रिटेशन का भी इसमें ख्याल नहीं रखा गया है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि सरकार इस बिल को वापस ले ले और माननीय जवाहर लाल जी ने जो पार्लियामेंट में उद्योग-नीति की घोषणा की है उसके अनुसार अपने राज्य की उद्योगनीति को बदलें और उद्योग के

विकास की नीति को बदले और इस को विधान की मर्यादा के खिलाफ विधान के विरुद्ध न बनाये और व्यक्ति पर टैक्स न हो बल्कि गुड्स पर हो।

मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यह विधेयक गुड्स पर के सेल के संबंध में लगाया जा रहा है मैन्युफैक्चरर की इनकम पर यह कोई टैक्स नहीं है। इसलिये यह विधेयक वापस होना चाहिये। यह अवैधानिक है और यह किसी प्रकार भी शोभनीय नहीं है। किसी भी दूसरे प्रदेश में इस प्रकार की छूट नहीं दी गई है। मैं जानना चाहूंगा वित्त मंत्री जी से कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करके एक इंटरनल टैरिफ क्रियेट करके जिस प्रकार बाहर की वस्तुओं पर टैरिफ की दीवार खड़ी करते हैं उसी प्रकार आन्तरिक वस्तुओं पर टैरिफ की दीवार खड़ी करके और जो भारी उद्योगों से उत्पादित वस्तुयें हैं उन पर इस प्रकार की टैरिफ की दीवार खड़ी करके यह और भी अवैधानिक कार्य किया गया है। इसलिये यह विधेयक जरूर वापस ले जाना चाहिये।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—इस विधेयक के संबंध में इस भवन में जो तर्क दिये गये हैं मैं उनमें अधिकतर से सहमत हूं। मैं यह मानता हूं कि बहुत से ऐसे उद्योग-धंधे हैं जिनको और जिनका उत्पादन बढ़ाने के लिये यह आवश्यक हो जाय भविष्य में कि उनको कर और टैक्स से रिलोफ दी जाय। किन्तु अध्यक्ष महोदय, यह होते हुये भी मैं समझता हूं कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति पाई जाय तो इसके लिये सरकार की तरफ से अधिकार लेना कि वे अपनी इच्छा के अनुसार जहां जैसा चाहें वैसी वे छूट दे दें, जिसको चाहें उसको छूट दें, जिस माल के संबंध में छूट देना चाहें उस माल को ही छूट दें, जिस तारीख से उत्पन्न माल के संबंध में छूट देना चाहें उसी तारीख के पश्चात् उत्पन्न माल को छूट दें, इतने ज्यादा अधिकार लेना और इतनी बेगनेस सरकार को अपने सामने रखना मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिये बुरी बात है। अध्यक्ष महोदय, इस बहस के ऊपर मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं जो कुछ कहना चाहूंगा और चाहता हूं इस बात को मान कर कि सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि किन्हीं कारणों से और उनमें से एक कारण यह संभवतः हो सकता है कि सरकार का द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में यह मुख्य लक्ष्य है कि उद्योगों का विशेषकर विस्तार हो और जब एक बार सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है तो यह आवश्यक है कि सरकार चारों ओर देखे और देखे कि किस प्रकार उद्योगों को बढ़ाने के लिये वह क्या कर सकती है और क्या कदम उठा सकती है। संभवतः इस दृष्टिकोण से सरकार ने सेल्स टैक्स के विषय पर विचार किया और सरकार के सलाहकारों ने यह राय इस मौके पर दी है कि उत्पादन बढ़ाने का एक अच्छा तरीका यह होगा कि सेल्स टैक्स के संबंध में छूट देने का अधिकार सरकार अपने हाथ में ले लें। अध्यक्ष महोदय, मैं मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक केवल मात्र एक टेक्निकलिटी के कारण हमारे वित्त मंत्री के हस्ताक्षर से यहां प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में इस विधेयक का संबंध तो हमारी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के साथ है। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में स्पष्ट कर दिया गया है कि यह विधेयक कोई आमदनी या किसी फाइनेन्शियल विषय से संबंध नहीं रखता किन्तु केवलमात्र इसका एक लक्ष्य यही है कि उत्पादन बढ़ाया जाय। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को केवल फाइनेंस के दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं होगा किन्तु जैसा कि मित्र नारायणदत्त जी ने कुछ हद तक यहां उस ओर इशारा किया हमको इस विधेयक के फल, उसके लाभ होने या न होने के संबंध में विचार कर उसकी जांच करनी होगी। वित्त मंत्री जी ने इस विधेयक का जो प्रथम खंड है उसमें उन्होंने कहा है कि जब सरकार की राय में किसी माल का उत्पादन बढ़ाने के निमित्त ऐसा करना आवश्यक हो वह छूट इत्यादि दे दे तो प्रश्न यह उठता है कि सरकार ने जो अधिकार इस विधेयक के द्वारा लेने की कोशिश की है वह केवलमात्र उत्पादन बढ़ाने के निमित्त है।

मैं समझता हूं कि यदि इस अवसर पर हम विचार करें कि कितना उत्पादन बढ़ाना किसी एक वस्तु का आवश्यक है और यदि आवश्यक है तो सेल्स टैक्स में छूट देने से क्या यह लक्ष्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय का कहना कभी यह न होगा कि हरएक वस्तु में जिसमें आप छूट दे दें उसमें स्वतः उत्पादन बढ़ जायगा। यदि ऐसा होता तो हमारी हैन्डलूम इंडस्ट्री आज उस दशा में न होती जिस दशा में वह आज पायी जाती है। उनको सेल्स टैक्स के संबंध में काफी कन्सेशंस हैं, रिबेट मिलते हैं। उसके बावजूद हमारी हैन्डलूम इंडस्ट्री की हालत आर्थिक दृष्टि से सुधरी या सम्हली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि इस विधेयक से सरकार का कोई आर्थिक लाभ तो होने वाला नहीं है, न सरकार ही यह कहती है कि आर्थिक लाभ होगा। किन्तु यह भी संभव है जैसा और माननीय सदस्यों ने संकेत किया है कि सरकार जो डिस्क्रिशनरी पावर अपने हाथ में लेने जा रही है यदि दुर्भाग्य से, किसी कारण से, या गलती से उसका दुरुपयोग हो जाय तो हमारा जो पहले ही से बिगड़ा हुआ एकोनामिक बैलेंस है उसका बिगड़ना और बहुत तेज रफ्तार से बिगड़ने का अन्देशा पैदा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, और आगे माननीय सदस्यों ने भी जिस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है मैं उसको कुछ हद तक दोहराना आवश्यक समझता हूं। सरकार ने यह इच्छा जाहिर की है कि तीन वर्ष से पांच वर्ष की अवधि तक छूट देने का अधिकार हो। अध्यक्ष महोदय मालूम नहीं कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री होगी जो कि तीन वर्ष में क्या पांच वर्ष में हर सूरत में अपने पांवों पर खड़ी हो जाय और विशेषकर ऐसी कौन सी इंडस्ट्री होगी जिसको सेल्स टैक्स की छूट देकर सरकार ने एक तरह से उसको कमजोर बना दिया। अगर वह ओपेन मार्केट में आ कर, अपने को लड़ कर, स्थापित कर सकती तब तो मैं समझता हूं कि वह भविष्य में शीघ्र ही स्वतः अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। किन्तु यदि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको सरकार पहले ऋण देती है फिर सरकार कुछ दिन के लिये सेल्स टैक्स की सुविधायें देती है तो मेरी जो सीमित जानकारी है उसका यही अनुभव है कि तीन वर्ष क्या पांच वर्ष की भी अवधि पर्याप्त मालूम नहीं होती। यह तो दूसरा प्रश्न है कि तीन हो या पांच या दस हो। लेकिन जो सरकार अधिकार मांगती है कि चाहे तीन वर्ष हो या पांच वर्ष, मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत बात है। इसमें डिस्क्रिशनरी पावर्स के गलत प्रयोग का प्रश्न उठता है और मैं समझता हूं कि सरकार के हित में यह न होगा कि दुविधा की चीज अपने हाथ में ले क्योंकि यह स्वाभाविक है कि जिस इंडस्ट्री को सरकार तीन वर्ष के लिये छूट दे देगी तो वह वित्त मंत्री और सरकार के ऊपर बहुत ही जोर लगायेगी कि तीन वर्ष की अवधि पांच वर्ष तक बढ़ा दी जाय। और ऐसा ही होता है। अगर इस संबंध में निश्चित रूप से सरकार यह कह दे कि हम यह सहायता दे रहे हैं और हम इस प्रकार से चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े। इन सुभीताओं के बाद अगर किसी वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ता तो गलती और नुक्स इस दिशा में न होगी, किसी और दिशा में सरकार को गलतियां देखनी पड़ेंगी। तो अध्यक्ष महोदय मेरा सुझाव यह होगा कि इसको शुरू से ही ५ वर्ष रख दिया जाय यदि उचित समझा जाय। किन्तु जो कुछ भी हो इसकी अवधि निश्चित होना आवश्यक है। खंड २ में अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—आप तो हर खंड पर विवाद कर रहे हैं।

महाराजकुमार बालेंदुशाह—अध्यक्ष महोदय, लाचारी यह है कि दो ही खंड हैं और दोनों खंडों में सिद्धांत लिपटे हुये हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक और जो सिद्धांत का प्रश्न इसमें है वह यह कि मैं डिस्क्रिमिनेशन शब्द को तो प्रयोग में लाना नहीं चाहता क्योंकि आशा की जाती है कि सरकार जानबूझ कर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी किन्तु जजमेंट में अक्सर एरर्स हो सकती है और डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले ले तो मैं समझता हूं कि वह भी सरकार के लिये उचित न होगा। इस विधेयक में सरकार ने यह अधिकार भी मांगा है कि यदि वह चाहे एक विज्ञप्ति के पश्चात् और विज्ञप्ति के द्वारा सरकार या तो उस विज्ञप्ति के पश्चात् उत्पादित होने वाली वस्तुओं पर यह रियायत देगी या उस माल के संबंध में भी जो कि किसी एक विशेष फैक्ट्री या कारखाने से उत्पादित हुई हों।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारा सदन में कहना ही पूरा न होगा, हमारी जो जुडिशियरी है वह इसको मंजूर न करेगी। और यदि सरकार का यह इरादा हो कि एक व्यक्तिगत फैक्ट्री को रियायत देने से बाकी फैक्ट्री को यह रियायत न मिलेगी तो मैं इससे सहमत न हो पाऊंगा। यदि सरकार इसको इसी रूप में पारित करती है तो मैं जो परिणाम देखता हूं वह यह है कि यदि सरकार एक फैक्ट्री को रियायत देती है तो स्वाभाविक रूप से उस प्रकार की और जो फैक्ट्रियां हैं, जो उसी प्रकार का माल उत्पन्न करती हैं उनको भी रियायत हमारी जुडिशियरी द्वारा मिल जायगी। नहीं तो यह एक डिस्क्रिमिनेटरी क्लाज हो रहा है। क्या माने है कि सरकार एक फैक्ट्री को रियायत दे और दूसरी को न मिले जो उसी तरह का सामान पैदा कर रही है ?

तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक द्वारा सरकार की जो इच्छा है और लक्ष्य है उसकी भी किसी प्रकार से पूर्ति नहीं हो रही है। सरकार कहती है कि इसके द्वारा उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन मैं यहां यह कह दूं कि खाली उत्पादन बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा जब तक कि उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य यह नहीं होना चाहिये कि फलां चीज का उत्पादन बढ़ाना चाहती है किन्तु साथ ही यह भी देखना होता है कि किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ता है तो उसके लिये उसकी डिमांड वह बढ़ाए। केवल उत्पादन बढ़ाने से ही कोई फायदा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक और विषय जिसके संबंध में आज चर्चा हो चुकी है और वह यह है कि उद्देश्य में जो कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के माल के संबंध में सरकार इसको और इस अधिकार को काम में लाने का विचार रखती है। आगे यह भी लिखा गया है कि रियायतें देने से सरकार आशा करती है कि रोजी-रोजगार के नये साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा विचार है कोई भी ऐसा कार्य न होगा जो रोजी और रोजगार न दे। यदि रोजगार देता है तो वह एक राष्ट्रीय महत्व की बात हो जाती है। तो यदि किसी वस्तु को रियायत देने से सरकार यह समझती है कि उससे रोजगार बढ़ता है जैसा कि सरकार का विचार है तो मैं समझता हूं कि इस परिभाषा में तो सभी चीजें आ जायेंगी ; सरकार ने अपना कोई सिद्धांत बनाया नहीं कम से कम इसमें दिखाया नहीं कि उत्पादन हम इस दृष्टिकोण से बढ़ाना चाहते हैं जैसे हो सकता है कि चाहे कपड़े का उत्पादन बढ़ाना चाहें या जैसे प्रथम पंच वर्षीय योजना के संबंध में कृषि और गल्ले का उत्पादन बढ़ाने का विचार था। सरकार को यह बताना चाहिये था और मैं समझता हूं कि बगैर बताये हुये यह बिल अधूरा रह जाता है कि आखीर उत्पादन किस चीज का सरकार बढ़ाना चाहती है, जिस उत्पादन के बढ़ाने से सरकार को आशा है कि रोजगारी बढ़ेगी और साथ ही साथ उत्पादन बढ़ते समय सरकार को भी इस विषय पर ध्यान देना होगा कि उत्पादन के साथ ही साथ उस वस्तु की डिमांड कितनी बढ़ रही है। केवल मात्र एक फाइनेंस की दृष्टि से यह कहना कि मैंने फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से जो रियायत मैं दे सकता था वह मैंने दे दी और बातों से मेरा ताल्लुक नहीं, यह मैं समझता हूं कि उस क्लेविटव रिस्पांसिबिलिटी का मजाक होगा। उस रियायत से जो लक्ष्य सरकार के सामने है वह भी कहां तक और कितना पूरा होता है यह भी आपको देखना चाहिये।

श्री धर्मसिंह —अध्यक्ष महोदय, करीबन दस या ग्यारह सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में बहुत सी बातें कहीं और बहुत सी बातों को उठाया। चाहिये तो यह था कि अभी चार या पांच दिन बाद जो आर्डिनेंस वाला दूसरा विधेयक आने वाला था उसमें ये बहुत सी बातें आतीं और उस समय ये बहुत सी बातें कही जातीं तो अच्छा होता। वैसे मैं उत्तर तो दूंगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें उठायी हैं लेकिन अगर हम जहां तक इस विधेयक का संबंध है उसको देखें तो यह महत्वपूर्ण अवश्य है और उसके अगर हम उद्देश्य और कारण को देखें तो सीधे-सादे तरीके से इसमें यह लिखा हुआ है कि न्यू इंडस्ट्रीज स्टार्टेड फार प्रोड्यूसिंग आर्टिकिल्स आफ नेशनल इम्पार्टेंस। इस तरह की इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने की बात है कि

[श्री धर्मसिंह]

जो नेशनल इम्पार्टेंस की हों। आगे चल कर के इसमें यह कहा गया है कि "which are not manufactured so far in this State" जो हमारे उत्तर प्रदेश में मैन्यूफेक्चर नहीं की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपके पास हिन्दी का भी विधेयक है अंग्रेजी के साथ-साथ?

श्री धर्मसिंह—साथ ही साथ यह भी है उद्देश्य और कारणों में कि इस तरह की रियायतें देने के लिये, आज सरकार को अधिकार देने के लिये ऐसी व्यवस्था का होना आवश्यक है। जो इस तरह के उद्योग-धंधे चालू नहीं हैं उनके लिये यह है। तो इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं। एक-एक को मैं लेना चाहता हूं। एक तो सब से पहली बात यह कही कि सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया और वहां से बगैर किसी तब्दीली के वापस यह आया। एक सदस्य ने तो यहां तक कह डाला कि इसको तो सरकार ने भेजा था सेलेक्ट कमेटी में। तो सरकार ने तो नहीं भेजा था। माननीय सदस्यों ने कहा उसके आधार पर यह सेलेक्ट कमेटी में गया। सेलेक्ट कमेटी ने यह आवश्यक नहीं समझा कि इसमें कोई हेरफेर की बात वह करती, लिहाजा यह उसी तरह वहां से चला आया। इस बात के लिये सरकार को दोषी ठहराना कि सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद उसमें कोई तब्दीली क्यों नहीं हुई, मैं समझता हूं कि यह तो सेलेक्ट कमेटी का स्कोप था कि वह इस पर विचार करती, निर्णय करती कि हम इसमें यह तब्दीली करना चाहते हैं। लेकिन उसने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया। इसके बाद माननीय सदस्यों ने एक बात और कही कि जो पुरानी इंडस्ट्रीज और जो नयी इंडस्ट्रीज होंगी जिनको एग्जम्पशन देने की बात हम करते हैं तो उसमें तो डिस्क्रिमिनेशन आ जायगा। मान लीजिये कि एक इंडस्ट्री २० साल से चली आती है और दूसरी इंडस्ट्री जो हम आज स्टार्ट करते हैं तो जो २० साल की इंडस्ट्री है और जो आज की स्थापित है उन दोनों में एक बड़ा भारी अन्तर होगा। एक २० साल की इंडस्ट्री है, उसकी एक स्टैंडिंग है, उसमें कैपिटल लगा हुआ है वह उत्पादन करती है, लेकिन आज जो एक इंडस्ट्री है, जिसके लिये पैसे की जरूरत पड़ सकती है इस तरह की बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। किस तरीके से वह आगे बढ़ेगी, किस तरह से आज के मार्केट में रहेगी? उसके लिये यह कहना कि वह पहले से इंडस्ट्री चली आती है और आज एक इंडस्ट्री स्थापित करने के लिये कोई जा रहा है तो उसके लिये तो उद्देश्य ही इस बात का है कि हम इस तरह की इंडस्ट्री को, जबकि हमारे सामने पंचवर्षीय योजना है, जबकि हमारे सामने बेरोजगारी है, परेशानी है तो हम चाहते हैं कि उसको प्रोत्साहन दें। उसके लिये जहां तक नियम की बात है इसमें व्यवस्था की गयी है।

एक बात बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कही कि साहब तीन वर्ष का जो समय है कम से कम वह ज्यादा है। कम से कम तीन वर्ष और तीन वर्ष से ५ वर्ष तक रखा गया है। जब एक इंडस्ट्री नयी स्थापित होती है तो यह बात सामने आ सकती थी कि उद्योग वालों को तो एक ही वर्ष का समय मिलेगा या दो वर्ष का समय मिलेगा, तो इस तरह से उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो अगर कम से कम तीन वर्ष नहीं होता और अधिक से अधिक ५ वर्ष नहीं होता तो उसको यह विश्वास नहीं होता है कि मुझे यह कंसेशन मिल गया है। हो सकता है कि एक साल के लिये मिले या दो साल के लिये मिले। तो एक इंडस्ट्री के लिये जो देश का उत्पादन बढ़ाने के लिये खोली गयी हो, इतना समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है। तो तीन साल तो इसी कारण से रखे गये हैं ताकि एक आदमी अपने उत्पादन और कैपिटल को, जो इंडस्ट्री वह स्थापित करता है उसको ठीक तरह से कार्य रूप में परिणत करे।

दूसरी बात एक माननीय सदस्य ने कही कि एक उद्योगों की लिस्ट होनी चाहिये थी। कैसी होनी चाहिये थी? आज इस विधेयक को पास करने जा रहे हैं और यदि इसमें लिस्ट बना दी जाती तो इस तरह की लिस्ट के द्वारा हम उन व्यक्तियों को या उस तरह के प्रोडेक्शन को

प्रोत्साहन नहीं देते हैं। हो सकता है कि कल को एक दूसरी लिस्ट बन जाय, क्योंकि इससे तो हम स्कोप को लिमिट करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि नयी इंडस्ट्रीज को क्रिएट करना और देश का उत्पादन बढ़ाना वह इस लिस्ट के बनाने से कैसे पूरा हो सकता है? उसके आगे एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि उसको तो कुछगृह-उद्योगों तक ही सीमित रहना चाहिये था, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज से इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिये था। जहां तक छोटे-छोटे गृह उद्योगों का संबंध है सरकार चाहती है कि वह पनपें, आगे बढ़ें इस तरह की एक लिस्ट भी सरकार ने बनायी थी कि कौन-कौन से हमारे उद्योग-धंधे हैं जो एग्जेम्पशन चाहते हैं। इस बात को कह करके कि सरकार बड़े-बड़े उद्योगों को पनपाना चाहती है, और बड़े उद्योगों को सहायता देकर छोटों को समाप्त करना चाहती है वह कोई न्याय नहीं करते हैं। आगे चल करके यह कहा गया कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। यह समझ में नहीं आया कि किस तरीके से बढ़ेगी? नीचे उद्देश्य और कारणों के संबंध में लिखा गया है कि रोजगार के नये साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा तो किस तरह से रोजगार नहीं बढ़ेगा, यह समझ में नहीं आता है।

आगे चल कर एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह तो इस बिल का हिस्सा हो जाना चाहिये था। यह उनके द्वारा हो सकता है। यह बिल पहले सिलेक्ट कमेटी में गया, वहां पर कुछ निर्णय हुआ उसके बाद यहां पर वापस आया। हाउस ने उचित समझा इस बात को कि कुछ निर्णय करे और उस पर निर्णय करने के बाद में यह कह देना कि यह तो उसके साथ पेश करना चाहिये था युक्ति-युक्त नहीं मालूम होता।

इस तरह से बहुत सी बातें कही गयीं। डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गयी। जो पुराने तरीके से इंडस्ट्रीज चली आती हैं और आज जो नयी इंडस्ट्रीज होंगी जिनको इसके द्वारा एग्जेम्पशन मिलेगा उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऐसा कहा गया। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि किस तरह से हो सकेगा। उद्देश्य तो केवल यह है कि हम इस तरह की चीजों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं जो नेशनल इम्पार्टेंस की हों, जिससे बेरोजगारी दूर हो और लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो। और बहुत से माननीय सदस्यों ने पूंजीपतियों की बात कहीं, बहुत से माननीय सदस्यों ने इलेक्शन की बात कही। जहां तक इंडस्ट्रीज को, पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देने की बात है तो अगर यहां नई-नई इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं और अगर हम उनको एग्जेम्पशन देने की बात करते हैं तो हम यहां उत्तर प्रदेश के रहने वालों को उत्पादन के मामलों में एक और मौका देते हैं कि वे उन्नति करें। इसके लिये हम पर यह लांछन लगाना कि हम पूंजीपतियों को सहारा देते हैं शोभा नहीं देता। बहुत से माननीय सदस्यों ने जो और बातें कही हैं उसका उत्तर तो यही है कि यह सीधी-सादी बात है, बहुत छोटा सा बिल है। केवल एक क्लाज का संबंध है उसका स्कोप भी है और सरकार का और कोई उद्देश्य नहीं है केवल किसी तरह से उत्पादन बढ़े और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये ही एग्जेम्पशन दिया जायगा। वह तरीका क्या होगा वह आदमी ऐप्लाई करेगा और ऐप्लाई करने के बाद ही सरकार निर्णय कर सकेगी। इन शब्दों के साथ में आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसको क्लाज बाई क्लाज विचार करने के लिये स्वीकृत दें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५५, पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ४ के पश्चात् ४—क के रूप में निम्नलिखित नयी धारा जोड़ दी जाय:

यू० पी० ऐक्ट २५, १९४८ में नयी धारा ४—क का रखा जाना।

"निर्दिष्ट अवधि के लिये कुछ सामानों का बिक्री-कर से मुक्त किया जाना।

४-क---(१) जब राज्य सरकार की राय में किसी माल का उत्पादन बढ़ाने के निमित्त ऐसा करना आवश्यक हो तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे माल के सम्बन्ध में निर्माता (manufacturer) की निकासी (turnover) ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष से कम, और पांच वर्ष से अधिक न हो, जो भी निर्दिष्ट कर दी जाय, धारा ३ अथवा धारा ३-क में किसी बात के होते हुये भी, बिक्री-कर से मुक्त रहेगी अथवा उस पर ऐसी कम दर से कर देय होगा जिसे राज्य सरकार निश्चित करे।

(२) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह विज्ञप्ति के दिनांक के पश्चात् उत्पादित ऐसे सारे माल के सम्बन्ध में या तो सामान्य रूप से, अथवा केवल ऐसे माल के सम्बन्ध में जो उक्त दिनांक के पश्चात् निर्मित अथवा स्थापित किसी फैक्टरी या कारखाने में उत्पादित हुए हों, उपधारा (१) के अधीन छूट (exemption) दे दें।"

श्री तेजप्रताप सिंह---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ४-क की उपधारा (१) की पंक्ति ६ के शब्द "जो" और "पांच" के बीच के शब्द "तीन वर्ष से कम, और" निकाल दये जायं।

इन शब्दों के निकाल देने से उपधारा ४ (क) इस प्रकार हो जायगी :---

"जब राज्य सरकार की ओर से किसी माल का उत्पादन बढ़ाने के निमित्त ऐसा करना आवश्यक हो तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे माल के सम्बन्ध में निर्माता, मैन्यूफैक्चरर की निकासी, टर्न ओवर, ऐसी अवधि के लिये जो पांच वर्ष से अधिक न हो, जो भी निर्दिष्ट कर दी जाय धारा तीन अथवा धारा ३-क में किसी बात के होते हुये भी बिक्री कर से मुक्त रहेगी अथवा उस पर ऐसी कम दर से कर देय होगा जिसे राज्य सरकार निश्चित करे।"

जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमें यह एग्जेम्प्शन देना है किसी वस्तु पर जिसको कि राष्ट्रीय महत्व का हम समझते हैं तो उस एग्जेम्प्शन को कम से कम तीन साल के लिये क्यों दिया जाय। यह ठीक है कि हम अधिक सीमा निर्धारित कर लें कि पांच साल तक यह उद्योग जो राष्ट्रीय महत्व का माल उत्पादित करता है वह पांच साल में अच्छी तरह स्थापित हो जायेंगे। तो मैंने यह संशोधन रखा है कि पांच साल की सीमा तो रखी ही जाय आपको डिस्क्रीशन रहे कि पांच साल तक उसको छूट दी जा सके। लेकिन इसका क्या उद्देश्य कि छूट कम से कम तीन साल के लिये हो। अगर तीन साल के लिये हो इस ऐक्ट के द्वारा, हम बन्धन में आ जाते हैं। तो इसके पहले ही यदि वह इंडस्ट्री फ्लरिश करने लगती है और इस्टैबिलिश हो जाती है तब भी वह बिक्री कर से मुक्त रहेगी। इस प्रकार वह लोग फायदा उठाते रहेंगे और निजी रूप से फायदा उठाते रहेंगे। जो कर के रूप में रुपया राजकोष में आना चाहिये वह नहीं आ सकेगा जब कि आप बिक्री कर के द्वारा अपनी रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं और डेवलपमेंट स्कीम्स में रुपया बढ़ाना चाहते हैं और उधर बंधन भी रखना चाहते हैं कि कम से कम तीन साल की छूट देंगे। सवाल सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई इंडस्ट्री पनप नहीं पाती है तो उसको आप पांच साल तक के लिये छूट दे सकते हैं। वे उद्योग जो महत्व के हैं और स्थापित नहीं हो पाये हैं वह बिक्री कर से मुक्त रहें तो आपको और हमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आपके डिसक्रीशन पर छोड़ा है कि जो भी मियाद ५ साल आप समझें रखें।

दूसरे आप यह कह सकते हैं कि तीन साल की गारन्टी तो किसी उद्योग के लिये हमें देनी ही चाहिये। इस गारन्टी को देकर आप क्या नतीजा निकालते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपने ऐक्ट के मुताबिक यह गारन्टी दे दी तो जो उद्योगपति है वह सोचेगा कि तीन साल के लिये तो गारन्टी मिल ही चुकी है और वह अपने काम में स्लैक हो जायगा और उसका यह ख्याल हो जायगा कि तीन साल तक तो बिक्री कर से मुक्त रहेंगे ही चलने दो साधारण रीति से और उसकी दिलचस्पी अधिक नहीं होगी कि वह जल्दी से जल्दी इस उद्योग को अच्छे पैमाने पर चला सके और इस प्रदेश की सेवा कर सके। इसमें कोई इन्सेंटिव नहीं होगा। क्योंकि वह तीन साल के लिये बचा हुआ है। इससे यह दुष्परिणाम होगा कि हम उसके इन्सेंटिव को खत्म कर देंगे। मैं समझता हूं कि इसके लिये यह लाजमी है कि आप अपने पास डिस्क्रीशनरी पावर रखें कि जब आप समझें कि इंडस्ट्री पनप गई है, अच्छे ढंग से चलने लगी है तो उस समय से उस पर बिक्री कर लगायें और अपनी स्टेट की रेवेन्यू को बढ़ायें। मैं समझता हूं कि इतना साफ यह संशोधन है और इसका मकसद इतना अच्छा है और जो मैंने आर्गुमेंट्स दिये हैं उनको मंत्री जी ने सुना ही होगा कि आप स्वीकार अवश्य करेंगे।

श्री धर्मसिंह---अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं और जब मैं उत्तर दे रहा था तो कारण यह बतलाया था कि अगर हमने तीन साल का नहीं रखा जो आदमी कंसेशन चाहता है तो उसके अन्दर एक साइकोलोजीकल एफेक्ट रहेगा कि एक साल या दो साल के लिये इजाजत मिल सकती है तो कम से कम जैसा कि मैंने अभी बतलाया था कि तीन साल का किसी उद्योग धंधे के लिये कोई बहुत बड़ा समय नहीं हुआ करता है। अगर हम नहीं रखते हैं तो उसका मतलब यह है कि सरकार इसके लिये एक साल की बात कर सकती है, दो साल की कर सकती है। अगर हम तीन साल रखते हैं तो उद्योगपति के लिये तसल्ली की बात होगी। उत्पादन बढ़ाने के लिये और कंसेशन देने के लिये तीन साल का समय रखना जरूरी है। अगर नहीं रखते हैं तो उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। इसलिये इसको रखा गया है और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मान्यवर, माननीय तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की बात बहुत ध्यान से सुनता रहा और मुझे आश्चर्य हुआ कि वह कौन सा तर्क है कि जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं समझता हूं कि उस तर्क के पीछे कोई इतना बड़ा सार रखा हुआ है या ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय है कि जो सर्वसाधारण की बुद्धि में नहीं आ सकता है। मान्यवर, एक तरफ तो यह कहा जाता है कि तीन साल की जो अवधि है वह कम है लिहाजा इससे कम में तो हो ही नहीं सकता। मैं श्रीमन्, जैसा पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहता हूं कि न तीन साल की अवधि काफी है और न पांच साल की अवधि काफी है। कोई भी नयी इंडस्ट्री जो खोली जाय उसके लिये, उसके पनपने के लिये, सम्पन्न होने के लिये इतना समय कम है, परन्तु जब सरकार एक ओर लेजिस्लेचर से यह अधिकार मांगती है, निरंकुश अधिकार कि उसको यह अधिकार इस सदन द्वारा प्रदान किया जाय कि वह जिस वस्तु को चाहे नेशनल इंपार्टेंस की समझ कर छूट दे दे या कर से उसे मुक्त कर दे तो यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि उनको स्वयं अपने में विश्वास नहीं है। हम तो खुद कहते हैं कि माननीय तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन का अर्थ यह है कि आप उसको हटा दीजिये और यदि आप किसी समय यह आवश्यक समझते हैं कि तीन साल के पूर्व ही किसी प्रकार का कर लगाया जाय या जो कर में न्यूनता हुई है उसमें वृद्धि की जाय तो मैं नहीं समझता कि उसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है। श्रीमन्, सरकार को स्वयं अपने में विश्वास नहीं है। यह अधिकार तो स्वयं सरकार को ही है और किसी को नहीं है। यह तो एक साधारण सी बात है

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

और निर्दोष संशोधन है और इसको मानने में मुझे तो कोई आपत्ति नजर नहीं आती है कि इसलिये वह इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैंने और साथ ही और दूसरे माननीय सदस्यों ने जैसा कहा वह मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही है कि जो सुविधा आप दे रहे हैं उससे किसी महत्वपूर्ण उद्योग को लाभ नहीं पहुंच सकता है और टैक्सेशन इन्क्वायरी रिपोर्ट को देखते हुए और हर तरह से मैं समझता हूं कि यह उचित है कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करें क्योंकि वह जब चाहें इसमें वृद्धि कर सकते हैं और उसमें कोई वैधानिक आपत्ति न होगी।

*श्री जोरावर वर्मा---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय तेज प्रतापसिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बहुत ही छोटा सा है कि "तीन वर्ष से कम अवधि" इतना हटा दिया जाय। इस संशोधन को मान लेने से सरकार की जो नीति है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती है। हां, एक बात जरूर है कि अगर सरकार का कुछ ऐसे व्यापारियों से कोई सीक्रेट समझौता हो गया है कि कम से कम हम तीन साल की गारन्टी जरूर देंगे तब तो यह जरूर हो सकता है कि तीन वर्ष वाले शब्द हटा देने से सरकार की नीति पर कुछ असर पड़ता हो। क्योंकि जब पांच वर्ष रखा ही है तो उससे सरकार पांच साल तक छूट दे सकती है लेकिन यह जो कम से कम तीन साल की बात रखी गई है यह अनुचित सी मालूम होती है क्योंकि इससे सरकार की नीति पूरी तरह पर स्पष्ट नहीं होती। हां, अगर इस प्रकार की कोई बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि जो सदन में बतलाई नहीं जा सकती या जिसका स्पष्टीकरण यहां नहीं हो सकता तो बात दूसरी है क्योंकि बजाय माननीय मंत्री जी के सभासचिव जी ने ही उत्तर दिया था। तो इन दो शब्दों के हटा देने से कोई बड़ा हेरफेर नहीं हो सकता है और मैं समझता हूं कि इस छोटे से भोले-भाले संशोधन को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिये जब तक कि सरकार का कुछ लोगों के लिये इस प्रकार से नोटिफिकेशन नहीं है या पहले से कोई चीज निश्चित नहीं हो गयी है क्योंकि जब तक इस प्रकार की कोई बात नहीं है तो इन शब्दों को हटाना किसी प्रकार से सरकार के लिये हानिप्रद नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि क्या इस समय भी संशोधन दिये जा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---इसके लिये तो ११ बजे तक का समय दिया गया था और मैंने आप आज ही आये हैं इसीलिये आपको पहले बोलने का समय दिया है।

श्री राजनारायण---यह जो संशोधन माननीय वित्त मंत्री के विधेयक पर प्रस्तुत हुआ है तेजप्रताप सिंह के नाम का मूलतः मैं तो उस संशोधन के विरुद्ध हूं और जिस रूप में यह विधेयक की धारा है उसका तो मैं घोर विरोधी हूं क्योंकि श्रीमन्, आपको याद होगा कि जिस समय यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत हुआ था उस समय भी हमने सरकार से निवेदन किया था कि सरकार ऐसा कौन सा पुण्य है जिसको आवश्यक समझती है, जिसको यहां सेलेक्ट कमेटी से आये विधेयक पर सरकार अपनी इच्छा को व्यक्त नहीं कर पायी है। कि वह कौन सी आवश्यक वस्तु है और वह कौन सा पदार्थ है और कौन सा वह पुण्य है जिसको सरकर छूट देने के लिये, बिक्री कर के भार से मुक्त करना चाहती है। श्रीमन्, बारबार सरकार की ओर से इस सदन में यह बात रखी जाती है और खास कर हमारे बारे में तो अक्सर कही जाती है कि सरकार की इच्छा पर ही हम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम आघात पहुंचाते हैं और सरकार की भावना को कुटिल बताते हैं। तो, श्रीमन्, आप ही इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की भावना और मनोवृत्ति, यदि हम यह कहें कि इस विधान सभा के सदस्यों के सामने और जनता के सामने सफाई के साथ इन वस्तुओं के नाम रखने की नहीं है और सरकार इन चीजों की पावर अपने हाथ में लेकर किसी व्यक्ति विशेष को रियायत देना चाहती है, तो इसमें हमारा क्या अपराध है? हम तो उस शब्दावली को समझने में असमर्थ हैं जिससे कि हम अपनी भावना को व्यक्त कर सकें। आप ही इन बातों को समझ सकने में समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि आपका अनुभव बहुत है और बहुत समय से यहां पर हैं। यहां पर तीन दिन के लिये १४४ लगायी जाती है और उसको हटा लिया जाता है। और इसी बिक्री-कर के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा हुई। जरा इसके उद्देश्य और कारणों को देखा जाय और खास तौर से वही इसमें एक क्लाज है, उसको मैं माननीय मंत्री जी और सम्मानित सदस्यों की सेवा में रख देने की आवश्यकता समझता हूं। उसमें कहा गया है कि —

"राज्य सरकार को किसी माल के, या माल के वर्ग के, उत्पादकों को बिक्री कर से छूट देने या इस पर कम दर से बिक्री कर लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।"

यह अधिकार पहले प्राप्त नहीं था और अब यह अधिकार सरकार प्राप्त करना चाहती है कि सरकार जिसको छूट देना चाहे उसको छूट दे दे।

श्री अध्यक्ष—अभी तो माननीय तेज प्रताप जी का संशोधन आपके सामने है?

श्री राजनारायण—माननीय तेजप्रताप सिंह जी का जो संशोधन है वह कहता है कि जो इसमें तीन बरस रक्खा हुआ है उसको हटा दिया जाय और उनकी जो मंशा वह इस प्रकार की है कि जिन लोगों पर से सरकार टैक्स हटाये उनका चरित्र जनता को रोशन हो जाय। तमाम लोग और जनता यह कहने लगे कि यह तमाम रिश्तेदारों या खास ऐसे वर्ग के हित के लिये हैं जिनके हित में ही सरकार चल रही है। इससे जनमत क्षुब्ध हो और फिर यह उसको वापिस लेना पड़े। यह विधेयक जितनी बुराई करता है उस बुराई पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये यह संशोधन रक्खा गया है। माननीय तेजप्रताप जी का संशोधन बुराई की भयंकरता को न्यून करने के लिये है। लेकिन वह बुराई तो है ही। इसलिये मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि इस सदन के सम्मानित सदस्यों को और पूरी जनता को यह भ्रम न हो कि माननीय तेज प्रताप जी से पूर्णतः सहमत हैं। मगर उनका जो डर है उसको एप्रीशियेट करते हैं। उनका जो डर है और उसकी भयंकरता को कम करने का जो उन्होंने प्रयत्न किया है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। अगर सरकार उसको मंजूर कर लेती है तो उसकी भयंकरता कुछ कम हो जायगी। इसीलिये मैं पहले ही आप से निवेदन करके संशोधन देना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि क्लाज निकाल देने के बारे में माननीय मौर्य जी का संशोधन इससे आगे है। आप आखिर में पूरे क्लाज के लिये कह सकेंगे। इस समय तेजप्रताप सिंह जी का जो संशोधन है उस तक ही सीमित अपने भाषण को रक्खें।

श्री राजनारायण—अभी मैं जरा जल्दी में आया था। अभी उनका कांग्रेस से कुछ रिश्ता तो बाकी है ही। अब मैं उसी की बात पर आता हूं।

माननीय तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन में कहा गया है कि "राज्य सरकार के लिये यह बंध होगा कि वह विज्ञप्ति के दिनांक से या तो ऐसे माल को सामान्य रूप से उपधारा (१) के अधीन बिक्री कर से मुक्त कर दे अथवा उस सारे माल पर ऐसी कम दर से कर लगाये जिसे वह निश्चित करे।"

[श्री राजनारायण]

मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार जो अधिकार अपने हाथ में ले रही है वह बहुत ही अनियंत्रित अधिकार है। इससे बहुत बड़ा कलंक लगने की आशंका है। मैं विधान सभा को इसके बारे में जो कार्यवाही हो रही थी उसको जेल में पढ़ रहा था।

श्री अध्यक्ष--आप असंगत हो रहे हैं। यह बिक्री कर दूसरा है।

श्री राजनारायण--मैं इसी के बारे में कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बताने का प्रयत्न नहीं किया कि वे किस माल पर छूट रखना चाहते हैं और किस माल पर नहीं। और आज जो हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ है उसको पढ़ने का आज मुझे मौका मिला रास्ते में, इस प्वाइंट को उन्होंने भी लिया है कि यदि सरकार बिक्री कर बढ़ाती है और उससे सम्बन्धित वस्तुओं के नाम नहीं बताती है, नहीं गिनाती है तो ब्लैक मार्केटिंग होगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन तरीकों को सहारा लेकर यह सरकार अपने पक्ष को प्रबल बनाती है वह कौन लोग हैं? सरकार बताये कि वह राष्ट्रीय महत्व के पदार्थ कौन हैं? वह किस तरह के माल को तैयार कराना चाहती है, वह कौन-कौन सी चीजें हैं उनकी सूची उसको देनी चाहिए। सन् ४८ में यह बिक्री कर का ऐक्ट बना और उसके बाद उसमें संशोधन आया और उसका सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया और फिर अब भी यह आया है तब भी कोई रूप उसका नहीं है, इसलिए मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि प्रत्येक नैतिक दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, जनतांत्रिक दृष्टिकोण से यह विधेयक इतना गन्दा है, इतना भ्रामक है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। पता नहीं सरकार किस मुंह से यह विधेयक लाई है और ऐसे वह आशा करती है कि सदन के माननीय सदस्य इस पर अपनी राय दें और इसको पास करें जब कि सरकार उन्हीं तर्कों का सहारा लेकर अपने कुकर्मों पर परदा डालने की कोशिश करती है। इसलिए मैं इसके विरोध में हूं और माननीय तेज प्रताप सिंह के संशोधन का मूलतः विरोध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ सरकार की गलती की तीव्रता और भयंकरता को कम करने का प्रयत्न किया है। इसलिए मैं समझता हूं इसमें कोई तत्व नहीं है और सरकार को इस पूरे बिल को वापस लेना चाहिए और दूसरा संशोधन जब आयेगा तो मैं अपने मत को आपकी सेवा में आगे प्रस्तुत करूंगा।

महाराजकुमार बालेंदुशाह--अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मंत्री महोदय ने जो साईकाकोजी का व्याख्यान दिया उसको हम मान भी लें तो उसका मतलब यह होगा कि ३ साल के लिए घोषित करना आवश्यक होगा कि ३ साल के लिए छूट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। माननीय विधान सभा का सदस्य होने के नाते और पार्लियामेंट पद्धति में विश्वास रखने के नाते हम से यह आशा करना कि हम एक अनिश्चित अवधि के लिए अपनी आय को छोड़ दें और सरकार हम से कहे कि हम इस आय को ३ साल के लिए खोदें या ५ साल के लिए खोदें, हमें अधिकार दो तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की गुस्ताखी है और सदन का अपमान है। यह हो सकता है कि यहां नाम तय हो जायं कि हम इतने दिन के लिए फलां चीज का जरिया आमदनी छोड़ रहे हैं लेकिन सरकार का यह कहना कि अगर हम उचित समझेंगे तो ३ साल के बाद खोल देंगे या उचित समझेंगे तो ५ साल के लिए जरिया खोल देंगे तो मैं समझता हूं कि यह सदन के अधिकारों की अवहेलना है। इस तरह का अधिकार सदन से मांगना उचित नहीं है और अगर सरकार इसको ठीक ही करना चाहती है तो वह श्री तेजप्रताप सिंह के संशोधन में संशोधन लाए और अगर वह किसी अवधि के लिए किसी चीज पर टैक्स लगाए या छोड़े तो वह सदन की राय लेकर ही ऐसा करे।

श्री तेजप्रताप सिंह---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा था कि ३ साल की गारन्टी देना जरूरी है क्योंकि यह बात ठीक नहीं है कि कोई इंडस्ट्री जिसको हम छूट दे रहे हैं वह ३ साल में पनप ही जायगी, इससे ऐसा मालूम होता है कि उनको आत्मविश्वास नहीं है कि जब हम ५ साल की छूट दे ही रहे हैं तो वह एक साल में ही वह छूट खत्म कर देंगे। वह जो छूट देंगे उनके एनकरेजमेंट के लिए वह एक ही साल में खत्म कर देंगे, ऐसा कैसे होगा? अगर वह उद्योग नहीं पनपे तो वह २ साल, ३ साल, ४ साल या अधिक से अधिक ५ साल तक की छूट दे सकते हैं। आपको आत्म विश्वास नहीं है, और आप समझते हैं कि हमसे मुमकिन है कि ऐसी गलती हो जाय और एक ही साल में उनकी छूट बन्द कर दें। ऐसी गलती वह समझते हैं कि हम कर सकते। इसलिये उन्हें आत्मविश्वास नहीं है। दूसरे इस विधेयक को देखने से मालूम होता है कि नेशनल इम्पार्टेंस के गुड्स क्या हैं इसकी कोई लिस्ट यहां नहीं है। इसके लिये डिस्क्रीशन वह खुद लेना चाहते हैं। किसी भी गुड्स को वह नेशनल इम्पार्टेंस के समझेंगे, उसे बिक्री कर से मुक्त कर देंगे। हमारे कई माननीय सदस्यों ने बार-बार यह कहा कि नेशनल इम्पार्टेंस के गुड्स कौन से हैं? आखिर वह बतायें तो लेकिन कोई लिस्ट नहीं है। कहीं कोई जिक्र नहीं है विधेयक में, न बतलाते हैं आप। तो आखिर कौन से नेशनल इम्पार्टेंस के गुड्स होंगे जिन्हें आप छूट देंगे। उसके लिये आपको इतना जबरदस्त आत्मविश्वास है कि जिसको आप इस बिक्री कर से छूट देंगे वह सही देंगे। हम तो चाहते थे कि नेशनल इम्पार्टेंस के गुड्स का इस विधेयक में जिक्र होता ताकि उसके बाद आपसे कोई गलती न होती और आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का फेवर न कर सकते।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अब आप अपना भाषण दूसरे रोज जारी रखेंगे। मैं कुछ सूचना देना चाहता हूं।

गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड ट्रस्ट, कानपुर के लिये एक सदस्य के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष---गया प्रसाद लाइफ सेविंग्स फंड ट्रस्ट के एक सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के लिये तीस अप्रैल, ५६ को ४ बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। समय के भीतर निम्न दो सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए :---

१---श्री बलवन्त सिंह---मुजफ्फरनगर,

२---श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---कानपुर।

इसके अलावा ४ बजे सूक्ष्म परीक्षा की गई और यह ठीक पाये गये। अब अगर उनमें से एक नाम ८ मई, ५६ को ५ बजे तक वापस नहीं लिया गया तो निर्वाचन की तिथि तथा समय एवं स्थान बाद को सूचित किया जायगा।

परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरी मेरे पास मुख्य सचेतक से यह प्रार्थना आई है कि प्राक्कलन समिति और स्थायी समितियां जो हैं, परामर्शदात्री समिति इत्यादि जो समितियों के लिये कार्यक्रम रक्खा था कि ८ मई को उनकी नामजदगी होगी वह समय बदल दिया जाय क्योंकि समय कम है। इसके लिये मैंने यह दरियाफ्त किया था कि वह सदन कब तक बैठेगा? इसका जब निर्णय होगा तब अबकी दफा मैं बतलाऊंगा, वैसे नहीं बतलाऊंगा। तो मैं जानना चाहूंगा पहले माननीय मंत्री जी से कि अगर उनको मालूम हो कि कब तक सदन अब बैठेगा वह तारीख निश्चित हो जानी चाहिये। क्या माननीय मंत्री जी बतला सकेंगे?

श्री धर्मसिंह—मालूम नहीं, परसों बतला दूंगा।

श्री अध्यक्ष—तारीख मालूम होने पर ही कार्यक्रम की सूचना बाद में दे सकूंगा। और सुधरा हुआ कार्यक्रम निश्चित कर सकूंगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर शुक्रवार, ४ मई, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२ मई, १९५६।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६३ पर)

Report on Shri Rizwan Ullah Siddiqi, referred by the Director of Medical and Health Services, vide his letter No. 1014-16/C, dated 27th August, 1955.

We have gone into the history as also examined him clinically. The two X-ray plates that he has brought with him have been very carefully examined.

This boy was vaccinated with B. C. G., in September, 1954. On the 14th of January, 1955, while riding a cycle, he twisted his neck to see if any cattle were following him. He spitted some blood-stained sputum for two or three days after this incidence but this was not accompanied by any cough or fever. There is no history of fever at any time between the date of vaccination and occurrence of blood-stained sputum. Soon after the occurrence of blood-stained sputum, his temperature was taken after every four hours and a chart maintained but no febrile reaction was noted at any stage, even before he was put on streptomycin treatment. The B. C. G. vaccination was not accompanied by any abnormal reaction-local or general. There was no regional adenitis.

At present the patient is clinically and radiologically free from active disease and no sputum is available for culture. This laboratory examination would have been of very great help in settling this controversy.

In view of the fact that the B. C. G. vaccination was not followed by any abnormal reaction-local or general, and that there was no febrile reaction at any stage, we are of opinion that a lesion at the right apex was probably present even before he was vaccinated with B. C. G. We are of opinion that the blood-stained sputum came from the threat as this episode was not followed by any febrile reaction. However, the bringing out of blood-stained sputum focussed the attention of the patient and brought him to the doctors who X-rayed him and found the lesion in his lungs. The lesion, which is seen in X-ray plate taken on January 16, 1955, does not appear to be a recent lesion which could have developed between the period of B. C. G. Vaccination and the time of taking the X-ray picture. The lesion is both parenchymal and glandular, accompanied with a certain amount of fibrosis. He appears to be one of those few cases, who are met with now and then where the tubercline reaction may continue to be negative in the presence of tuberculous infection.

We are, therefore, of opinion that the pulmonary lesion in the case of Shri Rizwan Ullah Siddiqi was not a result of B. C. G. Vaccination nor there was any evidence that the lesion was flared by the B. C. G. inoculation.

1. Dr. V. S. Manglik, Professor of Pathology.
2. Dr. B. B. Bhatia, Professor of Medicine.
3. Dr. R. N. Tandon, Head of the Department of Tuberculosis.

1. (Sd.) V. S. Manglik.
2. (Sd.) B. B. Bhatia.
3. (Sd.) R. N. Tandon.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६४ पर)

ग्रामोद्योग ट्रस्ट को सन् १९५२–५३ में १,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। कागज कुटीर उद्योग सहकारी समिति को इस वर्ष ७,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। ये संस्थायें अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड से भी आर्थिक सहायता प्राप्त कर चुकी हैं।

इसके अतिरिक्त राजकीय हस्त निर्मित कागज औद्योगिक शिक्षालय, कालपी, पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यय किया गया है:

सन्			व्यय रुपयों में		
१९५३–५४	..	..	६,६९०	२	६
१९५४–५५	..	..	४,६६८	६	०
१९५५–५६	..	..	११,५३७	१५	३

इसके अतिरिक्त सन् १९५५–५६ में राज्य सरकार द्वारा इस औद्योगिक शिक्षालय की भग्नावशेष बैरकों की मरम्मत तथा कुछ मशीनें आदि खरीदने के लिये ५६,६३० रुपया स्वीकार किया गया।

कालपी में प्रति वर्ष लगभग एक लाख रुपये के मूल्य का कागज बनता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६६ पर)

गोरखपुर

गोरखपुर जिले के अन्तर्गत जिला गोरखपुर में विभिन्न आर्थिक वर्षों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास कार्य करने हेतु निम्न मुख्य-मुख्य लक्ष्य रखा गया है :

१—सिंचाई विभाग

(१) ट्यूब वेल ६०

(२) नहर ११० मील

२—शिक्षा

(१) राजकीय गर्ल्स नार्मल स्कूल, गोरखपुर के साथ एक प्राइमरी क्लास खोला जायेगा।

(२) ८० प्राइमरी स्कूल प्रति वर्ष १६ स्कूल खोले जाने का लक्ष्य है।

(३) १० गर्ल्स स्कूल खोले जायेंगे। (प्रति वर्ष २)

(४) ३८० स्कूल की इमारत का कार्य सम्पन्न किया जायेगा और प्रत्येक स्कूल पर १,००० रु० व्यय किया जावेगा।

(५) ३ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शहर में खोले जायेंगे जिसमें १,००० रु० प्रति स्कूल पर व्यय किया जावेगा।

(६) १४ सीनियर बेसिक स्कूल व एक गर्ल्स सीनियर स्कूल खोला जावेगा।

(७) ५० सीनियर बेसिक स्कूलों में दस्तकारी, सामान्य विज्ञान तथा कृषि शिक्षा क्लास खोले जावेंगे।

(८) ५० वाचनालय सीनियर बेसिक स्कूलों में खोले जायेंगे। ५०० रु० प्रति स्कूल व्यय किया जावेगा।

(९) २ क्रीड़ा स्थल का सुधार किया जावेगा और प्रत्येक पर १,००० रु० व्यय किया जावेगा।

(१०) २३ वाचनालय हायर सेकेंड्री स्कूलों के सुधार का प्रबन्ध किया जायेगा और प्रत्येक पर २,५०० रु० खर्च किया जावेगा।

(११) ७ संस्कृत पाठशालाओं को आधुनिक आदर्श पाठशालाओं में परिवर्तित किया जायेगा और प्रत्येक पर २,५०० रु० खर्च किया जावेगा।

(१२) १ जूनियर ट्रेनिंग स्कूल गोरखपुर में खोला जावेगा।

(१३) १ चलती फिरती वाचनालय खोलने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

३—सार्वजनिक निर्माण विभाग

(१) १३६ मील ४ फर्लांग पक्की सड़कें बनाने का आयोजन किया गया है।

४—स्वास्थ्य विभाग

(१) १ महिला अस्पताल का प्रसार किया जावेगा।

(२) तहसील व जिला स्तर पर अस्पताल में १०० बिस्तरे बढ़ाने की योजना है।

(३) १ एलोपैथिक अस्पताल की इमारत बनाने की योजना है।

(४) १ स्टाफ क्वार्टर तथा नरसेज होम बनाने की योजना है।

आजमगढ़

जिला आजमगढ़ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में अधोलिखित प्रमुख कार्य करने का विचार है ।

१—सिंचाई

सिंचाई के अन्तर्गत लगभग १५८ नलकूल लगाने, २,८१४ सिंचाई के नवीन कूप निर्मित करने, ८९० कूपों की मरम्मत किये जाने, २,८२० बोरिंग करने, १,८९५ पर्शियन ह्वील लगाने और १५० पम्पिंग सेट स्थापित करने का विचार है । इसके अतिरिक्त छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत १० मील चेनल भी निकलनी है । नहर प्रसार ६३२ मील होना है ।

२—कृषि एवं सहकारिता

इस दिशा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में अनुमानतः ४५ बीज भंडार और खोलने का विचार है ।

३—पशुपालन

इस प्रसंग में एक पशु-चिकित्सालय के उत्थान एव १ गोशाला स्थापित करने का कार्यक्रम विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त ६ नवीन पशु चिकित्सालय भी स्थापित किये जाने की योजना है ।

४—शिक्षा

इस प्रसंग में सदर्भित योजना अवधि में १६० जूनियर पाठशालायें खोलनी हैं । २८ सीनियर बेसिक जूनियर हाई स्कूलों में दस्तकारी, ४ में कृषि २५ में सामान्य विज्ञान प्रचलित करने का विचार है ।

५—स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

इस दिशा में ८ नवीन औषधालय, २ नवीन अस्पताल तथा लगभग ३२ बच्चा केंद्र स्थापित करने का विचार है ।

६—यातायात

इस दिशा में लगभग २६० मील नई सड़कें या तो निर्मित होनी हैं या उनका जीर्णोद्धार होना है । इसके अतिरिक्त ३६ पुल भी बनाये जाने का विचार है ।

७—गृह उद्योग

इस प्रसंग में पाइलेट वर्क शाप, चमड़ा, विकास, खादी एवं गुड़ विकास आदि योजनायें कार्यान्वित किये जाने का विचार है ।

देवरिया

देवरिया जिले में विकास के निम्नांकित मुख्य काम द्वितीय पंच वर्षीय योजनान्तर्गत चालू किये जाने का कार्यक्रम है—

१—ट्यूबवेल	..	१०३
२—अच्छा बीज—		
गेहूं	..	५०,७५०
धान	..	१,०१,५५६
अच्छे औजार	..	१५००
खाद	..	५४७,००० मन
३—बीज भंडार खोलना	..	७१
४—सहकारी समितियां बनाना	..	१,९१४
५—गृह उद्योग, समाज सुधार, स्वास्थ्य सुधार तथा अन्य सुधार कार्य ।	..	
पशु चिकित्सालय	..	६

कृतिम गर्भाधान केन्द्र	..	..	८
जिला गोसदन	..	..	१
दुग्धशाला	..	..	१
अस्पताल	..	..	४
औषधालय	..	..	२
बरहज लार	..	..	
पक्की सड़क	..	..	१२ मील
लार गुठनीबाजार	..	..	४ मील
पक्की सड़क	..	..	
गुठनीबाजार से	..	..	
गंडक पर पुल	..	..	१

बस्ती

बस्ती जिले में विकास के मुख्य-मुख्य काम जो भविष्य में होने वाले हैं नीचे सूची में दिये गये हैं:—

नलकूप निर्माण	..	..	१२८
सिंचाई कूप	..	..	१,१८०
नहर ..	..	..	६४ मील
उन्नतिशील गाय का वितरण	..	..	५२०
सांड़ का वितरण	..	..	५०
पशु चिकित्सालय	..	..	६
कृतिम गर्भाधान सेंटर	..	..	२
जच्चा बच्चा केंद्र	..	..	७४
गोसदन ..	..	..	१
नवीन प्राइमरी स्कूलों के निर्माण		..	३६०
नार्मल स्कूल	..	..	१
प्रौढ पाठशालायें	..	..	२३६५
रेडियो ..	..	..	२००
पंचायत पुस्तकालय एवं स्कूल भवन		..	५२०
नये बीज गोदाम	..	..	६३
स्त्री अस्पताल	..	..	२
जन चिकित्सालय	..	..	१५
पक्की सड़क निर्माण	..	..	१५४ मील
कच्ची ,, ,,	..	..	७४२
पुल बड़े ..	..	..	५
पुल छोटे	..	..	१२८
पुलिया ..	..	..	३७५४
पेय जल कूप निर्माण	..	..	२६५३
हैन्ड पम्प	..	..	९४८४
हरिजन कूप	..	..	८२
हरिजन गृह निर्माण	..	..	७६
खादी सेंटर	..	..	८
गृह उद्योग सेंटर	..	..	२८

अनुपूरक प्रश्नोत्तर—सूची में दिये गये समस्त कार्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६० से १९६१ तक सम्पन्न किये जाने की प्रस्तावना है।

जिले में कुल २९ राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र खोले जावेंगे और ९ घनीभूत विकास क्षेत्र भी खोले जायेंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६९ पर)

सूची

		संख्या	व्यय	कुल व्यय
मुफ्त ..	..	१४८	१२० रु० प्रति पम्प	१७,७६० रु०
सबसीडी देकर ..	..	२२९	६० रु० प्रति पम्प सबसीडी दी गई।	१९,७४०
			योग ..	३७,५०० रु०

विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रदत्त

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७२ पर)

आजमगढ़ जिले में पानी पीने के कुओं के लिये वित्तीय वर्ष सन् १९५५–५६ में निम्नलिखित संख्या में तहसीलवार, सहायता दी गई:—

तहसील	नवीन कूप निर्माण	पुराने पानी पीने के कुओं की मरम्मत
१—घोसी	३	९
२—लालगंज	—	३
३—फूलपुर	१	२६
४—मोहम्मदाबाद ..	—	२०
५—सगड़ी ..	१	२६
६—सदर	३	३२
	८	११६

विधान सभा सचिवालय गढ़वा मिर्जापुर

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७३ पर)

सूची

	१९५४–५५	१९५५–५६
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
अ—अनुदान (बिक्री केन्द्रों के लिये)		
१—तेल डिपो मऊनाथ भंजन ..	२,२७५–०–०	..
२—तेल डिपो घोसी	२,२७५–०–०	..
३—अन्सार कोआपरेटिव एशोसियेशन लि०, खैराबाद सेल डिपो		३,०००–०–०
ब—उन्नतशील यंत्रों के लिये		
१—जिला हैन्डलूम बीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि० मऊ		८५०–१२–०
स—ऋण		
जिन समितियों को ऋण दिया गया उनका विवरण संलग्न है।	७,०००–०–०	२५,१९५–०–०
द—रिवेट (छूट)		
१—जिला हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि० मऊ	३६,७७४–८–९	१२,५५०–१५–६
२—हिमातुल अन्सार करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि० कोपागंज ..	६,९६७–७–०	..
३—सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी लि० घोसी		२,३२४–८–०
४—सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी लि० मऊ		२२२–६–९
आजमगढ़ सहकारी समितियों को सन् १९५४–५५ में दिया गया ऋण		
१—हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि० पूर्वांज ..		२,०००–०–०
२—मोहम्मदाबाद खैराबाद हैन्डलूम बीवर्स को० सो० लि० आजमगढ़		५,०००–०–०
		७,०००–०–०

सन् १९५५–५६ में दिया गया ऋण

	रु०	आ०	पा०
१—डिस्ट्रिक्ट हैन्डलूम वीवर्स को०सो० लि०, मऊ, आजमगढ़ ..	१०,०००	०	०
२—सेन्ट्रल वीवर्स को० सो० लि०, मऊ.. ..	१०,०००	०	०
३—हसां हकीमपारा हैन्डलूम वीवर्स को० सो० लि०, कोपागंज, आजमगढ़	२५०	०	०
४—जुम्मन फूलपुर हैन्डलूम वीवर्स को० सो० लि०, कोपागंज ..	२५०	०	०
५—दोस्तचन्द्रपुरा हैन्डलूम वीवर्स को० सो० लि०, कोपागंज ..	५०	०	०
६—हिमातुल्लाह करघा को० सो० लि०, कोपागंज ..	२७०	०	०
७—पूरामऊ हैन्डलूम वीवर्स को० सो० लि०, मऊनाथ मंजन ..	१००	०	०
८—पूरावाज हैन्डलूम वीवर्स को० सो० लि०, मऊ ..	१००	०	०
९—सराज पाराशवासपुर हैन्डलूम वीवर्स को० सो० लि०, आजमगढ़	१५०	०	०
१०—मादापुर सासपुरा ,, ..	१००	०	०
११—इब्राहिमपुर ,, ,, मऊ	१५०	०	०
१२—बलुआ कुर्थी जाफरपुर ,, आजमगढ़ ..	१५०	०	०
१३—नयाज मुहम्मदपुर ,, मऊ ..	२५०	०	०
१४—मलिक कनिपिया हंजरी ,, ,, ..	२००	०	०
१५—औरंगाबाद ,, ,, आजमगढ़ ..	१००	०	०
१६—शेखपुरा मारूफ ,, ,, ..	५००	०	०
१७—नेशनल ,, ,, अमीलपुर ..	३५०	०	०
१८—नेवाद अली ,, ,, ,, ..	२५०	०	०
१९—आजादपुर रानी ,, ,,	२००	०	०
२०—मुहम्मदाबाद फैजाबाद ,, ,,	८७५	०	०
२१—अंसार ,, ,, आजमगढ़ ..	५००	०	०
२२—मखटोला ,, ,, ,, ..	२००	०	०
२३—सरायमीरा ,, ,, ,, ..	१५०	०	०
२४—मिर्जा ,, ,, ,, ..	५०	०	०
२५—डोमपुर ,, ,, ,, ..	१५०	०	०
२६—काष्टकला सहकारी समिति लि०, घोसी ,, ..	१००	०	०
योग ..	२५,१९५	०	०

अमर पंडेय संग्रह

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर में उल्लिखित विवरण

	रु०
१—स्टेट हेडक्वार्टर	१०,२५०
२—प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर (डिस्ट्रिक्ट एसटेब्लिशमेंट) ..	१,९४,६९३
३—ऐग्रीकल्चर एक्सटेंशन तथा एनीमल हस्बेंडरी ..	१,२५,४१८
४—सिंचाई	२,५२,८७५
५—रिक्लेमेशन	७२,८८८
६—स्वास्थ्य एवं गांवों की सफाई	९२,३९६
७—शिक्षा	३५,४५८
८—सामाजिक शिक्षा	२४,५३१
९—यातायात	५६,७९६
१०—ग्रामीण कला-कौशल एवं उद्योग-धंधे ..	३४,३८०
योग	८,९९,६८५

नोट—उसावां सी० पी० ब्लाक के संबंध में व्यय के ये आंकड़े ब्लाक के खोले जाने की तिथि से ३१-१२-१९५५ तक की अवधि के हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४ पर)

सिंचाई

१—अतिरिक्त क्षेत्र, जो सिंचाई के, अन्तर्गत लाया गया		३,१९६ एकड़

कृषि

२—खाद के गड्ढे, जो खोदे गये	..	१,८९४
३—उन्नतिशील बीज, जो वितरित किया गया	..	२९,२८४ मन
४—बीज, जो खरीदा और उगाहा गया	..	५,३५७ ,,
५—किये गये प्रदर्शनों की संख्या	..	२,५४२
६—खाद, जो वितरित की गई	..	७८३ ,,
७—हरी खाद के बीज, जो वितरित किये गये	..	७५ ,,
८—कृषि यंत्र, जो वितरित किये गये	..	२३३

बागबानी

९—नये उद्यानों का बढ़ा हुआ क्षेत्र	..	५०९ एकड़
१०—लगाये गये फलों के पेड़ों की संख्या	..	३,४०२
११—फल व तरकारियों की पौधशालाओं की संख्या, जो स्थापित की गई	..	५
१२—लगाये गये ईंधन के वृक्षों की संख्या	..	४५,१५०
१३—वितरित किया गया आलू का बीज	..	१,२०४ मन
१४—अतिरिक्त क्षेत्र, जिसमें तरकारी बोई गई	..	१,२१२ एकड़

भूमि को कृषि-योग्य बनाना

१५—कृषि योग्य बनाई गई भूमि का क्षेत्र	..	७० एकड़

पशु-पालन

१६—उन्नतिशील पशुओं (Padigree animals) की संख्या, जो बांटे गये		
(अ) सांड़	.. ४	
(ब) पक्षी	.. ६६	
(स) अन्य	.. ३४	
१७—चिकित्सित पशुओं की संख्या	..	४,९६२
१८—उन पशुओं की संख्या, जिन्हें टीका लगाया गया	..	६७,२३०
१९—पशु मेलों व प्रदर्शनियों की संख्या	..	२
२०—बधिया किये गये (castrated) सांडों की संख्या	..	३६७

शिक्षा संबंधी तथा सांस्कृतिक कार्य

२१—"कम्युनिटी एन्टरटेन्मेंटस"	..	१२७
२२—शिक्षित किये गये प्रौढ़ों की संख्या	..	१,८५१
२३—चालू किये गये पुस्तकालयों की संख्या	..	२७
२४—चालू किये गये सामूहिक केंद्रों की संख्या	..	१६८
२५—खोले गये नये स्कूलों की संख्या	..	११

सामूहिक कार्य

२६—निर्मित भवनों की संख्या	..	.. १३
२०—नई सड़कों का निर्माण	..	..
(अ) कच्ची	३१ मील ७ फर्लांग	
(ब) पक्की	२ फर्लांग	
२८—सड़कों की मरम्मत	..	.. ३३ मील (कच्ची सड़क)

जन-स्वास्थ्य

२९—हैन्ड पम्प सहित सेनिटरी वेल्स की संख्या जिनका निर्माण किया गया	..	.. ८८
३०—साफ किये गये कुओं की संख्या	..	.. ६४
३१— निर्मित ग्राम शौचालयों की संख्या		.. ७७
३२—टीके लगाये गये	..	.. २८,९७०
३३—उन गांवों की संख्या जिनमें मलेरिया-निरोधक छिड़काव किया गया		५
३४—पक्की नालियां जो बनाई गईं	..	.. ३,६९०
३५— बनाये गये सोख्ते गड्ढों की संख्या	..	.. ७८६

गृह-उद्योग

३६—ईंट के भट्ठे	..	.. १२
३७ पकाई गई ईंटों की संख्या	..	.. ५६ लाख

सार्वजनिक दान

३८—श्रम	.. ..	.. २,५६,८०० रु० की लागत का
३९—नकद तथा अन्य कोटि के दान		४२,५०० रु० की लागत के

सहकारिता

४०—संगठित की गई नई सहकारी समितियों की संख्या		.. ३०
४१—नये सदस्य	..	.. ५३
४२ खोले गये उत्पादन तथा शिक्षण केंद्र		.. २

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७६ पर)

नियोजन विभाग द्वारा बनवाये गये पक्के कुओं तथा हैन्ड पम्प की जिलेवार सूची। उन कुओं और पम्प का भी विवरण है जो केवल हरिजनों के हेतु बनाये गये हैं।

जिला	पक्के कुएं		हैन्डपम्प हरिजनों के हेतु		विवरण
	नये बने/मरम्मत हुई		कुएं नये/मरम्मत बने	पम्प हुई	
१ देहरादून ..					
२ सहारनपुर ..					
३ मुजफ्फरनगर ..	६८७	३५८	३०१	१३२	
४ मेरठ ..	२७३	१०	१४८	१०	
५ बुलन्दशहर ..	३४	११	८४	१	
६ अलीगढ़ ..	१३६	—	२८४	—	
७ मथुरा ..	१०९५	—	१५९	—	
८ आगरा ..	३४६	११	२०६	—	
९ मैनपुरी ..	४७१	—	२९	—	
१० एटा ..	१२४	—	७४	—	
११ बरेली ..	२२६	८	१२६	३	
१२ बिजनौर ..	९१६	१८	२०४	२७	
१३ बदायूं ..	६६	४	२२	२	
१४ मुरादाबाद ..	२६	१८७	३९	३०	
१५ रामपुर ..	२८४	९६	३८	९	
१६ शाहजहांपुर ..	२५२	—	९६	—	
१७ पीलीभीत ..	८२४	९०	१९९	१७	अब तक ४०१ कुएं और ८१ हैन्ड पम्प पूरे हो चुके हैं इन में से ११५ कुएं और १३ हैन्ड पम्प केवल हरिजनों के हेतु हैं।
१८ फर्रुखाबाद ..	६२	—	१५	—	
१९ इटावा ..	१९८	२०	७७	—	
२० कानपुर ..	१७	६	७	२	
२१ फतेहपुर ..	७६	—	८१	—	इस सम्बन्ध में एक नोट संलग्न है।

जिला	पक्के कुएं		हैन्पडम्प केवल हरिजनों के हेतु		विवरण
	नये बने हुए/मरम्मत		कुएं नये/बने	कुएं हैन्ड पम्प मरम्मत हुई	
२२ इलाहाबाद ..	४५२	१०	२१४	५	
२३ झांसी ..	६३३	—	१०१	—	
२४ जालौन ..	३२६	—	६७	—	
२५ हमीरपुर ..	१५२	—	५१	—	
२६ बांदा ..	११	—	२	—	
२७ बनारस ..	२१५९	—	५०३	—	
२८ मिर्जापुर ..	२०३	—	३४	—	
२९ जौनपुर ..	१७२	४१	१४०	१०	
३० गाजीपुर ..	१०८०	१०४	९५	—	
३१ बलिया ..	१५९५	१९५	२४७	१२	
३२ गोरखपुर ..	७६२	३३४	२०२	५१	
३३ देवरिया ..	१०७५	३२९	२३५	१७	
३४ बस्ती ..	१३४६*	१८३	२२०	२०	
३५ आजमगढ़ ..	१५१०	९८	२२६	३	
३६ नैनीताल ..	५ नाले १८८ डिग्गी ९३ पम्प लाइन २६ पाइप लाइन १ धारा ६१ कुएं	१७१	९ पाइप लाइन ८ नाला ७० डिग्गी १ गूल १३ कुएं	४३	
३७ अल्मोड़ा ..	७१६९ नाले और धारे	—	२६३ नाले और धारे		
३८ गढ़वाल ..	५९६ डिग्गी बनी १४२६ डिग्गी मरम्मत	—	११० डिग्गी		
३९ टेहरी-गढ़वाल	३३२ डिग्गी		११ डिग्गी		
४० लखनऊ ..	४३६		३०९		
४१ उन्नाव ..					
४२ राय बरेली ..	६४२		३७०	३	
४३ सीतापुर ..	२४६		२०५		
४४ हरदोई ..	३५५	—	२०२	—	
४५ खेरी ..	१७७	२७४	६३	४५	
४६ फैजाबाद ..	५३०	—	४७	—	
४७ गोंडा ..	१२३९	२१९	१०६	७५	
४८ बहराइच ..	२५४	५९	२७	—	
४९ सुल्तानपुर ..	९६	—	२	—	
५० प्रतापगढ़ ..	३२४	—	९२	—	
५१ बाराबंकी ..	७०९	२२	८३	—	

* इन नल कूपों एवं नलों में से ५८३ कूप तथा ९२ नल पूर्ण रूप से उपयोग में लाये जा रहे हैं और शेष भविष्य में पूरे होने वाले हैं। इनमें ३५ कूप हरिजन के हैं।

सार्वजनिक			केवल हरिजनों के हेतु		
योग					
कुएं	..	२२,७१८	कुएं	...	६,०४५
नाले तथा धारा	..	७,१७४	नाले और धारा		२७१
डिग्गी	..	२,५४२	डिग्गी	..	१९१
पम्प	..	९३	पाइप लाइन	..	११
पाइप लाइन	..	२६	गूल	..	१
हैन्ड पम्प	..	२,८५८			

कानपुर

सन् १९५४–५५ वर्ष में इस जिले में पानी पीने के कुओं के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा ७५,००० रु० प्राप्त हुआ था। इस अनुदान से ८० कुओं को शासकीय धन स्वीकृत करके दिया गया, जिनमें हरिजन कुओं की संख्या १६ थी और १५,०८० रु० का अनुदान उन पर स्वीकृत हुआ था। अब तक की प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर १७ कुएं बन कर तैयार हो चुके हैं जिनमें हरिजन कुओं की संख्या ७ है। अनेकों कुएं अर्ध निर्मित अवस्था में हैं जिनको किसान एक बरसात के पश्चात् जगत और खम्भे आदि बनवा कर पूरा करते हैं।

२—चालू वित्तीय वर्ष में भी भारत सरकार द्वारा प्राप्त १,९७,००० रु० में से ६२,५५० रु० ९७ कुओं के निर्माण व मरम्मत के लिए स्वीकृत किया गया है जिनमें हरिजन कुओं की संख्या २७ है और उन पर २२,१०० रु० शासकीय अनुदान स्वीकृत किया गया है। कुओं का निर्माण प्रारम्भ हो गया है।

३—नल लगवाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में निवेदन है कि इस जिले में नल लगवाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु जहां पर पानी की सतह २५,३० फुट के बीच में है वहां हरिजनों के लिए मुफ्त नल लगवाने का विचार किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में उक्त धनराशि में से ६ सार्वजनिक नल की व्यवस्था की गई, जिनमें दो हरिजन बस्ती में लगाये जायंगे।

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८४ पर)

उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये कि वसूली और बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९५६

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ को संशोधित करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ को कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६ द्वारा संशोधित किया गया था ;

और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा बनाये गये अधिनियम की व्यवस्था करना इष्टकर है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किरायें की वसूली और बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३९, १९५२ की धारा २ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

(१) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदा ही रखा गया समझा जाय:—

"(ग) सरकारी भू-गृहादि (Government premises) का तात्पर्य ऐसे भू-गृहादि से है जो राज्य सरकार का हो, उसके स्वामित्व में हो, उसके पास हो, या जिसे उसने अधिगृहीत (requisitioned) किया हो या पट्टे पर लिया हो।"

(२) खंड (घ) में स्पष्टीकरण के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय और सदा ही बढ़ाया गया समझा जाय—

"स्पष्टीकरण—कोई छोटी दूकान (stall), खुला हुआ छोटा खेमा (kiosk) या अन्य कोई सुदृढ़ निर्माण (structure) चाहे वह लकड़ी का बना हो या अन्य किसी सामग्री का, और जो इस रूप में प्रयुक्त होता हो अथवा प्रयुक्त होने के लिये अभिप्रेत हो, इस खंड के अर्थ में भवन है।"

३--मूल अधिनियम की धारा ९ के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर अर्धविराम (;) र दिया जाय और तत्पश्चात् प्रतिबन्धक के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३९, १९५२ की धारा ९ का संशोधन।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि संबंद्ध भू-गृहादि, छोटी दूकान (stall), खुला हुआ छोटा खेमा (Kiosk) या इसी प्रकार का अन्य कोई सुदृढ़ निर्माण हो तो कोई भी ऐसी स्थगन आज्ञा जारी नहीं की जायगी, किन्तु डिस्ट्रिक्ट जज, यदि अपील स्वीकार हो जाय तो यह आदेश दे सकता है कि बेदखल किये गये व्यक्ति को भू-गृहादि पर फिर से कब्जा दे दिया जाय।"

४--धारा ११ की उपधारा (१) में शब्द "द्वारा दी गयी" तथा शब्द "आज्ञाओं" के बीच शब्द "अथवा धारा ९ के प्रतिबन्धक (proviso) के अनुसार फिर से कब्जा वापस पाने की डिस्ट्रिक्ट जज की" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३९, १९५२ की धारा ११ का संशोधन।

५--उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है, तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन हो।

निरसन।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ के वर्तमान उपबंधों के अधीन अनधिकृत रूप से सरकारी भू-गृहादि पर कब्जा बनाये रखने वाले व्यक्तियों को ऐसे भू-गृहादि से बेदखल किया जा सकता है। शब्द "भू-गृहादि" का जैसा कि वह इस अधिनियम में परिभाषित है, तात्पर्य किसी भी भवन अथवा इसके भाग से है। शब्द "भू-गृहादि" की परिभाषा के अन्तर्गत लकड़ी की छोटी दूकानों (wooden stalls), खुलेहुये छोटे खेमों (kiosks) आदि निर्माणों (structure) का सम्मिलित किया जाना आवश्यक हो गया है, जिससे कि ये छोटी दूकाने (stalls) तथा खुले हुये खेमे (kiosks) आदि उन व्यक्तियों से खाली कराये जा सकें जो उन पर अनधिकृत रूप से अपना कब्जा बनाये हुये हैं।

२--इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में डिस्ट्रिक्ट जज को अधिनियम की धारा ७ के अधीन जारी की गयी बेदखली की आज्ञा स्थगित करने का अधिकार दिया गया है। शीघ्रता (expediency) के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि यदि सम्बद्ध भू-गृहादि कोई छोटी दूकान (stall), खुला हुआ छोटा खेमा (kiosk) या अन्य कोई ऐसा ही सुदृढ़ निर्माण (structure) हो तो बेदखली की आज्ञा डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा स्थगित न की जा सके।

३--उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु एक अध्यादेश प्रख्यापित किया जा चुका है। वर्तमान विधेयक में अध्यादेश के उपबन्धों का समावेश है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८४ पर)

उत्तर प्रदेश रुई ओटने और उसकी गांठ बनाने के कारखानों का (संशोधन) विधेयक, १९५६

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

यू० पी० ऐक्ट ९, १९४९।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने और उसकी गांठें बनाने के कारखानों के ऐक्ट को संशोधित करने का

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने और उसकी गांठें बनाने के कारखानों का ऐक्ट को संशोधित करना आवश्यक है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथाप्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश रुई ओटने और उसकी गांठें बनाने के कारखानों का (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी तथा धारा २ ऐसे दिनांक पर तथा ऐसे क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में एतदर्थ विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे।

यू० पी० ऐक्ट ९, १९४९ की धारा ११ का संशोधन।

२—१९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने और उसकी गांठें बनाने के कारखानों का ऐक्ट की धारा ११ की उपधारा (१) तथा (२) में शब्द 'मासिक' तथा 'मास' जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द 'साप्ताहिक' तथा 'सप्ताह' रख दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

देश में रुई के वास्तविक उत्पादन के अनुमान के सम्बन्ध में ओटी गई तथा गांठ बांधी गयी रुई की सामयिक तथा ठीक-ठीक सूचना संगृहीत करने के महत्व पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक रुई ओटने वाले कारखाने रुई ओटने से संबद्ध विवरण-पत्र हर महीने प्रस्तुत करते थे। कुछ मामलों में ऐसा अनुभव भी हुआ था कि छोटे पैमाने पर कारोबार करने वाले कुछ कारखाने विवरण-पत्र भेजने में उपेक्षा करते थे और कभी-कभी नहीं भी भेजते थे। इन दशाओं में कारखाने उपयुक्त लाइसेंस नहीं लेते थे। रुई ओटने तथा रुई की गांठे बांधने के कारखानों का और अच्छा विनियमन करने के दृष्टिकोण से, भारत सरकार ने यह इष्टकर समझा कि सारे देश में एक सी व्यवस्था की जाय तथा यह प्रबन्ध किया कि रुई ओटने के कारखाने साप्ताहिक विवरण-पत्र प्रस्तुत किया करें। अतएव उत्तर प्रदेश में अब उन्हीं व्यवस्थाओं को अपनाने का विचार किया गया है। और अभी तक मंगाये जाने वाले मासिक विवरण-पत्रों के स्थान पर सन् १९४८ के संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने और उसकी गांठें बनाने के कारखानों का अधिनियम, १९४८ की धारा ११ (१ और २) को संशोधित करके, साप्ताहिक विवरण मंगाने की व्यवस्था की गयी है। आशा की जाती है कि उसे उत्तर प्रदेश के रुई ओटने और गांठें बांधने के कारखानों का श्रेष्ठतर विनियमन हो सकेगा तथा देश में रुई के वास्तविक उत्पादन के सही अनुमान के सम्बन्ध में ठीक-ठीक और सामयिक सूचना मिल सकेगी।

हुकम सिंह बिसेन,
कृषि मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—४७ एल० ए०—१९५६-७९६।